आई एस एस एन 2230-7044 पुलिस विज्ञान

पुलिस विज्ञान

वर्ष-39 अंक 142 जनवरी-जून, 2020

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

पुलिस विज्ञान

अंक-142 (जनवरी-जून-2020)

सलाहकार समिति

वरुण सिंधु कुल कौमुदी
महानिदेशक

संतोष मेहरा
अपर महानिदेशक

शशि कान्त उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (वि. पु. प्र.)

संपादक : विजय कुमार

संपादन सहयोग
सतीश चन्द्र डबराल
वरिष्ठ अनुवादक
पिसाल विक्रम आनंदराव
कनिष्ठ अनुवादक

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
राष्ट्रीय राजमार्ग - 8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110 037

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, की सहमति आवश्यक नहीं।

वरुण सिंधु कुल कौमुदी, भा.पु.से
महानिदेशक

VSK Kaumudi, IPS
Director General

Tel. : 91-11-26781312 (O)
Fax : 91-11-26781315
Email : dg@bprd.nic.in

पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय राजमार्ग–8, महिपालपुर,
नई दिल्ली–110037

Bureau of Police Research & Development
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
National Highway-8, Mahipalpur,
New Delhi-110037

संदेश

मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की छमाही हिन्दी पत्रिका, पुलिस विज्ञान का 142वां अंक प्रकाशित हो रहा है । पुलिस व्यवस्था संबंधी लेखों को प्रकाशित कर इस पत्रिका ने अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया है ।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश की पुलिस व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है । प्राचीन काल से ही शान्ति और न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस किसी न किसी रूप में रही है । समय के साथ पुलिस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन होते रहे और ब्रिटिश काल में पुलिस एक्ट बनने के साथ भारतीय पुलिस व्यवस्था को नई रूप-रेखा मिली ।

आज भारतीय पुलिस न केवल देश में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यरत है बल्कि देश की सीमाओं की भी रक्षा कर रही है । पुलिस का कार्यक्षेत्र अब बहुत बढ़ चुका है । पुलिस देश के कई राज्यों में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रही है और कई राज्यों में आतंकवाद के विरुद्ध अभियानों में शामिल है । देश को नित नई समस्याओं और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है । पुलिस के लिए इन चुनौतियों का सामना करना आज आम बात हो गई है ।

समय के साथ बढ़ती इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक था कि देश में किसी ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो पुलिस को इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम बना सके और उन्हें प्रशिक्षित कर सके । इस उद्देश्य से, वर्ष 1970 में, गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना की गई । आज ब्यूरो के अधीन कार्यरत 6 प्रशिक्षण संस्थान, देश के सभी राज्यों एवं केंद्रीय पुलिस बलों/संगठनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त, ब्यूरो देश में, समय के साथ उभरती, नई चुनौतियों से लड़ने के लिए शोध कार्य करते हुए पुलिस बलों का मार्गदर्शन कर रहा है ।

ब्यूरो, अपने 50वें स्थापना वर्ष के अवसर पर प्रकाशित की जा रही इस पत्रिका को, स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक, देश की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु, अपने प्राण न्यौछावर करने वाले, देश के 35 हजार शहीदों को समर्पित करता है ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न विषयों के लेख, पुलिस बलों/संगठनों में कार्यरत कर्मियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे ।

शुभकामनाओं सहित

(वरुण सिंधु कुल कौमुदी)
महानिदेशक, बीपीआरडी

"Promoting Good Practices and Standards"

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय

पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

इस योजना के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा हर वर्ष पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए रचनाएं आमंत्रित की जाती हैं। इन विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर वर्ष मूल रूप से हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों की प्रविष्टियों में से समिति की सिफारिश के आधार पर 5 पुस्तकों को रूपये तीस-तीस हजार के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनमें से एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है।

इस योजना के अंतर्गत पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित हिन्दी से इतर अन्य भाषाओं की पुस्तकों को हिन्दी में अनूदित करके प्रकाशित करने के लिए चौदह-चौदह हजार रुपए के दो नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनमें से एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है।

इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा अपनी तरफ से दो विषय देकर (एक विषय सामान्य वर्ग के लिए एवं एक विषय महिलाओं के लिए आरक्षित) पुस्तकें लिखने के लिए रूपरेखाएं आमंत्रित की जाती हैं जिसके लिए चालीस-चालीस हजार के दो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। रूपरेखाएं 8 से 10 पेज की होनी चाहिए जिसमें लिखी जाने वाली पुस्तक में दी जाने वाली सामग्री का सार हो। सामान्यत: हर वर्ष रूपरेखाएं भेजने की अंतिम तिथि 30 सितंबर होती है जिसे कई बार बढ़ाया भी जाता है। इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए संपादक (हिन्दी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली से संपर्क करें अथवा ब्यूरो की वेबसाइट www.bprd.nic.in देखें।

'अपराध विज्ञान' तथा 'पुलिस विज्ञान' में डॉक्टरेट कार्य हेतु फेलोशिप

अपराध विज्ञान तथा पुलिस विज्ञान में डॉक्टरेट कार्य हेतु ब्यूरो द्वारा 10 फेलोशिप के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं । इस योजना के तहत प्रति वर्ष भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें अभ्यर्थी को पी.एच.डी. के लिए विश्वविद्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले दो वर्ष के लिए रूपये पच्चीस हजार तथा तीसरे वर्ष से रूपये अटठाइस हजार प्रदान किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली के अनुसंधान अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी कार्यालय की वेबसाइट www.bprd.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

पुलिस एवं कारागार सम्बन्धी विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएँ

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, पुलिस एवं कारागार से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों, संस्थानों व व्यक्तिगत शोधकर्ताओं से अपने विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है । इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए उप निदेशक (अनुसंधान) एवं सहायक निदेशक (अनुसंधान), एन एच 8 महिपालपुर, नई दिल्ली 110037 से संपर्क कर सकते हैं । इस संबंध में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली की वेबसाइट www.bprd.nic.in पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

संपादकीय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा वर्ष 1982 से प्रकाशित की जा रही छमाही पत्रिका पुलिस विज्ञान के लिए हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि, पत्रिका के लिए ऐसे लेखों का चयन किया जाए जिनमें अपराध, न्याय व्यवस्था एवं पुलिसिंग संबंधी विषयों की प्रामाणिक व उपयोगी जानकारी हो जो पुलिस कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दे सके।

पुलिस विज्ञान पत्रिका के लिए अधिकतर लेख उन शोधकर्ताओं द्वारा भेजे जाते हैं जो अपराध, न्याय व्यवस्था और पुलिसिंग के विभिन्न विषयों पर शोध कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा इन लेखों को जमीनी स्तर पर किए गए शोध कार्य के आधार पर तैयार किया जाता है। अतः इनमें दी गई जानकारी बहुत ही उपयोगी एवं प्रासंगिक होती है। इस अंक में शामिल अपराध नियंत्रण में पुलिस की सक्रिय भूमिका विषय में दी गई जानकारी, जहां समाज से अपराध कम करने के लिए कार्य कर रहे कर्मियों की मदद करेगी वहीं साइबर क्राइम और भारत में साइबर सुरक्षा : सामाजिक एवं वैधानिक विवेचन विषयों के लेखों में दी गई जानकारी पाठकों को अपने कार्यों का निर्वहन करने में सहायता करने के साथ व्यक्तिगत जीवन में भी चौकस बनाएगी। कोरोना विषय पर दिया गया लेख पुलिस को नई चुनौतियों के अनुरूप अपनी कार्यप्रणाली को बदल कर सराहनीय कार्य करने की सीख देगा।

पुलिस विज्ञान पत्रिका का अंक 142 जनवरी-जून 2020 पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है । हमें उम्मीद है कि इस अंक में, अपराध नियंत्रण में पुलिस की सक्रिय भूमिका, भारत में साइबर सुरक्षा सामाजिक एवं वैधानिक विवेचन, रासायनिक पदार्थ एवं जहर के न्यायिक पहलू, पुलिस थानों में शिकायतकर्ता एवं आम जनता के साथ पुलिस का व्यवहार, आचरण का स्वरूप, कारण, परिस्थितियां एवं सुधारात्मक सुझाव, कोरोना महामारी: पुलिस को कार्य के दौरान तनाव व उपाए, साइबर क्राईम, लोकतंत्र, सामुदायिकता एवं पुलिस तथा भारत में जेल और उसमें बंद कैदियों की संख्या की विवेचना विषयों के लेखों में दी गई जानकारी, पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली में निश्चित रूप से सुधार करेगी और देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देगी । पुलिस विज्ञान पत्रिका के आगामी अंक को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए पाठकों के सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

संपादक

पुलिस विज्ञान

लेखकों से निवेदन

पाठकों से अनुरोध है कि पुलिस विज्ञान पत्रिका में प्रकाशन के लिए पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेख लिखकर भेजें और लेख लिखने में सक्षम अपने सहयोगियों को भी लेख लिखकर भेजने के लिए प्रेरित करें। लेख टाइप किया गया हो और लगभग आठ से दस पेज का हो। यदि लेख से संबंधित कोई फोटो हो तो वह भी साथ भेजें। अच्छे लेखों को पुलिस विज्ञान पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा। लेख ई-मेल vijay@bprd.nic.in पर भी भेजे जा सकते हैं। पत्रिका में प्रकाशित लेखों के लिए दिए जाने वाले पारिश्रमिक को वर्ष 2020 से रूपये 1000/- प्रति लेख से बढ़ाकर रूपये 3000/- प्रति लेख कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त यदि आपने पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों के हिन्दी के अलावा अन्य भाषा के किसी अच्छे लेख को हिन्दी में अनूदित किया है या करना चाहते हैं, जिसका कॉपीराइट आपके पास हो अथवा जिसके कॉपीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख भी प्रकाशन के लिए आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों के लिए समुचित मानदेय दिया जाता है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनुदित है और इसका कहीं प्रकाशन नहीं हुआ है तथा इसके लिए कहीं से कोई मानदेय नहीं लिया गया है। इस संबंध में अधिक जानकारी ब्यूरो की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

संपादक

पुलिस विज्ञान

राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर,

नई दिल्ली-110 037

विषय सूची

लेख	लेखक	पृष्ठ सं.
अपराध नियंत्रण में पुलिस की सक्रिय भूमिका	श्री राजीव कुमार	1
भारत में साइबर सुरक्षा - सामाजिक एवं वैधानिक विवेचन	डॉ. जी. एल. शर्मा	11
रासायनिक पदार्थ एवं जहर के न्यायिक पहलू	डॉ. ए. के. जायसवाल, डॉ. सुनीता भगत, श्री रोहित कनौजिया	25
पुलिस थानों में शिकायतकर्ता एवं आम जनता के साथ पुलिस का व्यवहार, आचरण का स्वरुप, कारण, परिस्थितियां एवं सुधारात्मक सुझाव	श्री पंकज चौबे	39
कोरोना महामारी: पुलिस को कार्य के दौरान तनाव व उपाए	डॉ. नंदकिशोर एस. भगत, श्रीमती शालिनी जे.भगत	49
साइबर क्राइम	श्री शंकर कुमार	55
लोकतंत्र, सामुदायिकता एवं पुलिस	डॉ. गिरिराज सिंह चौहान, श्रीमती रीना माली	63
भारत में जेल और उसमें बंद कैदियों की संख्या की विवेचना	श्री संदीप अरोड़ा	67

'पुलिस विज्ञान' पत्रिका में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनमें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, की सहमति आवश्यक नहीं।

समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम. ज़ेड. ख़ान, *नई दिल्ली*, **श्री एस.वी.एम. त्रिपाठी**, *लखनऊ*,
प्रो. अरुणा भारद्वाज, *नई दिल्ली*, **प्रो. जे.डी. शर्मा**, *सागर (म.प्र.)* **प्रो. स्नेहलता टण्डन**, *नई दिल्ली*,
प्रो. वी.के. कपूर, जम्मू, **डॉ. शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी**, मेरठ, **डॉ. अरविन्द तिवारी**, मुम्बई,
डॉ. उपनीत लाली, चण्डीगढ़, **श्री वी.वी. सरदाना**, फ़रीदाबाद, **श्री सुनील कुमार गुप्ता**, नई दिल्ली

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : इण्डिया ऑफसैट प्रैस, ए-1 मायापुरी इण्डस्ट्रियल एरिया फेज-1, नई दिल्ली-110 064

"अपराध नियंत्रण में पुलिस की सक्रिय भूमिका"

राजीव कुमार
मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

"अपराधियों पर पैनी नजर रख,
तीव्र कार्रवाई करती है पुलिस अगर।

आती है कमी तभी अपराधों में,
आसान होती कानून व्यवस्था की डगर॥"

प्रस्तावना

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जो कुछ भी सीखता है, वह सब कुछ इस समाज में रहकर ही सीखता है। जब से ये दुनिया बनी है, तब से ही दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों साथ-साथ चली आ रही हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ईमानदारी से जीवनयापन करना पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बुराई या अपराध का मार्ग चुनते हैं। जो लोग इस रास्ते पर एक बार आगे बढ़ जाते हैं तो उनका पीछे मुड़कर लौटना मुश्किल होता है या यूं कहें कि शायद ही वे अपने पुराने जीवन में कभी वापस लौट पाते हैं।

इतिहास साक्षी है कि न तो कभी अच्छाई पूरी तरह से कायम हुई है और न ही कभी बुराई हमेशा ही रही है। पुराने समय में अपराधों की संख्या कम हुआ करती थी, किन्तु थी तो तब भी। हालांकि, आज अपराधों के नए-नए तरीके दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं और उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। अपराध नियंत्रण के बारे में जानने से पहले हमारे लिए अपराध के विषय में समझ लेना आवश्यक है। आखिर अपराध होता क्या है, इससे क्या तात्पर्य है।

अपराध क्या है : अपराध वह कृत्य होता है जो कि कानून की दृष्टि में अनुचित होता है। अपराध में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मानवीय एवं मौलिक अधिकारों के साथ-साथ उसके जीवन तक को नष्ट करने का दुष्कृत्य करता है। समाज में बनाए गए नियमों का पालन न करना ही अपराध की श्रेणी में आता है। फिर चाहे वह किसी भी प्रकार का कृत्य ही क्यों न हो। किसी राज्य या सरकार द्वारा बनाए गए नियम एवं कानून के विरूद्ध किया जाने वाला कृत्य जिसे उस देश या राज्य की सरकार गलत मानती है, वही अपराध है। अपराध छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। इसके साथ ही, अपराध अत्यंत गंभीर भी हो सकता है। एक अच्छे एवं सभ्य समाज के निर्माण में अपराध का कोई स्थान नहीं हो सकता है। अपराध में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विभिन्न प्रकार से कष्ट, पीड़ा, नुकसान, हानि इत्यादि पहुंचाना शामिल होता है। अपराध में मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के कष्ट शामिल रहते हैं।

अपराध के प्रकार : समाज में जिस प्रकार अनेक बुराइयां, कुरीतियां व्याप्त होती हैं उसी प्रकार समाज में घटित होने वाले अपराधों को भी विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। इन अपराधों से मुक्त समाज की रचना को साकार करने या इन अपराधों पर नियंत्रण हेतु अनेक प्रकार के उपाय भी किए जाते हैं। समाज में जो मुख्य-मुख्य अपराध घटित होते हैं उन्हें इस प्रकार उल्लिखित किया जा सकता है -

1. चोरी, (चेन स्नेचिंग, घरों में चोरी, कार में चोरी, आयकर, वस्तु बिक्री कर इत्यादि की चोरी) (आईपीसी की धारा 378, 379, 380)।
2. हत्या (गला काटना, जहर देना, गोली मारना, या व्यक्ति की अन्य प्रकार से हत्या) (आईपीसी की धारा 302, 307 हत्या का प्रयास करना)।
3. अपहरण (फिरौती, या भीख मांगने के लिए किसी छोटे बच्चे का अपहरण, इत्यादि के लिए) (आईपीसी की धारा 362, 365)।
4. बलात्कार (जबरन किसी महिला से दुष्कर्म करना) (आईपीसी की धारा 376)।
5. धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 420)।
6. बाल शोषण (बाल मजदूरी, घरों में काम, बच्चों से भीख मंगवाना) (बाल संरक्षण अधिनियम, 2005)।
7. यौन उत्पीड़न (महिलाओं का कार्यस्थलों पर, बच्चियों इत्यादि का यौन उत्पीड़न) (आईपीसी की धारा 354क)।
8. दहेज उत्पीड़न/हत्या (महिला से पैसा मांगना, न देने पर उसका उत्पीड़न/हत्या करना) (आईपीसी की धारा 302ख)।
9. महिलाओं पर घरेलू हिंसा (महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005)।
10. साइबर अपराध (कम्प्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम इत्यादि से संबंधित), (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2010 के तहत कार्यवाही)।
11. महिलाओं, बच्चियों से जबरन देह व्यापार कराना (वेश्वावृत्ति)(आईपीसी की धारा 372, 373)।
12. मादक पदार्थों की तस्करी (भांग, धतूरा, हिरोइन, अफीम, गांजा, शराब इत्यादि)।
13. करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण (नकली नोट बनाना) (आईपीसी की धारा 439क से 439ड. तक)।
14. हवाला कारोबार (अवैध रूप से विदेशी धन प्राप्त करना)।
15. अश्लील वीडियो आदि का अवैध कारोबार।
16. डकैती (गिरोह में गांवों, ट्रेनों, इत्यादि में लूटपाट करना)।
17. आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी एवं उनमें मिलावट करना (प्रिवेंशन फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती है)।
18. मानव तस्कारी/मानव अंगों की तस्कारी (दास/नौकर बनाना) (आईपीसी की धारा 370 से 373 तक)।
19. अवैध हथियार रखना (शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1)(एए), अधिकतम 14 वर्ष की सजा का प्रावधान)।

उक्त प्रकार के अपराधों से यह स्पष्ट है कि आज हमारे समाज में कितने प्रकार के अपराध व्याप्त हैं जिनसे निपटने के लिए हमारे देश व राज्य की सरकारों एवं विभिन्न सुरक्षा बलों सहित पुलिस को दिन रात चौकन्ना रहना पड़ता है और अपराधियों से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाते रहना पड़ता है। देश में अपराधों को समझने के लिए उनकी प्रवृत्ति की जानकारी आवश्यक है। प्रत्येक पुलिसकर्मी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी, 1860) एवं आपराधिक कार्यवाही संहिता (सीआरपीसी, 1974 से लागू) एवं विभिन्न संबंधित अपराधों के संबंध में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। पुलिस द्वारा उठाए जाने वाले कदमों को इस प्रकार समझा जा सकता है –

1. **चोरी :** किसी भी समाज में सबसे ज्यादा घटित होने वाला अपराध शायद चोरी ही है। चोरी करने वालों को यदि आरंभ में ही उचित प्रकार से दंडित कर दिया जाए तो चोरी की वारदातें न हों। लेकिन अफसोस कि हमारे देश

में चोरी की वारदातों को बहुत ही हल्के में लिया जाता है और इन अपराधियों को आसानी से या तो पुलिस द्वारा छोड़ दिया जाता है या फिर उन्हें न्यायालय से जमानत मिल जाती है। पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है जिसके कारण चोरों के हौंसले बुलंद हो जाते हैं और वे 'अपराध की पहली सीढ़ी' अर्थात् चोरी करते जाते हैं। साथ ही, वे दूसरे अपराधों की ओर भी प्रवृत्त होते जाते हैं। हालांकि, पुलिस की मंशा पहली बार चोरों को ढील बरतते हुए इसलिए भी छोड़ दिया जाता है कि यह उनका पहला अपराध होता है किन्तु यहीं पर भारी भूल हो जाती है और अपराधियों के हौंसले नए पंख लेकर उड़ने को तैयार हो जाते हैं। चोरी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 378, 379, 380 के तहत 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास तथा/या न्यायालय द्वारा निर्धारित अर्थदंड या दोनों की सजा दी जा सकती है।

2. **हत्या :** यह एक जघन्य अपराध है तथा इसकी सूचना मिलने पर पुलिस को पूरी लगन से अपराधियों को पकड़कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उन्हें उनके द्वारा किए गए अपराध की उचित सजा मिल सके और समाज में एक संदेश जाए कि यदि कोई हत्या जैसा जघन्य अपराध करता है तो पुलिस अवश्य सख्त एवं त्वरित कार्रवाई करेगी। उदाहरणार्थ, नितिन कटारा हत्या का मामला, निठारी (नोएडा) हत्या मामला, शिवानी तलवार हत्या मामला, निर्भया हत्या कांड इत्यादि में पुलिस ने अवश्य ही सक्रिय भूमिका का परिचय दिया है जो कि पुलिस की छवि को बेहतर बनाने में सहायक हैं। हालांकि, कभी कभी पुलिस की सक्रिय भूमिका पर प्रथम-दृष्टया आरोप भी लगते रहे हैं कि वह हत्या जैसे जघन्य मामलों में अनदेखी करती है। पुलिस को स्वयं इस प्रकार की छवि को हटाना होगा। क्योंकि पुलिस आज कोरोना महामारी के तहत अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभा रही है, लोगों को भोजन देना, रोगियों को पुलिस वैन के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने इत्यादि कृत्यों से अवश्य ही पुलिस की छवि में सुधार हुआ है और इस तरह के कृत्यों से आगे भी सुधार होगा। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत किसी व्यक्ति की हत्या के दोषी को न्यायालय द्वारा फांसी की सजा या उम्रकैद की सजा दी जाती है।

3. **अपहरण :** हमारे देश में आज बच्चों का ही नहीं अपितु वयस्कों का भी अपहरण आम बात हो गयी है। इनमें लड़के एवं लड़कियों सहित महिला एवं पुरुष दोनों ही शामिल हैं। फिरौती इत्यादि के लिए ऐसी घटनाएं निरंतर बढ़ती ही चली जा रही हैं और आज देश में बच्चों के अपहरणों की संख्या तो बहुत ज्यादा हो गयी है। अपहरण के अपराधों की संख्या में अधिक वृद्धि इसलिए भी हो रही है क्योंकि छोटे बच्चों के बदले फिरौती के साथ-साथ उनसे भीख मंगवाने का काम भी कराया जाता है क्योंकि उनके माध्यम से भीख मांगनी आसान हो जाती है। यह अपराध भी बड़े स्तर पर घटित हो रहा है और विभिन्न चौराहों इत्यादि पर बच्चों को भीख मांगते हुए देखा जा सकता है। हमारे देश की पुलिस को संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इन बच्चों को सुरक्षित मुक्त कराकर उन्हें उनके माता-पिता या अभिभावकों तक पहुंचाने का सक्रिय प्रयास करना चाहिए ताकि इस तरह के अपराध पर नियंत्रण करने या उन्हें कम करने में मदद मिल सके। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 362 से 365 के तहत 10

वर्ष का कारावास तथा/या न्यायालय द्वारा निर्धारित अर्थदंड या दोनों की सजा दी जा सकती है।

4. **बलात्कार :** आज के आधुनिक युग में महिलाओं एवं बच्चियों के साथ यौन शोषण के सर्वाधिक मामले घटित हो रहे हैं। सभ्य समाज में सबसे घृणित कार्य बलात्कार को ही माना जाता है। बलात्कार के दोषी व्यक्तियों द्वारा महिलाओं के फैशन और उनके पहनावे इत्यादि को बलात्कार का मुख्य कारण बताया जाता है जबकि वास्तव में दोष उनकी नजरों में व्याप्त होता है। इस अपराध से आज महिलाएं एवं युवतियां ही नहीं अपितु छोटी-छोटी बच्चियां भी प्रभावित हो रही हैं और उन्हें भी कुंठित मानसिकता वाले लोगों द्वारा अपना शिकार बनाया जाता है। पुलिस को अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए बलात्कार पीड़िताओं को न्याय दिलाने का सक्रिय एवं कारगर प्रयास करना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा के लिए न्यायालय के समक्ष उचित साक्ष्यों के साथ पेश किया जाना चाहिए ताकि न्यायालय बालात्कार के दोषियों को शीघ्रातिशीघ्र उपयुक्त दंड दे सके। यदि बलात्कार के साथ-साथ पीड़िता की हत्या कर दी जाती है तो दोषियों को फांसी की सजा दिलवाना भी पुलिस प्राधिकारियों की प्राथमिकता बन जाती है। ऐसे मामलों में त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। दिल्ली का निर्भया हत्या मामला ऐसा ही है, जिसमें पहले बलात्कार एवं बाद में उसकी हत्या। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत 10 वर्ष से 14 वर्ष के कारावास की सजा बलात्कार के लिए, एवं यदि हत्या भी की गई है तो फांसी/उम्रकैद तथा/या न्यायालय द्वारा निर्धारित अर्थदंड या दोनों हो सकते हैं।

5. **मादक पदार्थों की तस्करी :** आजकल मादक पदार्थों की तस्करी वाले करोड़ों रुपए के इस अवैध कारोबार के कारण हमारे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ती जा रही है। इस अपराध में भांग, घतूरा, अफीम, कोकीन, हिरोइन, गांजा इत्यादि पदार्थों की अवैध खरीद-फरोक्त की जाती है। इस अपराध ने कई राज्यों में अपनी जड़ें बुरी तरह से जमा रखी हैं। वहां के युवा इसके सबसे ज्यादा शिकार हैं और देश को अवश्य ही गरत की ओर लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही कई राज्यों में शराब (देशी) बनाने वाली भट्टियां अभी भी बरामद होती रहती हैं। ऐसी शराब पीने से कई बार अनेक लोगों की मौत तक हो चुकी है। पुलिस ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए इस समस्या को काफी हद तक कम किया है किन्तु हमारे जैसे देश के लिए ये एक नासूर है, इसे जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए क्योंकि यह हमारे देश के युवाओं को अपने चंगुल में लेकर उन्हें अपना गुलाम बना रहा है और दुनिया के सबसे युवा देश भारत का सर्वनाश करने पर आमादा है। देश में नारकोटिक ड्रग एवं सायकार्टोपिक सब्सटेंस अधिनियम, 1985 के तहत दोषियों को उपयुक्त सजा एवं अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। आजकल मादक पदार्थों का सेवन सबसे अधिक पंजाब में हो रहा है, और वहां पर पुलिस को इसे रोकने में काफी सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं।

6. **धोखाधड़ी :** किसी व्यक्ति का प्लॉट, जमीन, दुकान, जायदाद इत्यादि धोखे से अपने नाम करवा लेना या एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग के उपयोग इत्यादि से धोखे से पैसा निकालने जैसी गतिविधियां इसमें आती हैं। आधुनिक समाज में धोखाधड़ी की

घटनाएं इसलिए भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि मानवीय मूल्य गिरते जा रहे हैं और संस्कृति के मानक भी दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। पुलिस की सख्त एवं सजगता से की गई कार्रवाई इन अपराधों को रोकने में अपनी महती भूमिका निभा सकती है। साथ ही, पुलिस को तकनीकी सेवी भी बनना होगा तभी ऐसे अपराधों सहित अन्य तकनीक जनित (साइबर) अपराधों से भी सहजता से निपटा जा सकता है और अपराधियों को उचित सजा दिलवायी जा सकती है। धोखाधड़ी उक्त तरीकों के अलावा अन्य अनेक प्रकार से की जाती है। धोखाधड़ी संबंधी मामलों में आईपीसी की धारा 420 के तहत 10 वर्ष तक के कारावास की सजा तथा/या निर्धारित अर्थदंड या दोनों दिए जा सकते हैं।

7. **महिलाओं पर होने वाले अपराध :** राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार, आजकल हमारे देश में महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इन अपराधों में महिलाओं पर घरेलू हिंसा, कार्यस्थलों पर महिलाओं से छेड़छाड़, अश्लील व्यवहार करना, कन्या भ्रूण हत्या, माँ की सहमति के बिना लिंग परीक्षण, अश्लील फोटो/फीचर इत्यादि दिखाना। महिलाओं को जबरन देह व्यापार में धकेलना, महिलाओं एवं बच्चियों का यौन शोषण इत्यादि शामिल हैं। स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था कि जब तक महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान एवं अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। इन अपराधों को नियंत्रित करने में पुलिस को और अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि इन अपराधों में महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराधों में कई बार पुलिस अमानवीय तरीके से पूछताछ करती है जिससे समाज में इन अपराधों के बारे में खुलकर नहीं बताया जाता है और लोग पुलिस थाने जाने में हिचकिचाते हैं। इसलिए पुलिस को विशेष रूप से ऐसे मामलों में अत्यधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है। इन अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीपीसी), सीआरपीसी, एवं महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत अलग-अलग कारावास तथा/या अर्थदंड या दोनों दिए जाने का प्रावधान है।

8. **बाल शोषण :** लगभग 135 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में बाल शोषण बहुत बड़े स्तर पर होता है। बच्चों से मजदूरी करवाना, घरों, दफ्तरों, कंपनियों, चाय की दुकान, साइकिल/मोटर साइकिल की दुकान, नाई की दुकान, किराना की दुकान, फैक्ट्रियों, इत्यादि में कार्य करवाया जाता है जबकि हमारे देश में बाल मजदूरी निषेध है। इन बच्चों को न तो शिक्षा दी जाती है, और न ही उन्हें शारीरिक रूप से खेलने कूदने का मौका मिलता है जिससे उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास भी नहीं हो पाता है। कुछ बच्चों को ठेलों, इत्यादि पर फल-सब्जी, खींचते हुए आसानी से देखा जा सकता है। इसके साथ ही, ऐसे बच्चों का यौन शोषण भी किया जाता है, और कहीं-कहीं तो छोटी उम्र के लड़कों के साथ कुकर्म तक होने की खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। इसे देखते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बनाया गया। इसके तहत 0 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के समस्त अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। जिस प्रकार राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग,

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग इत्यादि का अपना महत्व है उसी प्रकार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का भी अपना महत्व है। उक्त अधिनियम के तहत बच्चों से मजदूरी कराने वालों या उनका शोषण करने वालों को उचित सजा तथा/या अर्थदंड या दोनों का प्रावधान किया गया है।

9. **खादय पदार्थों की जमा-खोरी एवं उनमें मिलावट करना :** देश में लगभग सभी राज्यों के छोटे-बड़े जिलों, कस्बों, शहरों, नगरों एवं गांवों में खादय पदार्थों की जमाखोरी की जाती है। जमाखोरी करने वाले व्यापारियों/लोगों के लिए लाभ कमाना ही सर्वोपरि है, उन्हें दूसरे लोगों की जान एवं उनकी भावनाओं का कोई सम्मान नहीं होता है। इसके साथ ही, कुछ लोग/व्यापारी ऐसे भी होते हैं जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। ऐसी मिलावट करके ये लोग अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। ये खाद्य पदार्थों की जमाखोरी एवं उसमें मिलावट करके आवश्यक वस्तु अधिनियम इत्यादि के प्रावधानों का उल्लंघन तो करते ही हैं, साथ ही, लोगों के जान एवं माल दोनों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। पुलिस को समय-समय पर संबंधित विभागों के सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर ऐसे जमाखोरों व मिलावट करने वालों के प्रतिष्ठानों पर छापा मारना चाहिए तथा तदनुसार, कानूनी कार्रवाई करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए जिससे इन दोषियों को न्यायालय द्वारा उचित सजा मिल सके। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सजा एवं जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही, आईपीसी की धारा 272 एवं 273 के तहत भी पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकती है। इसमें 6 माह से 10 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान है।

10. **दहेज उत्पीड़न :** हमारे परिवारों में आज भी बहुत-सी नवविवाहिताओं को दहेज के लालच में जिंदा जला दिया जाता है अथवा जहर देकर मार दिया जाता है। हमारे देश में जब से दहेज निषेध अधिनियम, 1961 लागू हुआ है तब से ऐसे मामलों में काफी कमी आयी है। दहेज उत्पीड़न में महिला के मायके वालों से उसके पति या उसके परिवार/रिश्तेदारों के माध्यम से दहेज (पैसे) की मांग की जाती है और दहेज की मांग पूरी न होने पर संबंधित शादीशुदा महिला पर अनेक जुर्म किए जाते हैं। यह एक आपराधिक बुराई के साथ साथ एक सामाजिक बुराई भी है। हालांकि, एक तथ्य यह भी है कि आज इस दहेज कानून का बहुत बड़ी मात्रा में दुरूपयोग भी हो रहा है। इसकी आड़ में कुछ शातिर एवं मक्कार महिलाएं अपने ससुरालवालों एवं पति पर झूठे आरोप लगाती हैं और उन्हें जेल भिजवा देती हैं जिससे निर्दोष लोगों को जेल में सड़ना पड़ता है। इस प्रकार की खबरों को अखबारों/टीवी इत्यादि में समय-समय पर प्रकाशित/प्रसारित किया जाता है। पुलिस का यह दायित्व है कि इस प्रकार के मामलों में अत्यंत सावधानी बरतें और अच्छी सूझ-बूझ का परिचय देते हुए उचित कार्रवाई करे जिससे निर्दोष व्यक्ति को जेल न जाना पड़े। दोषियों को दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत कारावास की सजा तथा/या अर्थदंड या दोनों का प्रावधान है। वहीं आईपीसी की धारा 498ए एवं 406 के तहत भी 3 वर्ष का कारावास तथा/या निर्धारित अर्थदंड या दोनों दिए जा सकते हैं।

11. मानव अंगों का प्रत्यारोपण : हमारा देश विश्व का दूसरा अधिक आबादी वाला देश है। आबादी में चीन के बाद हमारे देश का दुनिया में दूसरा स्थान है। हमारे देश में मानव अंगों का अवैध कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। बहुत से गरीब, मजबूर एवं लाचार लोगों को ऐसे अवैध धंधे में पैसे का लालच देकर धकेल दिया जाता है। हमारे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में किडनी, फेफड़े, आंखें, दिल, लीवर इत्यादि का प्रत्यारोपण अवैध रूप से किया जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए के इस अवैध कारोबार की परतें हर जगह फैली हुई हैं। हालांकि, यह सत्य है कि ये कारोबार डॉक्टरों द्वारा या उनके सहयोग से अन्य कुछ लोगों द्वारा चलाया जाता है क्योंकि एक आम आदमी किसी अन्य व्यक्ति के किसी अंग को न तो इतनी आसानी से निकाल सकता है और न ही किसी दूसरे व्यक्ति में उन्हें प्रत्यारोपित कर सकता है। इसमें व्यक्ति को शल्य चिकित्सा में पारंगत होना अनिवार्य है। अतः पुलिस द्वारा इन अवैध कारोबारियों को पकड़ने के लिए विशेषज्ञों की टीम के साथ देश के नामचीन अस्पतालों/क्लिनिकों इत्यादि में छानबीन करते रहना चाहिए ताकि अवैध मानव अंगों की तस्करी या प्रत्यारोपण करने वाले लोगों को न्यायालय के समक्ष पेश कर उन्हें उचित सजा दिलवायी जा सके। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत 10 वर्ष तक के कारावास की सजा तथा/या अर्थदंड या दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही, न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 120 ख, 419 इत्यादि के तहत भी ऐसे मामलों में कारावास की सजा तथा/या अर्थदंड या दोनों प्रदान किए जाते हैं।

उक्त उल्लिखित अपराधों के अलावा भी अनेक प्रकार के अपराध समय-समय पर समाज में घटित होते रहते हैं। किसी भी अपराधी की जाति, धर्म, लिंग, स्थान, वर्ग इत्यादि के भेद भुलाकर कानून के अनुसार ही सजा प्रदान की जानी चाहिए। सभी लोगों को इसकी जानकारी विस्तृत रूप से तो नहीं होती है लेकिन मुख्य-मुख्य चीजों के बारे में सामान्य जानकारी रखना आज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है।

अपराध नियंत्रण : हमारे देश में घटित होने वाले विभिन्न अपराधों पर आईपीसी, 1960 एवं सीआरपीसी, 1974 में स्पष्ट प्रक्रिया एवं कारावास/फांसी की सजा/जुर्माने इत्यादि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, विभिन्न संबंधित अधिनियमों इत्यादि सहित उक्त अधिनियमों/संहिताओं के तहत कार्यवाही की जाती है जिससे दोषियों को दंडित किया जा सके। चूंकि हमारे देश में पुलिस की व्यवस्था 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम के माध्यम से की गई थी, इसलिए ब्रिटिश पुलिस का मूल उद्देश्य तो भारतीयों का शोषण ही रहा है। आज इस प्राचीन अधिनियम में आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे देश के उच्चतम न्यायालय ने भी देश की पुलिस का आधुनिकीकरण करने पर काफी जोर दिया है और इस संबंध में निर्देश भी दिए हैं। हालांकि, इस अधिनियम में समय-समय पर कुछ संशोधन किए गए हैं किन्तु वह नाकाफी ही हैं। इसके लिए आवश्यक है कि कानून का सख्ती से पालन कराया जाए और अपराधियों को बख्शा न जाए और उन्हें अवश्य सजा दिलवायी जाए। हमारे देश में पुलिस सहायता हेतु हेल्पलाइन 100, फायर बिग्रेड सहायता हेतु 101, एम्बुलेंस सहायता हेतु 102, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1091 हेल्पलाइन पहले से ही मौजूद हैं। बच्चों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नं. 1098 है। कोई भी व्यक्ति संबंधित टोल फ्री नं. पर कॉल कर अपनी समस्या बता सकता है जिससे उसे तत्काल सहायता प्रद्रान की जा सके।

विभिन्न प्रकार के अपराधों की सजा एवं अर्थदंड कितना होगा इसका वर्णन अधिनियम में स्पष्ट किया गया है। हमारी पुलिस दोषियों को न्यायालय के माध्यम से उचित सजा दिलवाने में सदैव संलग्न रहती है। समाज में होने वाले अपराधों के बदले दोषियों को न्यायालय के माध्यम से कड़ी सजा प्रदान करवाकर पुलिस समाज में ऐसा संदेश देती है जिससे अन्य लोग ऐसे अपराधों को करने से डरें और ये दंड पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन सकें और लोग कानून का पालन करें। हमारे गांवों, कस्बों, जिलों एवं राज्यों में पुलिस द्वारा अलग-अलग प्रकार से अपराध नियंत्रण का कार्य किया जा रहा है। आजकल पुलिस पैट्रोलिंग पर भी काफी बल दिया जा रहा है जिससे अपराधों को कम किया जा सके। इन गतिविधयों से अपराधियों पर निगाह रखी जाती है ताकि देशवासी अपने अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। इस प्रकार चोरी, डकैती, चेन स्नेचिंग, महिलाओं से छेड़छाड़ इत्यादि अपराधों को रोका जाता है। हमारे देश के विभिन्न एयरपोर्टों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, पर लोगों के सामान की पुलिस बलों द्वारा छानबीन या स्कैनर मशीन द्वारा जांच की जाती है ताकि उनके द्वारा मादक पदार्थों या अवैध कारोबार को बढ़ावा न दिया जा सके। भारतीय सेना के साथ मिलकर पुलिस बल हमारे राष्ट्र के चारों ओर बोर्डरों पर भी अवैध घुसपैठ, आतंकवाद, नक्सलवाद इत्यादि को नाकाम करते हैं क्योंकि इन रास्तों से अवैध चीजों का लेनदेन भी किया जाता है,और देश को कमजोर करने का प्रयास भी किया जाता है।

इसके साथ ही, समुद्री मार्गों से भी मादक पदार्थों की आवाजाही रोकना पुलिस बल का ही कार्य है। आप कहीं भी शहरों के मुख्य चौराहों पर या अन्य प्रमुख स्थानों पर चले जांए आपको बूढ़े, बच्चे, पुरुष या महिलाएं भीख मांगते हुए नजर आ जाएंगे। विभिन्न पुलिस संगठनों द्वारा इनकी जांच पड़ताल में पता चला है कि भीख मांगना व मंगवाना आज एक बहुत बड़ा अवैध कारोबार बन चुका है।

पुलिस की सक्रिय भूमिका कितनी जरूरी :

पुलिस विभिन्न अपराधों में पकड़े गए लोगों को संबंधित न्यायालयों में पेश करती है जिससे अदालत में उनके मुकदमे की सुनवाई को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके। बीमार कैदियों को पुलिस अस्पतालों इत्यादि में उनके उपचार हेतु भी ले जाती है जिससे उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। रैलियों, यातायात, वीआईपी सुरक्षा, धार्मिक आयोजनों की जिम्मेदारी इत्यादि का उत्तरदायित्व भी पुलिस पर ही होता है और वह इसे बिना किसी परेशानी के करवाने का प्रयास करती है। इसके साथ ही, पुलिस अन्य अनगिनत अपराधों में भी उचित कार्रवाई करते हुए अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है और अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दिलवाती है। सक्रिय भूमिका हेतु पुलिस एवं जनता दोनों को निम्नलिखित कुछ चीजों को अपनी कार्यशैली में लाना होगा -

जागरूकता : जनता में विभिन्न अपराधों के बारे में आवश्यक जागरूकता पैदा की जाए। जागरूकता के अभाव में देश की भोली-भाली जनता कई बार अपराधियों के झांसे में जा जाती है। जनता को पुलिस अधिकारियों से सुगमता से मिलने, कानून की सामान्य जानकारी व उसके अधिकारों की सहज जानकारी उपलब्ध करायी जानी भी आवश्यक है। बहुत-से अपराधों से बचने के लिए उसके बारे में जागरूकता काफी लाभदायक सिद्ध होती है। हमारे देश में सोनी एवं स्टार भारत चैनलों पर प्रसारित होने वाले क्रमशः क्राइम पैट्रोल डायल 100 एवं सावधान इंडिया इसका ही उदाहरण हैं।

पुलिस की सकारात्मक सोच : पुलिस के द्वारा विभिन्न अपराधों को रोकने के लिए सर्वप्रथम

उन्हें स्वयं आईपीसी एवं सीआरपीसी कानूनों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस अपराध में किस धारा के तहत मामला दर्ज किया जाए, इसकी पूर्ण जानकारी उन्हें रखनी चाहिए। इसके साथ ही, पुलिस को अपनी सोच को भी सकारात्मक रखना होगा। जीवन में सकारात्मक सोच के अभाव में व्यक्ति कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए जीवन में सकारात्मक सोच होना आवश्यक है। कहते हैं कि मन के हारे हार है, और मन के जीते जीत।

निष्पक्ष क्रियान्वयन : पुलिस को अपनी कार्यप्रणाली में जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, स्थान आदि को नजरअंदाज करते हुए केवल तथ्यों के आधार पर पूर्ण निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कानून का निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार से क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी लालच के जनता से सीधे संवाद करना चाहिए और अपनी निष्पक्ष कार्यवाही को अंजाम देना चाहिए।

पुलिस व जनता के बीच समन्वय : अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस व जनता को आपसी समन्वय भी रखना अत्यन्त आवश्यक है। जनता को पुलिस का साथ देना चाहिए क्योंकि पुलिस भी तो आखिर समाज का ही एक अंग है। पुलिस को सहयोग किए बिना देश में अपराधों को कम नहीं किया जा सकता है और न ही उन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि दोनों को एक दूसरे का समन्वय चाहिए जिससे अपराधमुक्त समाज की स्थापना की जा सके। आपसी सौहार्द एवं समन्वय से अपराधों को कम करने में काफी मदद मिलती है। एक अच्छे समाज के निर्माण में पुलिस की सक्रिय भूमिका सदैव ही महत्वपूर्ण है और हमेशा रहेगी। समाज में अपराधों को कम करना या उन्हें नियंत्रित रखना ही किसी भी गणतंत्र की प्राथमिकता होती है।

निष्कर्ष :

"पुलिस करे गर निष्पक्ष कार्यवाही,
तो आए कमी अपराधों में,

पुलिस जनता में हो समन्वय,
तो व्याप्त हो भय अपराधियों में ॥"

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस एवं जनता में आपसी सहयोग, पुलिस की सकारात्मक सोच, जनता में अपराधों के प्रति जागरूकता तथा कानूनों का सख्ती से पालन आवश्यक तत्व है। पुलिस में तकनीकी कौशल को भी बढ़ाना होगा, इसके साथ ही भविष्य में पुलिस भर्ती में तकनीकी ज्ञान युक्त उम्मीदवरों को प्राथमिकता प्रदान की जाए जिससे वे अन्य अपराधों के साथ साथ साइबर अपराधों में भी अपनी योग्यता को सिद्ध कर सकें। पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी प्रकार के अपराधियों को पकड़कर कानून के माध्यम से सजा दिलवाए और निर्दोष लोगों को जीने के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करे। पुलिस की सक्रिय, संकल्पबद्ध एवं निष्पक्षता पूर्ण कार्रवाई से अवश्य ही अपराधों में कमी आती है और कई बार तो पुलिस की तत्परता से अपराध घटित ही नहीं हो पाते हैं। उक्त बताए गए कुछ तरीकों को अपनाकर, पुलिस अवश्य ही अपराधों पर नियंत्रण प्राप्त करने में सफल हो सकती है। पुलिस को हमेशा से ही अपराधियों के प्रति सख्त दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे समाज में आम जनता बेखौफ रहकर जी सके और समाज में कानून का शासन स्थापित हो सके। अंत में, मैं बस यही कहूंगा कि –

"अपराधी और अपराधों से सख्ती से निपटा जाए।
इनको नरमी की भाषा, तो कतई समझ न आए॥"

❑

भारत में साइबर सुरक्षा - सामाजिक एवं वैधानिक विवेचन

डॉ. जी. एल. शर्मा
राजस्थान प्रशासनिक सेवा

सार संक्षेप

वैश्वीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के आधुनिक युग में साइबर अपराध विश्व के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वैधानिक, प्रशासनिक, राजनैतिक एवं नैतिक चुनौती बनकर उभरे हैं। साइबर सुरक्षा की अवधारणा साइबर और कम्प्यूटर संबंधी इन अपराधों से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा का आशय साइबर स्पेस को हमले, क्षति, दुरुपयोग और आर्थिक जासूसी से सुरक्षित करना है। साइबर स्पेस सूचना परिवेश के भीतर एक वैश्विक डोमेन है, जिसमें परस्पर निर्भर सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना जैसे इंटरनेट, टेलीकॉम नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम इत्यादि शामिल होते हैं। प्रस्तुत आलेख में साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित समस्त पहलुओं पर निम्न प्रकार समग्र विश्लेषण एवं विवेचन किया गया है।

- साइबर सुरक्षा - एक परिचय (Cyber Security - An Introduction)
- साइबर अपराध - अवधारणा (Concept of Cyber Crime)
- साइबर अपराध एवं आतंकवाद (Cyber Crimes and Terrorism)
- भारत में साइबर - अपराध की स्थिति (Cyber Crime in India)
- साइबर अपराध निवारण हेतु उपाय (Measures to Check Cyber Crimes)
- प्रमुख साइबर अपराध - एक दृष्टि में (Main Cyber Offences : At a Glance)
- साइबर-अपराध पर प्रथम अन्तरराष्ट्रीय कन्वेन्शन (First International Convention on Cyber Crime)
- ऑनलाइन हरेसमेंट (Online Harassment)
- आईटी एक्ट (संशोधन), 2008 (IT Act (Amendment), 2008)
- साइबर सुरक्षा के प्रमुख खतरे (Threats for Cyber Security)
- श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, 2015 (Shreya Singhal Vs. Union of India, 2015)
- निष्कर्ष एवं सुझाव (Conclusion and Suggestions)

संकेताक्षर - साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध, पोर्नोग्राफी, डाटा डिडलिंग, मेल-हाईजेकिंग, वेब-हाईजेकिंग, वायरस-वार्म अटैक, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, मनी, साइबर स्टाकिंग, ई-मेल बाम्बिंग, ट्रोजन हार्स, रैनसमवेयर मालवेयर।

वैश्वीकरण एवं सूचना-क्रांति के इस साइबर युग में कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट और इसके पश्चात् रोबोट समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं।

नवीन प्रौद्योगिकी के इस संजाल में अवसरों के साथ-साथ अनेक चुनौतियाँ हैं। इसलिए साइबर अपराध समकालीन आधुनिक अपराधशास्त्र की विषयवस्तु में सर्वाधिक रोचक एवं जटिल अध्ययन माना जा सकता है। इस प्रकार साइबर अपराध का क्षेत्र सोशल मीडिया (वाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर) से लेकर ई-कॉमर्स एवं ई-बैंकिंग और रक्षा-सुरक्षा (नाभिकीय संक्रियाएं) तक बहुत व्यापक एवं महत्वपूर्ण है।

साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गिब्सन ने वर्ष 1984 में अपनी पुस्तक 'न्यू रोमांसर' में किया था। यह एक ऐसी आभासी दुनिया है, जहां बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो आप देख नहीं सकते और यदि कुछ आप देख भी सकते हैं, तो उसे छू नहीं सकते। लेकिन इस आभासी दुनिया ने वास्तविक जगत् को जबर्दस्त ढंग से प्रभावित किया है। इसमें अकूत क्षमताएं हैं, अपार सम्भावनाएं हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि इंटरनेट और कम्प्यूटर के बिना रहा ही नहीं जा सकता।

लगभग 90 के दशक के मध्य का दौर दुनियाभर में तेजी से बढ़ते भूमण्डलीकरण और कम्प्यूटरीकरण का दौर रहा है। हर क्षेत्र में इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है चाहे वह व्यापार, शासन प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, या अन्य कोई भी क्षेत्र हो साइबर स्पेस के दायरे में आ चुका है। इलेक्ट्रॉनिक संचार और सॉफ्ट कॉपी जैसे माध्यमों का प्रयोग बढ़ा है। संचार नेटवर्किंग, सक्रियता और मनोरंजन जैसी बहुत ही आसान तथा सम्भव हुई है। इंटरनेट और कम्प्यूटर के माध्यम से विकास की गति तो तेज हुई है, परन्तु पिछले दशकों से इस आभासी दुनिया में अपराध भी बढ़े है, जो बहुत ही व्यापक और विधवंसकारी सिद्ध हो रहे हैं, इसे आमतौर पर साइबर क्राइम अथवा साइबर अपराध के नाम से जाना जाता है।

कम्प्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से घटित होने वाले अपराध साइबर-क्राइम कहलाते हैं। साइबर क्राइम श्वेतवसन अपराधों का तेजी से उभरता नया प्रतिमान है। साइबर-क्राइम भौगोलिक एवं भौतिक सीमाओं से परे अन्तरराष्ट्रीय (Transnational), अन्तरमहाद्वीपीय (Intercontinental) अपराध है जिसमें अनेक स्वरूप देखे जा सकते हैं, जैसे-साइबर-आतंकवाद, ई-मेल-स्पूफिंग, पोर्नोग्राफी, डाटा डिडलिंग, मेल-हाईजेकिंग, वेब-हाईजेकिंग, वायरस-वार्म अटैक, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, मनी लाण्डरिंग, साइबर स्टाकिंग, ई-मेल बाम्बिंग, ट्रोजन हार्स इत्यादि। रैनसमवेयर मालवेयर नामक कम्प्यूटर वायरस ने सोमवार 15 मई 2017 को 100 से ज्यादा देशों के लाखों कम्प्यूटर तथा ई-मेल को हैक कर दिया।

साइबर अपराध - अवधारणा (Concept of Cyber Crime)

साइबर अपराध से आशय उन अपराधों से है, जो इंटरनेट, कंप्यूटर एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित होते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्यतः कोई भी ऐसा काम, जिससे कंप्यूटर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता हो, साइबर क्राइम की परिधि में आता है। वस्तुतः साइबर क्राइम को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसे इंटरनेट एवं कम्प्यूटर की सहायता से किया जाता है। कहने का आशय यह है कि कोई भी ऐसा अपराध, जिसका उद्देश्य कंप्यूटर के काम में बाधा डालना हो, साइबर अपराध है। 'द आर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट' (ओईसीडी) ने साइबर अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया है-"बिना पूर्व अनुमति के आंकडों के संसाधन और संचरण से संबंधित कोई भी गैरकानूनी, अनैतिक, अनधिकृत काम साइबर अपराधों की श्रेणी में आता है।"

साइबर अपराधों का दायरा बहुत व्यापक है, क्योंकि ये विश्व स्तर पर घटित होते हैं। कहीं भी बैठकर उन्हें अंजाम दिया जा सकता है। ये दूसरे प्रकार के अपराधों को कारित करने में भी सहायक की भूमिका निभाते हैं। वायरस के जरिये व्यवस्था को बाधित करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आपत्तिजनक प्रसारण, ईमेल पर धमकी देना या परेशान करना, पैसों की मांग करना, आंतकवादी गतिविधियों का संचालन, कम्प्यूटर से संबंधित प्रोपर्टी को नष्ट करना, किसी कंपनी या व्यक्ति के डाटाबेस को चुरा लेना, साइट हैक करना, इंटरनेट के जरिये ठगी करना जैसे कुकृत्य साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं।

अश्लील साइट्स भी साइबर अपराध का ही अंग है इन्होंने अश्लीलता को बढ़ाया है। घर-परिवार तक इनकी पहुंच बढ़ी है, फलस्वरूप सांस्कृतिक क्षरण शुरू हुआ है। युवा पीढ़ी तेजी से इस अश्लीलता की गिरफ्त में आ रही है। अश्लील साइटें सांस्कृतिक एवं वैचारिक प्रदूषण फैलाने का काम कर रही हैं। इसने उस अपसंस्कृति को जन्म दिया है, जिसकी मजबूत पकड़ आज के युवा पर इस कदर बन गई है कि उसे अच्छे-बुरे का फर्क करने की समझ नहीं रह गई।

कैसी विडंबना है, जीवन को सुलभ और आसान बनाने वाली इंटरनेट तकनीक का ज्यों-ज्यों विकास हो रहा है, त्यों-त्यों इससे जुड़े खतरे भी बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद का है। इंटरनेट आतंकवादियों के लिए मददगार साबित हो रहा है। यह गुप्त संदेशों के आदान-प्रदान का सुरक्षित एवं त्वरित जरिया बन रहा है। जहां आतंकवादियों ने सोशल मीडिया को कट्टरपंथ फैलाने का हथियार बना लिया है, वहीं यह आतंकवाद के प्रशिक्षण में भी सहायक बन रहा है। साइबर हमलों की संभावना बढ़ी है।

साइबर अपराध एवं आतंकवाद (Cyber Crimes and Terrorism)

साइबर अपराध का आजकल आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने लगा है। भारत में सूचना-प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66-एफ में साइबर आतंकवाद के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। साइबर सुरक्षा अब एक बड़ी चुनौती बन चुकी है।

आंतकवादी गुप्त संदेशों के आदान-प्रदान के रोज नये-नये तरीके निकाल कर सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष चुनौतियां पेश किया करते हैं। शाब्दिक संदेशों के पकड़े जाने का ज्यादा खतरा रहता है, इसे ध्यान में रखकर आतंकवादियों ने संदेशों का आदान-प्रदान कोडित और इनक्रिप्टेड संदेशों के जरिये करना शुरू कर दिया है, जिन्हें 'विकोडित' कर उनके अर्थ को समझ पाना सुरक्षा एजेंसियों के नुमाइंदों के लिए आसान नहीं होता है। आतंकवाद में इंटरनेट की बढ़ती भूमिका को लेकर अमेरिका जैसा विकसित देश भी चिंतित है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया है कि अग्रणी पंक्ति के विश्व के आतंकवादी संगठनों ने संदेशों के आदान-प्रदान के लिए 'स्टेगैनोग्राफी' का प्रयोग शुरू कर दिया है इसके जरिये इनक्रिप्टेड संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में छिपाया जाता है। आतंकवादी अपनी योजनाओं के खाके एवं अन्य गोपनीय संदेशों को चैट रूम, अश्लील वेबसाइटों के बुलेटिन बोर्ड और अन्य ऐसी वेबसाइटो में रख रहे हैं, जिस पर शक आसानी से नहीं होता।

इंटरनेट बैंकिंग में भी साइबर अपराध के घातक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। 'क्लोन वेबसाइटों' ने तहलका मचा रखा है। खातों से रकम चोरी की

घटनाएं निरन्तर बढ़ रही हैं। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि अच्छी और त्वरित सेवा के लिए जाने वाले अनेक बैंकिंग से संबंधित कोई भी निजी सूचना या जानकारी इंटरनेट पर कदापि जारी नहीं करने के निर्देश दिए जाते हैं। कुल मिलाकर यह देखने को मिल रहा है कि साइबर अपराधों ने सोशल मीडिया एवं इंटरनेट के चेहरे को नकारात्मक बनाना शुरू कर दिया है।

साइबर क्राइम सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, यह तो विश्वव्यापी एवं व्यापक समस्या है। इंटरनेट पर पहचान छुपाए रखने की सुविधा साइबर अपराधों के संदर्भ में अभिशाप बन गई है। इसी कारण इसका दुरुपयोग दिनोंदिन बढ़ रहा है। यह साइबर अपराधों का मुख्य केन्द्र बन गया है। अपराधी तो इसके दुरुपयोग में लिप्त हैं ही, कतिपय ऐसे व्यक्ति भी साइबर अपराधों के दायरे में आकर काम कर रहे हैं, जिनका मकसद खिलवाड़ करना होता है। इस प्रवृत्ति के पनपने से स्थिति और बिगड़ रही है। साइबर अपराधों से जुड़ी एक विशिष्टता यह भी है कि ये पलक झपकते होते हैं। यानी इन्हें अंजाम देने में समय नहीं लगता है। माउस की एक क्लिक के साथ एक बड़ा अपराध हो जाता है।

साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं निगरानी रख पाना एक दुश्वारियों भरा काम है। चूंकि ये नये किस्म के अपराध रहे हैं, अतएव इनकी कानूनी घेराबंदी भी मजबूत नहीं हो पाई है, दूसरे इसका क्षेत्र पूरा विश्व है। बहुत दूर किसी देश में बैठा हुआ अपराधी अपराध कर सकता है। फलस्वरूप जिस देश में अपराध होता है, वहां की पुलिस कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं होती है। आपराधिक दायित्व सुनिश्चित करने में भी मुश्किल आती है। अक्सर ऐसे अपराधों की सुनवाई में यह मुश्किल पेश आती है कि मुख्य अपराधी का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। आरोप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर तय किया जाए अथवा सामग्री उपलब्ध कराने वाली वेबसाइट पर या साइबर कैफे पर या एडमिन पर या एड्रेसी पर।

साइबर अपराधों पर अंकुश एवं इनसे बचाव के लिए विश्व के सभी देश कानून बनाने में जुटे हैं। भारत भी इस दिशा में प्रयासरत है। भारत सरकार ने अगस्त 2000 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पारित करके इस दिशा में प्रयास किए और सूचना प्रौद्योगिकी को भी कानूनी दायरे में लाने का काम किया। इस किस्म के अपराधों पर नियंत्रण के लिए 'साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल' और 'साइबर क्राइम रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट यूनिट' की स्थापना देश में की गई है। इन तमाम प्रयासों के बावजूद दोष सिद्ध कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अतः अपराधी बच निकलते हैं। साइबर अपराधों से जुड़े थाने भी देश में गिने-चुने हैं। अतः अपराध दर्ज कराने में भी मुश्किल आती है। लोगों को इस बारे में पर्याप्त जानकारी भी नहीं है। एक खास बात यह भी है कि इस तरह के अपराध अनपढ़ या गंवार नही करते हैं। इस तरह के अपराधों को करने में पढ़ा-लिखा तबका आगे है, जो सुनियोजित तरीके से साइबर अपराधों को करता है, और सुबूत भी नही छोड़ता है। हाईप्रोफाइल लोग साइबर अपराधों में अधिक लिप्त देखे जा रहे हैं, जिससे स्थिति और भयावह हुई है।

जहां तक साइबर अपराधों से निपटने का प्रश्न है, तो यह अकेले भारत के वश की बात नहीं है, क्योंकि इन अपराधों का क्षेत्र विश्वव्यापी है। इससे निपटने के लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय कानून की तो जरूरत है ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा का एक मजबूत तंत्र भी विकसित किए जाने की जरूरत है। इसमें भारत सहित विश्व के सभी देशों को सहयोग देना होगा। यह सम्मिलित पहल जितनी

जल्दी हो, उतना ही बेहतर है, अन्यथा साइबर अपराध से जुड़े खतरे बढ़ते ही जाएंगे। इन खतरों में सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद का है। जिस तरह से इंटरनेट आतंकवाद के प्रचार-प्रचार एवं आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में मददगार की भूमिका निभा रही है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में आतंक फैलाने के लिए बम का नहीं 'की-बोर्ड' का इस्तेमाल होगा। इस खतरे के प्रति समूचे विश्व को चेतना होगा।

इसमें कोई दो राय नहीं कि कंप्यूटर और इंटरनेट विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सुंदरतम् सौगातें हैं। इन्होंने जीवन को आसान बनाते हुए पूरी दुनिया को जोड़ने का काम किया है। यदि इस तकनीक को नकारात्मक एवं आपराधिक स्पर्श देने वालों की हरकतों को नियंत्रित कर लिया जाए, तो इसका सुरक्षित प्रयोग सभी के लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसकी जनोपयोगी छवि दूषित नहीं हो पाएगी। अतः यह जरूरी हो गया है कि समूचा विश्व इसके घातक परिणामों पर लगाम कसने में तत्परता दिखाए। तभी ग्लोबल विलेज की अवधारणा साकार होगी।

भारत में साइबर-अपराध की स्थिति (Cyber Crime in India)

जिस तेजी से तकनीक ने जीवन में दखल देना शुरू किया है, उसी तेजी से जीवन के सफेद और स्याह रंग भी तकनीकी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। आदर्शों, मूल्यों और ज्ञान-विज्ञान की अथाह पूंजी के साथ-साथ मानवीय कुंठाएं और आपराधिक व्यवहार भी यहां गति पकड़ रहे हैं और जाहिर तौर पर इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रही है आधी आबादी। ऑनलाइन हरेसमेंट, आईडी थैफ्ट, ईमेल स्पूफिंग, साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन बुलइंग जैसे शब्दों का चलन अब हमारे बीच आम होने की स्थिति में हैं।

एक अनुमान के अनुसार विश्व की लगभग ढाई अरब ऑनलाइन पॉपुलेशन में तकरीबन 63 हजार स्टॉकर मौजूद हैं। सूचना-संचार तकनीक ने उन्हें यह सुविधा दी है कि वे दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर छोटी-सी स्क्रीन एवं माउस के माध्यम से अपनी मनः विकृतियों और कुंठाओं को पुष्ट कर सकें। हाल ही में वुमन एंड वर्बल एब्यूज ऑनलाइन इन इंडिया विषय पर हुए एक अध्ययन से पता चला कि सुरक्षा के सवाल को लेकर महिलाएं कहीं भी निश्चिंत नहीं हैं। न असल दुनिया में, न आभासी दुनिया में। अभद्र शब्दावली से लेकर दैहिक शोषण तक किसी भी अनहोनी के होने की दहशत और आशंका यहां भी हर पल मौजूद है। गली-मुहल्ले, नुक्कड़, स्कूल-कॉलेज के आसपास और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर मिलने वाले रोडरोमियों यहां पर साइबर स्टॉकर बने उनका पीछा कर रहे हैं। ई-मेल पर उन्हें अनचाहे मैसेज और प्रेम-आमंत्रण मिल रहे हैं तो सोशल साइट्स पर अवांछित टिप्पणियां, भद्दे पोस्ट, पोर्नोग्राफिक चित्र में वीडियो जबरन चिपकाए जा रहे हैं। आईडी थीफ उनकी पहचान से जुड़े दस्तावेजों और सूचनाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और हैकर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम में अनाधिकृत घुसपैठ करके डाटा से छेड़छाड़ कर रहे हैं।

कुल मिलाकर कहें तो साइबर स्पेस का यूज कर रही स्त्री को नहीं मालूम कि दोस्त समझकर अपने कितने दुश्मनों की 'रिक्वेस्ट' को 'कंफर्म' कर दिया है और दुनिया के किस कोने से कौन चेहरा उसकी हर एक गतिविधि पर नजर जमाए हुए है। जरूरी नहीं कि साइबर स्टॉकर उसका पड़ोसी हो, कॉलेज का सहपाठी हो, या कहीं भी, कभी भी, सरेराह टकरा जाने वाला जाना-पहचाना चेहरा। वह

कोई भी हो सकता है–स्त्री या पुरूष, परिचित–अपरिचित, देशी–विदेशी। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ये आपराधिक प्रवृत्तियां दरअसल अनेक प्रकार के सामाजिक द्वंद्वों से उपजी कुंठाएं हैं, जो स्वस्थ मनो–धरातल के अभाव में सामने आ रही हैं।

साइबर क्राइम विशेषज्ञों के मुताबिक ऑनलाइन हरेसमेंट की चपेट में अधिकतम वे महिलाएं आती हैं, जो सतही जानकारियों के साथ इस मायावी दुनिया में जी रही होती हैं। जो खुद को इस दुनिया का हिस्सा तो बना लेती हैं पर अपनी सुरक्षा के हिस्से का उपयोग करना नहीं सीख पातीं। वह महिलाएं तकनीक और कानून द्वारा दी गई सुरक्षा सुविधाओं से वाकिफ नहीं होती। कई मामलों में भावुक, स्वप्नदर्शी और महत्वाकांक्षी स्त्रियां स्वयं ही इस जाल में उलझ जाती हैं। साइबर जगत से जुड़ी 70 प्रतिशत महिलाएं अश्लील मैसेज, अभद्र और पोर्नोग्राफिक सामग्री पर टैनिंग की गुपचुप शिकायतें करती हैं, लेकिन कानून की शरण में नहीं जाती। निश्चित रूप से इस कारण स्टॉकर्स को बढ़ावा मिलता है विशेषज्ञों का कहना है कि स्टॉकर्स को ट्रेस करना आसान नहीं होता क्योंकि अधिकतर वेबसाइट्स विदेशों से संचालित हैं, साइबर सेल इनवेस्टीगेटर इन्हें आईपी (इंटरनेट प्रोटोकोल एड्रेस) के जरिए ट्रेक करते हैं। लेकिन यदि इंटरनेट कैफे से आपराधिक गतिविधि संचालित हो रही हो तो ऐसे मामलों में क्रिमिनल ट्रेकिंग और मुश्किल हो जाती है।

अपने देश में महिला सुरक्षा के लिए बने कानूनों की एक लंबी फेहरिस्त मौजूद है–आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506 और 509 के अलावा आईटी एक्ट 2000 और 2008 के विभिन्न प्रावधान होने पर भी विडंबनापूर्ण तथ्य है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्थितियों में पीड़िताएं कानूनी सहायता लेने में हिचकती हैं। उन्हें लगता हैं कि यहां कानूनी मदद से राहत पाने तक का सफर जितना लंबा और आफत भरा है, उससे बेहतर है कि व्यक्तिगत स्तर पर ही कोई प्राथमिक उपचार तलाश लिया जाए। नतीजतन, वे व्यक्ति विशेष को अनफ्रेंड या ब्लॉक करने से लेकर फेक आईडी के जरिए आभासी दुनिया में 'सुरक्षित' निकल लेती हैं। हालात यह है कि दुरूपयोग होने के भय से महिलाएं सोशल साइट्स पर अपने फोटो अपलोड करने से कतराती हैं और पर्सनल प्रोफाइल में जानबूझकर गलत जानकारियां शामिल करती हैं।

इसका पहला और सबसे अहम समाधान खुद स्त्री के पास है। इस बिंदु पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात खुद स्त्री को ही तय करनी है कि क्या सशक्त स्थिति के लिए वाकई उसे कानूनों के उलझे हुए जाल की जरूरत है या स्वस्थ सोच और जागरुकता की? जिस तकनीकी दुनिया से जुड़कर स्त्री आज खुद को ज्यादा अभिव्यक्तिपूर्ण, अधिक आजाद और ज्यादा प्रगतिशील महसूस कर रही है, वहां उसकी अभिव्यक्ति, आजादी और प्रगतिशीलता की एक बड़ी कसौटी यह भी है कि वह किसी भी अवांछित गतिविधि से न डरे, न ही उसे नजरंदाज करे। बल्कि उन्मुक्त होकर प्रतिरोध करे, कानून की मदद ले और आत्मविश्वास के साथ ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन भी शोषणमुक्त जीवन के अधिकार को बनाए रखे। यही महिला सशक्तीकरण की वास्तविक कसौटी है।

साइबर अपराध निवारण हेतु उपाय (Measures to Check Cyber Crimes)

- देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोकव्यवस्था इत्यादि को प्रभावित करने वाली क्रिटिकल इंफोर्मेशन इन्फ्रास्ट्रेक्चर (CII) को संरक्षित प्रणाली घोषित किया गया है, धारा–70 (IT Act)।

- CII की सुरक्षा एवं शोध हेतु राष्ट्रीय नोडल ऐजेन्सी (NNA) का गठन, धारा 70 ए (IT Act)।
- साइबर सुरक्षा के कार्यों हेतु भारतीय कम्प्यूटर आपात एजेन्सी टीम (ICERT) की नियुक्ति, धारा 70 बी (IT Act)।

प्रमुख साइबर अपराध (IT Act) : एक दृष्टि में (Main Cyber Offences : At a Glance)

- कम्प्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़ - धारा 65 (सजा 3 वर्ष कारावास या 2 लाख रुपये जुर्माना)।
- आक्रामक एवं धमकी वाले संदेश - धारा 66 ए (सजा 3 वर्ष कारावास या 2 लाख रुपये जुर्माना)।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) के मामले में धारा 66-ए को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया है।
- पहचान या पासवर्ड चोरी (प्रतिरूपण) धारा 66 सी,डी (सजा 3 वर्ष कारावास या 2 लाख रू जुर्माना)।
- साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism) (सजा आजीवन कारावास)।
- अश्लील प्रकाशन धारा 67 (सजा 5 वर्ष कारावास या 5 लाख रुपये जुर्माना)।
- संरक्षित प्रणाली (Protective System) तक अनाधिकृत पंहुच, धारा 70 (सजा 10 वर्ष कारावास या जुर्माना)।

भारत में साइबर अपराधों को रोकने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000) पारित किया गया है। इस तरह भारत साइबर लॉ बनाने वाला विश्व में 12वाँ देश बन गया है। इसके अलावा देश में साइबर क्राईम और साइबर क्रिमिनल्स पर नियंत्रण रखने हेतु विख्यात अधिवक्ता फली नरीमन (Fali Nariman) की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है जो समय-समय पर साइबर अपराधों के सम्बन्ध में सरकार को सूचना देती हैं। इस समिति ने एक नया कम्यूनिकेशन कन्वर्जेन्स बिल (Communication Convergence Bill, 2001) संसद में पेश किया है जो सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवं केबल नेटवर्क को जोड़कर बनाया है। इससे साइबर अपराधों को काफी हद तक रोका जा सकेगा।

साइबर-क्राइम पर प्रथम अन्तरराष्ट्रीय कन्वेन्शन (First International Conventional on Cyber Crime)

बुडापेस्ट कन्वेन्शन ऑन साइबर-क्राइम, 2001 (Budapesat Convention on Cyber Crime), जो जुलाई 2004 से लागू हुआ, में साइबर-क्राइम को 21वीं सदी का सबसे बड़ा खतरा बताया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की जनरल एसेम्बली द्वारा वर्णित UNCIRAR मॉडल के आधार पर भारत में साइबर-क्राइम्स से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT Act) लागू किया गया जिसमें 2008 में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं।

अस्सी के दशक में इंटरनेट के आगमन के साथ जहां सूचना और संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए, वहीं वैश्विक अंतरसंबंधों के समीकरण भी बदल गये। इंटरनेट ने सुविधाओं के द्वार भी खोले हैं। जहां ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग, चैटिंग, ब्लागिंग

तथा ईमेल से सूचनाओं के आदान-प्रदान में गति आई, वहीं बैंकिंग, शोध, शिक्षा कारोबार आदि के क्षेत्रों में भी सुगमता बढ़ी। टिकटों की बुकिंग से लेकर खरीदारी तक इंटरनेट के माध्यम से होने लगी है।

इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस इंटरनेट ने सूचना एवं संचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाकर जीवन को सुगम बनाया तथा 'ग्लोबल विलेज' की अवधारणा को सार्थकता प्रदान की, उसका दुरुपयोग आपराधिक मानसिकता के लोगों ने शुरू कर दिया। 'साइबर क्राइम' उन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की देन है, जो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल निजी स्वार्थों के लिए करते हैं। यानी अपराध के विषैले दंश में अब इंटरनेट भी अछूता नहीं रहा है। चूंकि इंटरनेट का विश्वव्यापी संजाल पूर्णतः स्वतंत्र है, अतएव इस पर निगरानी या नियंत्रण रख पाना टेढ़ी खीर है। इसका लाभ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उठाने से नहीं चूकते हैं। यही करण है कि धीरे-धीरे साइबर क्राइम का ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आए दिन लोग साइबर क्राइम का शिकार बन रहे हैं। एक अच्छे व प्रभावी माध्यम को कलंकित करने का खेल साइबर क्राइम के रूप में शुरू हो गया। इस समस्या से भारत ही नहीं, सारा विश्व ग्रसित एवं चिंतित है।

ऑनलाइन हरेसमेंट (Online Harassment)

ऑनलाइन हरेसमेंट के उपचार के रूप में प्रस्तुत आईटी एक्ट क्या वाकई उपचार की गारंटी देता है? सबसे पहले बात करें एक्ट की मूल भाषा की। अधिनियम में जिन शब्दों का जिक्र किया गया है (अश्लील, गलत, भ्रम पैदा करने वाला, असुविधा पहुंचाना, क्रोधित करना, अपमानित करना, बाधा पहुंचाना, खतरा पैदा करना, दुश्मनी निकालना या बुरा चाहना) उनमें से किसी भी शब्द की स्पष्ट परिभाषा या व्याख्या अधिनियम नहीं देता। नतीजतन कानून को आवश्यकतानुसार तोड़ने-मरोड़ने की गुंजाइशें बनती हैं।

- धारा 66 ई में निजता के उल्लंघन की बात की गई है, लेकिन जहां खुद स्त्रीवादी खेमे से दैहिक अभिव्यक्ति के अधिकार की मांगें उठ रही हैं, वहां स्त्री के खुलेपन में शालीनता और अश्लीलता के मानक कैसे तय होंगे? अगर कोई महिला स्वेच्छा से दैहिक प्रदर्शन करने वाली सामग्री अपलोड़ करती है तो उसे अपराध माना जाएगा या उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता?

- धारा 67 में जनहित की बात की गई है लेकिन वहां भी जनहित, वैधता और अवैधता की सीमाएं कैसे तय होंगी?

आईटी एक्ट (संशोधन), 2008 (IT Act, Amendment, 2008)

आईटी एक्ट में महिलाओं की अमर्यादित दृश्य-प्रस्तुति ही नहीं बल्कि शाब्दिक अभद्रता के लिए भी दण्ड का प्रावधान है। इस एक्ट के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति यदि कम्प्यूटर या अन्य किसी संचार उपकरण के माध्यम से ऐसा संदेश भेजता है जो अश्लील, गलत, भ्रम पैदा करने वाला हो तथा जिसका उद्देश्य किसी को असुविधा पहुंचाना, क्रोधित करना, अपमानित करना, बाधा पहुंचाना, खतरा पैदा करना, दुश्मनी निकालना या बुरा चाहना हो, तो ऐसे संदेश के लिए जुर्माने के साथ तीन साल तक की सजा हो सकती हैं।'

धारा 66 ई. - इसी एक्ट की धारा 66 ई में कहा गया है कि किसी भी रूप में व्यक्ति की

अनुमति के बिना उसके संपूर्ण शरीर या शरीर के किसी एक हिस्से का प्रदर्शन उसकी निजता का उल्लंघन माना जाएगा।

धारा 67- आईटी एक्ट के सेक्शन 67 में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण करना या उसका हेतु बनना अवैध माना गया है, साथ ही यह भी कहा गया है कि वह सामग्री वैध मानी जाएगी जो कला, साहित्य, शिक्षा, धर्म, विज्ञान आदि से जुड़े कामों के लिए जनहित में तैयार की गई हो।

साइबर सुरक्षा के प्रमुख खतरे (Threats for Cyber Security)

एक अध्ययन के अनुसार वर्तमान में करीब 166 प्रकार के कम्प्यूटर क्राइम हैं, जिन्हें साइबर क्राइम की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन साधारणतया इन सभी अपराधों को तीन स्वरूपों में देखा जा सकता है। पहला किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ दूसरा धन या सम्पत्ति के हेर-फेर और तीसरा सरकार या सरकारी संस्था के विरुद्ध इसे साइबर आतंकवाद के रूप में भी जाना जाता है। व्यापक रूप में देखा जाए, तो इंटरनेट के माध्यम से किए गए अपराध जिसमें क्रेडिट कार्ड, धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, शिशु पोर्नोग्राफी, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से अभद्रता, अनैतिक संगणक भजन (हैंकिग), निजता का हनन आदि को साइबर अपराध के रूप में देखा जाता है।

भारत इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। आज साइबर क्राइम विश्व की सबसे ज्वलंत एवं चर्चित समस्या बन चुका है। साइबर अपराध के कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं:-

- **हैकिंग (Hacking):-** साइबर अपराधी किसी कम्प्यूट नेटवर्क में प्रवेश करके किसी की निजी जानकारी जैसे- नेट बैंकिंग पासवर्ड, क्रेडिट/डेबिट कार्ड का कोड या पासवर्ड एवं जानकारी को चुरा लेता है।
- **फिशिंग (Phishing):-** किसी को फर्जी ई-मेल भेजकर या प्रलोभन देकर ठगा जाता है। फर्जी मैसेज या फोन कॉल से एटीएम नम्बर या पासवर्ड की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। बैंक का बहाना लगाकर ग्राहकों को फँसाया जाता है।
- **वायरस (Virus) फैलाना:-** साइबर अपराधी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कम्प्यूटर पर भेजते हैं जिसमें वायरस छिपे हो सकते हैं। जैसे- वायरस, वॉर्म, टॉर्जन हॉर्स, लॉजिक हॉर्स इत्यादि। ये वायरस या वार्म कम्प्यूटर को काफी हानि पहुँचा सकते हैं।
- **सॉफ्टवेयर पाइरेसी (Software piracy):-** सॉफ्टवेयर को नकली तैयार कर सस्ते दामों में बेचना भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। पाइरेसी का एक सामान्तर साइबर बाजार साफ्टवेयर कंपनियों को भारी नुकसान पहुँचा रहा है।
- **साइबर बुलिंग (Cyber bullying):-** फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अशोभनीय कमेंट करना, धमकियां देना, मजाक उड़ाना या तंग करना, शर्मिंदा करना या इंटरनेट के माध्यम से दुरूप्रयोग (abuse) करना साइबर बुलिंग कहलाता है। अक्सर टीन एजर इसका शिकार होते हैं। यह साइबर उत्पीड़न (cyber harassment) भी कहलाता है।

- **साइबर वसूली (Cyber Extortion):-** जब कोई वेबसाइट या सर्वर या कम्प्यूटर-इकाई को लगातार धमकी दी जाती है और उससे किसी सर्विस के बदले पैसों की मांग करके ब्लेकमेल किया जाता है, तो इसे साइबर वसूली कहते हैं।

- **स्पूफिंग (Spoofing):-** इंटरनेट नेटवर्क पर कोई यूजर अपनी असली पहचान छुपाकर नकली (fake) पहचान बनाकर अटैक या फ्रॉड करना, स्पूफिंग कहलाता है।

- **स्पैमिंग (Spaming):-** अनावश्यक एवं भारी संख्या में एक साथ मेल/मैसेज भेजकर परेशान करना। ये अक्सर किसी अवैध/समान/सेवा को बेचने या ऑफर देने से संबधित होते हैं।

- **साइबर वारफेयर (Cyber Warfare):-** जब साइबर अपराध की गतिविधियाँ अन्तरराष्ट्रीय सीमा पार करके किसी अन्य देश के हितों को अपने दायरे में ले लेती हैं तो यह प्रघटना साइबर वारफेयर कहलाती है।

- **साइबर स्टाकिंग (Cyber Stalking):-** यह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। इसमें पीड़ित को मैसेज या ई-मेल से परेशान किया जाता है। सीएस या साइबर स्टॉकिंग एक तरह के मानसिक कुण्ठा की प्रवृत्ति है, जो पीड़ित के जीवन को न केवल तहस-नहस कर सकती है, बल्कि उसे मनोरोग, मृत्यु या आत्महत्या तक किसी भी त्रासदी में धकेल सकती है। साइबर स्टॉकिंग का आशय है आभासी दुनिया में किसी व्यक्ति की निजता का अतिक्रमण करना, उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखना और अवैध रूप से सूचनाओं का प्रयोग करते हुए संबंधित व्यक्ति का मानसिक उत्पीड़न करना।

- **पहचान या पासवर्ड चोरी (Identify or password Theft):-** ई-बैंकिंग एवं ई-पेमेंट करने वालों के लिए यह साइबर अपराध भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है।

- **डार्कनेट मार्केट (Darknet Markets):-** इस प्रक्रिया से नशीले पदार्थ एवं ड्रग्स का अवैध आदान-प्रदान होता है। डार्क वेबसाइट सिल्करोड (Silk Road) ने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा बाजार विकसित कर लिया है।

- **साइबर आतंकवाद (Cyber Terrorism):-** सूचना-क्रांति ने विश्व को एक नए संकट एवं चुनौति से रूबरू कराया है। कम्प्यूटर एवं इन्टरनेट के माध्यम से समाज में डर, खौफ, आतंक एवं भय उत्पन्न करना साइबर आतंकवाद है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (एफ) में इसके लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

- **डॉस अटैक (Dos- Denial-of-Service Attack):-** यह ऐसा साइबर आक्रमण है जिसमें मशीन विशेष में इन्टरनेट या होस्ट सर्विस में रुकावट पैदा कर दी जाती हैं। यह प्राय: वाणिजियक या बैंकिंग क्षेत्र में घटित होता है।

- **रैनसमवेयर मालवेयर (Ransomware Malware):-** यह एक कम्प्यूटर वायरस है जो वार्म (Worm) के कॉम्बिनेशन में प्रयोग में लाया जा रहा है। यह कम्प्यूटर फाइल को बर्बाद करने की धमकी देता है कि अगर अपनी फाइलों को बचाना है तो फिरौती फीस चुकानी

होगी। ये वायरस कम्प्यूटर में मौजूद फाइलों और वीडियों को इनक्रिप्ट कर देता है और उन्हें फिरौती देने के बाद ही डिक्रिप्ट किया जा सकता है। 15 मई 2017 को रैनसमवेयर ने भारत और यूरोप समेत दुनिया के 100 से अधिक देशों को चपेट में ले लिया था।

वास्तव में 21वीं सदी में साइबर अपराध एक नई और विकट समस्या के रूप में तेजी से उभर रहा है। साइबर अपराध को एक बन्द कमरे से भी अंजाम दिया जा सकता है दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर साइबर अपराधी बड़ी-बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ये सफेदपोश अपराधी विधिक प्रावधानों और कानूनों से बचते हुए समाज के आदर-सम्मान एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। इनकी पहचान एवं अभियोजन आसान नहीं होता। साइबर अपराध की स्पष्ट व्याख्या के अभाव में अपराधी सजा पाने से बच जाते हैं। साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए और अधिक सख्त कानून के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है।

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, 2015 (Shreya Singhal Vs. Union of India, 2015)

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साइबर कानून की विवादित धारा 66ए को रद्द कर दिया है। सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के मामले में पुलिस अब आननफानन गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आईटी एक्ट की धारा 66ए संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुरूप नहीं है।

उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 19(2) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता का अधिकार देती है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजा फैसला 66ए समेत कुछ अन्य धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनाया है।

इस फैसले से पहले आईटी एक्ट की धारा 66ए के तहत सोशल नेटवर्किंग साइटों पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी, जिसकी संवैधानिक वैधता को कई लोगों ने चुनौती दी थी। इस मुद्दे पर सरकार की ओर से तर्क पेश किए जाने के बाद न्यायाधीश जे चेलमेश्वर और न्यायाधीश आरएफ नरीमन की पीठ ने 26 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66ए को रद्द करते हुए कहा कि ये धारा सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले में साफतौर से कहा है कि सोशल साइट पर बेलगाम होकर कुछ नहीं लिखेंगे। कुछ लिखने या पोस्ट करने से पहले विचार करना जरूरी होगा। हालांकि सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान कोर्ट में तर्क दिया गया था कि अगर ये एक्ट खत्म होता है तो इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाएगी।

उल्लेखनीय है कि इस फैसले से पहले धारा 66ए के तहत सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर विवादास्पद पोस्ट डालने पर तीन साल तक की कैद का प्रावधान था। साइबर कानून की धारा 66ए खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। फैसले ने भारत के लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तवज्जो दी है। इस कानून की विवादास्पद धारा को खत्म करवाने का श्रेय सबसे पहले जाता है

24 वर्षीय श्रेया सिंघल को। श्रेया ने आईटी एक्ट की धारा 66ए को चुनौती दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है।

श्रेया ने इस कानून को तब चुनौती दी थी जब महाराष्ट्र की दो लड़कियों को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखने और उसे लाइक करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। गौरतलब है कि शिवसेना नेता बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद मुबंई बंद करने को लेकर लड़कियों ने एक पोस्ट लिखा था। श्रेया का ध्यान इस मामले की तरफ तब गया जब इस मामले में आईटी एक्ट 66ए के तहत कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में इस कानून पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। पर यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि इस कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। श्रेया के अनुसार इस कानून का विरोध मैं इसलिए नहीं कर रही हूं कि आप किसी को बेवजह बदनाम करें। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग युक्तियुक्त तरीके से किया जाना चाहिए। श्रेया ने 12 नवंबर, 2011 को इस मामले में याचिका दाखिल की थी।

निष्कर्ष एवं सुझाव (Conclusion and Suggestions)

आज पूरी दुनिया इंटरनेट और कम्प्यूटर के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसके बहुत सारे लाभ हैं और उसके साथ ही बहुत सारे खतरे भी हैं। जैसे इंटरनेट के माध्यम से चोरी, फ्रॉड और वायरस इत्यादि, नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रख कर काम किया जाए, तो साइबर क्राइम के शिकार होने का खतरा कम हो जाता है।

आप अपने कम्प्यूटर में अगर इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने पर्सनल कम्प्यूटर को पासवर्ड से सुरक्षित कीजिए, जिससे कोई दूसरा व्यक्ति बिना आपकी जानकारी के आपका कम्प्यूटर प्रयोग न कर सके। अगर आपका कम्प्यूटर सुरक्षित नहीं होगा, तो क्रिमिनल या कोई व्यक्ति आपके कम्प्यूटर से जरूरी जानकारियां चुरा सकता है और गलत कार्यों के लिए आपके कम्प्यूटर का इस्तेमाल भी कर सकता है। इसके साथ आप यह भी चेक करें की आपके कम्प्यूटर में लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेटेड इन्सटाल्ड है या नहीं। यह भी सुनिश्चित करें कि आपका एंटी वायरस और एंटी स्पाई वेयर सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं और उसके वेंडर से जरूरी अपडेट्स आ रहा है या नहीं।

हमेशा बहुत स्ट्रांग पासवर्ड का प्रयोग करें, जिससे आसानी से किसी को पता न चले, क्योंकि साइबर क्रिमिनल प्रोग्रामर ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का निर्माण करते हैं जो की आपके साधारण से पासवर्ड को आसानी से गेस कर सकता है। ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए आप ऐसा पासवर्ड सेट करें, जिसका कोई दूसरा अनुमान न लगा सके और आप आसानी से याद भी रख सकें। आपका पासवर्ड कम से कम आठ कैरेक्टर का हो जो की लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का मिश्रण हो। अगर आप एक से अधिक अकाउंट्स का प्रयोग करते हैं, तो सभी के लिए अलग-अलग पासवर्ड का प्रयोग करें, अपना पासवर्ड कभी भी अपने नाम, पता, गली नंबर, जन्म तिथि, परिवार के सदस्यों के नाम, विद्यालय के नाम या अपने वाहनो के नंबर पर न बनाएं, जिसका दूसरों के द्वारा आसानी से अनुमान न लगाया जा सके।

अपने इंटरनेट बैंकिंग और बैंकिग ट्रांजिक्शन का इस्तेमाल कभी भी सार्वजनिक स्थान जैसे कि साइबर कैफे, ऑफिस, पार्क, सार्वजनिक मीटिंग और किसी भीड़-भाड़ वाले स्थान पर न करें। किसी भी प्रकार के बैंकिंग लेन-देन के लिए आप अपने पर्सनल कम्प्यूटर या लैपटॉप का ही इस्तेमाल करें. जब कभी भी आप अपने इंटरनेट बैंकिंग या किसी भी जरुरी अकाउंट में लॉगिन करें, तो काम खत्म कर अपने अकाउंट को लॉगआउट करना न भूलें और जब आप लॉगिन कर रहें, हो तब इस बात पर जरूर ध्यान दें कि पासवर्ड टाइप करने के बाद कम्प्यूटर द्वारा पूछे जा रहे क्रप्शन रिमेब्बर पासवर्ड या कीप लॉगिन में क्लिक न करें। कभी भी आप अपने बैंकिंग यूजर नेम, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजिक्शन पासवर्ड, ओ.टी.पी, गोपनीय प्रश्नों या गोपनीय उत्तर को अपने मोबाइल, नोटबुक, डायरी, लैपटॉप या किसी कागज पर न लिखें, हमेशा आप ऐसा पासवर्ड सेट करें, जो की आपको आसानी से याद रहे और आपको इसे कहीं लिखने की आवश्यकता न पड़े।

अपने सोशल मीडिया के अकाउंट को देखते रहें, अगर कभी आप अपने सोशल साइट्स के अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं, तो उससे पहले आप अपनी सारी पर्सनल जानकारी को डिलीट कर दें और फिर उसके बाद आप अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करें या डिलीट करें। आप किसी भी स्पैम ई-मेल का उत्तर न दे, अनजान ई-मेल में आए अटैचमेंट्स को कभी खोल कर न देखें या उस पर मौजूद लिंक पर क्लिक न करें। इसमें वायरस या ऐसा प्रोग्राम हो सकता है, जिसको क्लिक करते ही आपका कम्प्यूटर उनके कंट्रोल में जा सकता है या आपके कम्प्यूटर में वायरस के प्रभाव से कोई जरूरी फाइल डिलीट हो जाए और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए।

डिजिटल हस्ताक्षरों की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर सरकारी कार्यालयों में इसका उपयोग नियमित रूप से बढ़ रहा है। डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग सुरक्षित रूप से करने के लिये हमेशा निम्न सुझाव का उपयोग करें -

- डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग के लिये प्रदान की गई डांगल आपकी जिम्मेदारी है।
- इसे हमेशा अपने पास सुरक्षित रखें।
- कभी भी डिजिटल हस्ताक्षर डोंगल के पासवर्ड को किसी को नहीं बतायें।
- डिजिटल हस्ताक्षर का अनुचित उपयोग हो सकता है जिसकी जिम्मेदारी हस्ताक्षरधारक की होगी।

बाहरी मीडिया के प्रयोग के दौरान सावधानियां -

पासवर्ड के साथ अपने यूएसबी डिवाइस को सुरक्षित रखें। अपने यूएसबी में डेटा एक्सेस कापी करने के लिये यूएसबी सुरक्षा उत्पादों का उपयोग करें । सशक्त पासवर्ड के साथ अपने दस्तावेजों को हमेशा सुरक्षित रखें।

ब्राडबैंड इंटरनेट एक्सेस के लिये सुझाव -

हमेशा निर्माता द्वारा अनुशंसित वैध वेबसाइटों से ड्राइवर डालनलोड करें। हमेशा मोडेम के साथ निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई बिजली एडाप्टर का ही उपयोग करें। बिना फिल्टर के किसी ब्राडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग न करें। असुरक्षित कंप्यूटर-लैपटाप के साथ यूएसबी ब्राडबैंड मोडेम का उपयोग न करें। वाई-फाई के मामले में अज्ञात या अविश्वस्त नेटवर्क से कनेक्ट न करें। इस हेतु सदैव वाईफाई एक्सेस पासवर्ड तकनीक का प्रयोग करना चाहिये।

अगर किसी वेबसाइट पर कोई पॉपअप खुले और आपको कुछ आकर्षक गिफ्ट या इनाम ऑफर करे तब आप अपनी पर्सनल जानकारी या बैंक अकाउंट नंबर या बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी न भरें। अगर आप किसी ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप सीधे रिटेलर के वेबसाइट, रीटेल आउटलेट या अन्य जायज साइट से संपर्क करें। आज के दौर मे इंटरनेट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इंटरनेट पर जरा सी ना समझी स्कैमर्स को साइबर क्राइम के लिए खुला निमंत्रण देता है। इस प्रकार अगर आप उक्त सभी बिंदुओं और सुझावों पर गौर करते हैं, तो आप साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं। सारांशत: साइबर सुरक्षा में सतर्कता और बचाव ही सबसे अहम हैं।

❑

रासायनिक पदार्थ एवं जहर के न्यायिक पहलू

डॉ. ए. के. जायसवाल, डॉ. सुनीता भगत
श्री रोहित कनौजिया

परिचय

जहर को आमतौर पर उस पदार्थ के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसे अगर कम मात्रा में लिया जाए, तो वह शरीर में हानिकारक लक्षण पैदा करने में सक्षम हो, या किसी पदार्थ को जहर तब कहा जा सकता है जब उसका संचयी प्रभाव हो, और उसका लंबे समय तक प्रशासन घातक सबित हो।

आत्मघाती जहर जैसे पोटैशियम साइनाइड, हाइड्रो क्लोरिक एसिड, अफीम, बार्बिटुरेट्स, ऑर्गोफॉस्फोरस, ऑक्सालिक एसिड, ओलियंडर इत्यादि, होमिसाइडल जहर जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, एकोनाइट, थैलियम, ओलियंडर, मदार, कार्बामेट्स, ऑर्गोफॉस्फोरस, नक्स-वोमिका, पाउडर ग्लास, आदि, परंतु इसके अलावा अफीम और आर्सेनिक जैसे पुराने जहरों की जगह नए जहरों ने ले ली है। मवेशियों को जहर देना भी आम है, इस्तेमाल किए जाने वाले जहर आर्सेनिक, एब्रस प्रेट्रोटीओस, येलो ओलियंडर, जिंक फास्फाइड, नाइट्रेट, एकोनाइट आदि हैं।

न्यायिक विष विज्ञान (फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी), विज्ञान की वह शाखा है जो मनुष्यों पर रसायनों के हानिकारक प्रभावों के चिकित्सा और कानूनी पहलुओं से निपटती है। इस लेख में फोरेंसिक विष विज्ञान के सामान्य विचारों का वर्णन करने का प्रयास किया गया है।

महत्वपूर्ण शब्द और परिभाषाएँ

विष विज्ञान: यह गुण, कार्य, विषाक्तता, घातक खुराक, विषाक्तता विश्लेषण और विष के प्रबंधन के परिणाम की व्याख्या का आकलन करने वाला विज्ञान है।

नैदानिक विष विज्ञान (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी): यह विज्ञान रासायनिक पदार्थों के असामान्य जोखिम के कारण या उससे संबंधित मानव रोगों से संबंधित है।

पर्यावरण के विष विज्ञान (इकोटॉक्सीकोलॉजी): यह जीवित जीवों पर रासायनिक और भौतिक एजेंटों के विषाक्त प्रभाव से संबंधित है, विशेष रूप से आबादी और समुदायों के भीतर।

विषाक्तता: गुणवत्ता, सापेक्ष स्तर, या विषैले या जहरीले होने के विशिष्ट स्तर को विषाक्तता कहा जाता है।

तीव्र विषाक्तता: विषाक्तता जो एक एकल अल्पकालिक खुराक में पदार्थ के संपर्क के माध्यम से एक जीव में प्रतिकूल प्रभाव का कारण बनती है।

जीर्ण विषाक्तता: विषाक्तता जो पदार्थ में बार-बार या निरंतर संपर्क के माध्यम से एक जीव में प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

मौखिक विषाक्तता: विषाक्तता जो उस पदार्थ को निगलने से किसी जीव में प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

त्वचीय विषाक्तता: विषाक्तता जो जीव में प्रतिकूल प्रभाव का कारण बनती है, यदि पदार्थ जीव की बरकरार त्वचा के माध्यम से अवशोषित होता है।

श्वास विषाक्तता: विषाक्तता जो जीव के श्वसन के दौरान पदार्थ द्वारा अवशोषित होने वाले जीव में प्रतिकूल प्रभाव का कारण बनती है।

औषधि (मेडिसिन): यह एक पदार्थ या उत्पाद है, जिसका उपयोग प्राप्तकर्ता को शारीरिक प्रणालियों या रोग संबंधी अवस्थाओं को संशोधित करने या उनका लाभ करने के लिए किया जाता है, या यह वह पदार्थ है जो रोगों के लक्षणों को दूर करता है या रोगों की रोकथाम करता है। जैसे: पैरासिटामोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, साल्बुटामोल, एस्ट्रोजन, इंसुलिन आदि।

दवा (ड्रग): दवा मुख्य अणु है जिसका उपयोग औषधि की तैयारी के लिए किया जाता है। ड्रग्स विभिन्न प्रकार के होते हैं और इसलिए उन्हें सावधानी से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ड्रग्स विभिन्न संरचना में आते हैं जैसे कुछ वास्तव में मजबूत होते हैं जबकि कुछ बहुत कमजोर होते हैं; कुछ घुलनशील हैं।

सही अनुपात में और सही समय पर न ली जाए तो कोई भी दवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आज की दुनिया में ड्रग्स को मनुष्यों पर इसके सभी बुरे प्रभावों के लिए जाना जाता है। अधिक मात्रा में ली गई कोई भी चीज हमेशा खतरनाक होती है।

खतरा: प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना।

घातक खुराक (LD50): यह विषाक्तता को मापता है, और किसी पदार्थ की उस खुराक का प्रतिनिधित्व करता है, जब प्रशासित होने पर पशु की परीक्षण आबादी का 50% मारता है।

जहर के स्रोत

1. **घरेलू स्रोत** - घरेलू वातावरण में आमतौर पर डिटर्जेंट, कीटाणुनाशक, सफाई एजेंट, रोगाणुरोधक (एंटीसेप्टिक्स), कीटनाशक, कृन्तकों आदि से विषाक्तता हो सकती है।
2. **कृषि और बागवानी स्रोत** - विभिन्न कीटनाशक, कवकनाशी और खरपतवार नाशक।
3. **औद्योगिक स्रोत** - कारखानों में, जहाँ जहर का निर्माण किया जाता है या जहर का उत्पादन उत्पादों द्वारा किया जाता है।
4. **वाणिज्यिक स्रोत** - स्टोर-घरों, वितरण केंद्रों और दुकानों की बिक्री से।
5. **दवाओं के रूप में उपयोग से** - गलत दवा लिखना / देना, दवाओं की अधिकता और दुरुपयोग के कारण।
6. **खाद्य और पेय** - खाद्य अनाज या अन्य खाद्य सामग्री के संरक्षक के उपयोग के रास्ते में संदूषण, रंग और गंध फैलाने वाले एजेंटों की तरह योजक या भोजन और पेय के आकस्मिक संदूषण के अन्य तरीके।
7. **विविध स्रोत** - सांप का जहर, शहर का धुआँ, सीवर गैस का जहर इत्यादि।

सेवन और अवशोषण का मार्ग

- **मौखिक और ओरल (सबसे आम):** सल्फास, एसिड आदि।
- **श्वासीय या साँस लेना:** गैसिय जहर आदि।
- **आंत्रेतर या परेंटरल:** अंतर्पेशीय (इंट्रा मस्कुलर), शिराभ्यंतर (इंट्रा वेनस), उप-त्वचीय, अंतर-त्वचीय।

- **मुंह के अलावा अन्य प्राकृतिक छिद्रः** नाक, मलाशय, योनि, मूत्रमार्ग आदि।

- अल्सर, घाव और त्वचा के द्वारा।

शरीर में जहर की गति तथा गतिविधि (फार्माकोकाइनेटिक्स)

मौखिक रूप से लिया गया जहर का एक हिस्सा शौच और उल्टी के माध्यम से शरीर से निकल जाता है। जहर के अवशोषण से पहले, वह गैस्ट्रो इंटिस्टिनल ट्रैक्ट में प्रभाव पैदा कर सकता है। अवशोषित होने पर, जहर शरीर के विभिन्न हिस्सों और अंगों तक पहुँच जाता है। कुछ जहर ऊतकों और अंगों तक आसानी से पहुंच जाते हैं परंतु कुछ जहर ऊतक बाधा पार नहीं कर सकते हैं। संचयी जहर कुछ अंगों या ऊतकों में जमा हो जाते हैं। उन्मूलन के विभिन्न मार्गो के माध्यम से जहर का एक हिस्सा शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन प्रमुख हिस्सा शरीर में डिटॉक्सीफाइड या मेटाबोलाइज्ड होता है और फिर शरीर पर अपने विषैले प्रभाव डालने के बाद उत्सर्जित होता है। अधिकांश जहरों को डिटॉक्स या मेटाबोलाइज करने के लिए लीवर मुख्य अंग है। क्लोरोफॉर्म, फास्फोरस, नाइट्रेट्स और एसिटिक एसिड जैसे कुछ जहर शरीर में वाष्पीकरण या ऑक्सीकृत या नष्ट हो जाते हैं और पोस्टमार्टम के बाद उनके शरीर में कोई निशान नहीं पाया जाता है।

जहर का उत्सर्जन

अनावशोषित जहर, मल और उल्टी के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। अवशोषित जहर ज्यादातर मूत्र द्वारा उत्सर्जित होते हैं। वाष्पशील जहर का एक हिस्सा श्वास के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जहर का कुछ हिस्सा पित्त, लार, दूध, पसीना, आंसू, बाल और नाखूनों के माध्यम से उत्सर्जित होता है।

शरीर में जहर की कार्रवाई को प्रभावित करने वाले कारक

1. **मात्राः** जहर की एक उच्च खुराक जल्दी और अक्सर काम करती है जिसके घातक परिणाम होते हैं। एक मध्यम खुराक तीव्र विषाक्तता का कारण बनता है। एक कम खुराक में उप-नैदानिक प्रभाव हो सकता है और बार-बार संपर्क में आने पर जीर्ण विषाक्तता हो सकती है। आर्सेनिक की बहुत अधिक खुराक सदमे से मौत का कारण बन सकती है बिना कोई भी लक्षण दिखाए, जबकि घातक खुराक की तुलना में छोटी खुराक चिकित्सीय प्रभाव पैदा करती है।

2. **भौतिक रूपः** गैसीय या वाष्पशील जहर बहुत जल्दी अवशोषित होते हैं और इस प्रकार सबसे तेजी से प्रभावी होते हैं। तरल जहर ठोस जहर की तुलना में अधिक तेजी से प्रभावी होते हैं। कुछ जहरीली सब्जी के बीज आंतों की नहर के माध्यम से अप्रभावी हो सकते हैं, जब वे अपने अभेद्य पेरिकारप के कारण बरकरार रहते हैं। लेकिन जब इन बीजो को तोड़ कर लिया जाता है, तो वह और ज्यादा तेजी से घातक साबित होते हैं।

3. **रासायनिक रूपः** रासायनिक रूप से शुद्ध आर्सेनिक और पारा जहरीला नहीं होता है क्योंकि ये अघुलनशील होते हैं और अवशोषित नहीं होते हैं। लेकिन सफेद आर्सेनिक (आर्सेनिक ऑक्साइड) और मर्क्यूरिक क्लोराइड घातक जहरीले होते हैं। बेरियम सल्फाइड घातक विषाक्त है लेकिन बेरियम सल्फेट गैर विषैले है।

4. **एकाग्रता (या कमजोर पड़ना):** जहर का केंद्रित रूप अधिक तेजी से अवशोषित होता है

और अधिक घातक भी होता है लेकिन कुछ अपवाद भी हैं।

5. **पेट की स्थिति:** खाद्य सामग्री की उपस्थिति जहर के रूप में कार्य करती है और इसलिए पेट की दीवार की रक्षा करती है। प्रदूषण विष के अवशोषण में भी देरी करता है। खाली पेट जहर को सबसे तेजी से अवशोषित करता है। एक्लोरोहाइड्रिया के मामलों में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी के कारण पोटेशियम साइनाइड (के.सी.एन.) और सोडियम साइनाइड (एन.ए. सी.एन.) अप्रभावी है, जिसे अवशोषण से पहले हाइड्रोजन साइनाइड (एच.सी.एन.) को पोटेशियम साइनाइड (के.सी.एन.) और सोडियम साइनाइड (एन.ए.सी.एन.) के रूपांतरण के लिए आवश्यक है।

6. **प्रशासन का मार्ग:** विभिन्न मार्गों के लिए अवशोषण दर भिन्न होती है।

7. **उम्र:** कुछ आयु समूहों में कुछ जहर बेहतर सहन किए जाते हैं। अफीम और इसके अल्कलॉइड को बुजुर्गों द्वारा बेहतर ढंग से सहन किया जाता है, लेकिन बच्चों और शिशुओं द्वारा बुरी तरह से। बच्चों की तुलना में बेलाडोना दवाओं का समूह वयस्कों द्वारा बेहतर सहन किया जाता है।

8. **शरीर के स्वास्थ्य की स्थिति:** अच्छे स्वास्थ्य के साथ एक अच्छी तरह से निर्मित व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति की तुलना में बेहतर जहर की कार्रवाई को सहन कर सकता है।

9. **रोग की उपस्थिति:** कुछ रोगग्रस्त स्थितियों में कुछ दवाओं को असाधारण रूप से अच्छी तरह से सहन किया जाता है। उदासीन और शांतचित्त लोगों को उन्मत्त और प्रलाप रोगियों द्वारा बहुत अधिक मात्रा में सहन किया जाता है।

10. **नशे के कारण जहर फैलना:** कुछ विषाक्तता के मामलों में, कुछ दवाओं को अच्छी तरह से सहन किया जाता है, जैसे कि स्ट्राचिन के मामले में, बार्बिटूरेट्स और शामक बेहतर सहन किए जाते हैं। जबकि किसी भी शामक या ट्रैंक्विलाइजर देने के मामले में, मौत की प्रक्रिया को और तेज कर देते है।

11. **नींद:** नींद के दौरान धीमी चयापचय प्रक्रिया और शरीर के अन्य कार्यों के अवसाद के कारण, आमतौर पर जहर का अवशोषण और क्रिया भी धीमी होती है। लेकिन अवसाद की दवाएं नींद की स्थिति के दौरान अधिक नुकसान पहुंचा सकती हैं।

12. **व्यायाम:** केंद्रीय स्नायुतंत्र (सी.एन.एस.) व्यायाम के दौरान धीमा हो जाता है क्योंकि व्यायाम के दौरान मांसपेशियों को अधिक रक्त खींचा जाता है।

13. **जहर की संचयी कार्रवाई:** संचयी जहर की तैयारी (जहर जो शरीर से आसानी से उत्सर्जित नहीं होते हैं और लंबे समय तक शरीर के विभिन्न अंगों में बरकरार रहते हैं) जैसे सीसा, कम खुराक में, शरीर में प्रवेश करने पर कोई विषाक्त प्रभाव पैदा नहीं कर सकता है। लेकिन जब इस तरह के जहर लंबे समय तक प्रवेश करते हैं, तो नुकसान हो सकता है जब विभिन्न ऊतकों में उनकी एकाग्रता उनकी संचयी संपत्ति के कारण उच्च स्तर तक पहुंच जाती है।

14. **स्वभाव:** कुछ लोग एक विशेष दवा के लिए प्रतिकूल प्रतिक्रिया कर सकते हैं, हालांकि सामान्य आबादी दवा को अच्छी तरह से सहन करती है।

सामान्य उपयोग किए जाने वाले संरक्षक

रक्त के नमूने के लिए उपयोग किए जाने वाले संरक्षक

1. 30 mg पोटेशियम ऑक्सालेट (एंटी कोगुलेंट) और 50mg सोडियम / पोटेशियम फ्लोराइड (एंजाइम अवरोधक) का मिश्रण 10 ml रक्त के लिए उपयोग किया जाता है, ऑक्सालिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकोल, फ्लोराइड और कार्बन मोनो ऑक्साइड विषाक्तता को छोड़कर सभी संदिग्ध विषाक्तता के मामले में एक संरक्षक के रूप में किया जाता है।

2. 30 mg सोडियम सिट्रेट (एंटी कोगुलेंट) और 50 mg सोडियम / पोटेशियम फ्लोराइड (एंजाइम अवरोधक) का मिश्रण 10 ml रक्त के लिए उपयोग किया जाता है, ऑक्सालिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल से संबंधित संदिग्ध विषाक्तता के मामले में परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है।

3. 30 mg पोटेशियम ऑक्सालेट (एंटी कोगुलेंट) और 50 mg सोडियम नाइट्रेट (एंजाइम इनहिबिटर) का मिश्रण 10 ml रक्त के लिए उपयोग किया जाता है, फ्लोराइड से संबंधित संदिग्ध विषाक्तता के मामले में परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है।

4. कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के मामले में, तरल पैराफिन / वनस्पति तेल के साथ 20 ml रक्त का उपयोग किया जाना चाहिए।

5. 5% w / v सोडियम सिट्रेट का पानी में मिश्रण और 0.25% v / v फॉर्मेलिन को परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, जब रक्त समूहन के लिए तरल रक्त का अनुरोध किया जाता है।

6. आम तौर पर EDTA और HEPARIN को एंटी कोगुलेंट के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे मेथनॉल की खोज में हस्तक्षेप करते हैं।

मूत्र के नमूने के लिए उपयोग किए जाने वाले संरक्षक

1. मूत्र को संरक्षित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है, कि किसी भी प्रकार के परिरक्षक को डाले बिना, इसे 6–24 घंटो के लिए ठंडा किया जाए।

2. सोडियम क्लोराइड का संतृप्त घोल आमतौर पर मूत्र के संरक्षण के लिए परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड और मूत्र का संतृप्त घोल बराबर मात्रा में लिया जाता है।

3. मूत्र संरक्षण के लिए रेक्टिफाइड स्प्रिट का उपयोग भी किया जाता है। मूत्र परिरक्षण के लिए, रेक्टिफाइड स्प्रिट के बराबर मात्रा को मूत्र में मिलाया जाता है।

4. सोडियम फ्लोराइड को भी आमतौर पर मूत्र के संरक्षण के लिए परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कोकीन, साइनाइड, सी.ओ. विषाक्तता के मामले में किया जाता है। मूत्र के 1 ml के लिए 10 mg सोडियम फ्लोराइड लिया जाता है।

5. सोडियम बेंजोएट का उपयोग मूत्र के लिए परिरक्षक के रूप में भी किया जाता है। 200–500 ml मूत्र के लिए, 1 ग्राम सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है।

6. मूत्र को संरक्षित करने के लिए सांध्र सल्फ्यूरिक एसिड का भी उपयोग किया जाता है, 100 ml मूत्र के लिए, 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है।

7. थाइमोल के कुछ महीन दानों का उपयोग भी मूत्र संरक्षण के लिए किया जाता है। 10 ml मूत्र में 10 mg थाइमोल का प्रयोग किया जाता है।

8. सोडियम फ्लोराइड रक्त को पोस्टमार्टम परिवर्तनों जैसे कि इथेनॉल या अन्य अल्कोहल के जीवाणु उत्पादन से बचाता है। सोडियम फ्लोराइड अन्य अस्थिर दवाओं जैसे कोकीन, नाइट्रजेपाम और क्लोराजेपम को क्षरण से बचाने में मदद करता है।

जैविक ऊतक के लिए उपयोग किए जाने वाले संरक्षक

1. खनिज एसिड जैसे H_2SO_4, HCl, HNO_3 इत्यादि को छोड़कर, NaCl के संतृप्त घोल को विषाक्तता के हर मामले में परिरक्षक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. जहाँ कार्बोलिक एसिड, एसिटिक एसिड, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, क्लोरल हाइड्रेट, फॉर्मेल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड, फॉस्फोरस जैसे शामिल हो, वहाँ रेक्टिफाइड स्प्रिट का उपयोग विषाक्तता के सभी मामलों में किया जाता है।

3. विसरा के लिए, परिरक्षक घोल को समान मात्रा में मिलाया जाता है, आमतौर पर, कंटेनर के 1/3 वॉल्यूम को विसेरा द्वारा भरा जाना है, परिरक्षक द्वारा 1/3 और किसी भी गैसों के विकसित होने के लिए स्थान के रूप में 1/3 खाली होना है। विसरा पूरी तरह से परिरक्षक में डूब जाना चाहिए।

4. ऊतक के संरक्षण के लिए 10% फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है, जो की हिस्टोपैथोलॉजिक परीक्षण के लिए होता है।

ककंच के समान पदार्थ (विट्रस ह्यूमर) के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले संरक्षक: इसे सोडियम फ्लोराइड के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए।

मस्तिष्कमेरु द्रव (सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड) के लिए उपयोग किए जाने वाले संरक्षक: इसे सोडियम फ्लोराइड के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए।

हड्डियां: 200 ग्राम एकत्र किया जाना चाहिए। फीमर के शाफ्ट के बारे में 10 से 15 सेंटीमीटर दूर करना सुविधाजनक है।

नाखून: नाखूनों के सभी टुकड़ो को पूरे बिस्तर से संरक्षित किया जाना चाहिए, और अलग–अलग लिफाफे में एकत्र किया जाना चाहिए।

बाल: सिर और जघन के बालों का पर्याप्त नमूना (10 mg और अगर कम मात्रा में उपलब्ध हो तो पूरे) पूरी तरह से जड़ से उखाड़कर, न कि काट कर निकाला जाना चाहिए। बालो को बिना किसी परिरक्षक के अलग–अलग कंटेनरों में संरक्षित किया जाना चाहिए।

तालिका संख्या 1: सामान्य जहर की सूची

जहर के प्रकार	उदाहरण
एसिड	हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड, इत्यादि।
क्षार	पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट
एल्कोहल	इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इत्यादि।
क्षाराभ	एकोनाइट, एपो-एट्रोपीन, एपो-मॉर्फिन, एरोकोलिन, एट्रोपीन, एबरोसिन, बेरबेरिन, ब्रूसिन, सिनकोनीन, कोकेन, कोडीन, कोइन, कोरामीन, डायजीन, ईजोनिन, एफेड्रिन, फ्लैक्सडिल, गेलसेमाइन, हेरोइन्कार्सोटीन, निकोटीन और अन्य स्ट्राइकाइन, थेबाइन, ट्रोपिन, योहिंबाइन, इत्यादि।
बार्बीट्युरेट	आलो-बार्बिटॉल, एमो-बार्बिटल, एमाइटल, ऑप्रबिटल, बारबिटोन सोडियम, बुटो बारबिटोन, साइक्लो बारबिटोन, गार्डिनल, हेप्टा बारबिटोन, मिथाइल फेनोबार्बिटोन, नेस्टो बार्बिटोन, पेंटो बारबेटोन, सेक्यो बारबिटोन, टैलबोटल, थियो पेंटेन, ट्युनेंट, इत्यादि।
कीटनाशक	क्लोरीन युक्त, एल्ड्रिन, बीएचसी, क्लोर्डेन, डीडीटी, एंड्रिन, गैम्पेक्सिन, हेप्टाक्लोर, लिंडेन, टोक्सैफेन, थिओडान, फॉस्फोरस युक्त - बेटेक्स, डायजीन, डीडीवीपी, डायमेथोएट, डेसकेनाइट, डिस्स्टन, मैलाथियॉन, पैराथियान-इथाइल, पैराथियान, पैरेथियोन पैथियॉन, पैराथियान सिस्टॉक्स, सुमिथियन, इत्यादि।
धातु जहर	एंटीमनी नमक, आर्सेनिक, बेरियम नमक, बिस्मथ, कॉपर सल्फेट और अन्य नमक, सीसा, मैंगनीज, मर्करी, मर्क्यूरिक क्लोराइड, टिन, थैलियम, जिंक फास्फाइड, एल्यूमीनियम फास्फाइड इत्यादि।
जहरीले पौधे	ऐब्रस पर्कटोरियस, भांग (कैनबिस), भीलवा (अंकन अखरोट), कैस्टर ऑयल, कोलोसिन्थ, क्रोटन टिग्लियम, धतूरा, एरगोट, जमालगोटा, जटरोप्टा क्यूरस, कनेर (ओलियंडर), खुरासानी अजवाईन, कुचिला, ललिता, ललित माद्री, ओडूवन, ओपियम, प्लंबगो रोजिया, तंबाकू, इत्यादि।
पोटैशियम साल्ट	पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इत्यादि।
शांतिदायक दवा	एनाटेंसोल, एंकोलॉक्सिन, एंटिस्टिन, एटरैक्स, एविल, एवोमीन, एंथिसन, बेनाड्रील, एस्किंज, इक्विब्रोम, लैरगेक्टिल, लिब्रियम, मैंड्रेक्स, मार्जीन, मेलारिल, फेनार्गन, सिकिल, स्पैरिन, स्टेमेटिल, टेरफ्लुजिन, टॉफुजिन, टोफूजिन, इत्यादि।
अन्य	तारपीन का तेल, यूरिया, वेसेनिकेंट्स नेफथलीन, फॉस्फोरस, नाइट्राइट, प्रूसिक एसिड (HCN), पाइरीडीन, रेडियोएक्टिव पदार्थ, सांप का जहर, सल्फोनामाइड्स, थायमोल, टॉक्सिक आयनों, हाइड्रोजन सल्फाइड, मेलों, ग्लास पाउडर, फॉर्मलडिहाइड, फ्लोराइड्स, डेनसाइड, डायमंड पाउडर, एस्पिरिन, एसीटोन, एसीटैल्डिहाइड, ब्रोमीन, बेंजीन, कैनबिस इंडिका, कैन्थ्रिडाइन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म, क्रेओटोट, साइनाइड, सायनोजेन ग्लाइकोसाइड, इत्यादि।

विभिन्न जहरों का पता लगाने के लिए आवश्यक सामग्री

ऐसे मामले जहां पीड़ित बच जाता है

1. पेट की धुवन।
2. उल्टी हुई सामग्री और सना हुआ कपड़ा आदि।
3. रक्त का नमूना।
4. यदि उपलब्ध हो तो मूत्र और मल भी लें।
5. पीड़ित या आरोपी के कब्जे से और अपराध स्थल से बरामद संदिग्ध सामग्री। जैसे दवाइयाँ, कंटेनर, भोजन या पेय।
6. बचा हुआ जहरीला सामान आदि।

ऐसे मामले जहां पीड़ित नही बच पाता है

निम्नलिखित सामग्री को उन मामलों में आपूर्ति की गई सामग्री के साथ शामिल किया जाना चाहिए जहां पीड़ित बच जाता है।

1. मृतक का विसरा भी भेजा जाना चाहिए।
2. विसरा में इसकी सामग्री के साथ पूरा पेट होना चाहिए, इसकी सामग्री के साथ छोटी आंत का हिस्सा, पित्त–मूत्राशय के साथ पूर्ण यकृत, एक गुर्दे, तिल्ली, पूर्ण फेफड़े के दिल और मस्तिष्क के ऊतकों को भेजा जाना चाहिए।
3. भ्रूण के साथ यूटरस गर्भपात के संदिग्ध मामलों में भी सहायक हो सकता है, जहां स्थानीय गर्भान्तक का उपयोग किया गया हो।
4. बालो के साथ जड़ की लंबाई और नाखूनों को आर्सेनिक, थैलियम आदि द्वारा क्रोनिक विषाक्तता के मामले में भेजे जाने चाहिए।
5. त्वचा के टुकड़े और ऊतक को सर्प दंश के मामलों में संरक्षित किया जाना चाहिए।
6. अगर शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, तो विश्लेषण के लिए जली हुई हड्डियों और राख को संरक्षित किया जाना चाहिए।
7. कंकाल या अवशेष की हड्डियां, निकाले गए शरीर के मामलों में विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण सामग्री हैं जब विषैले परीक्षण के लिए कोई आंत के ऊतक उपलब्ध नहीं होते हैं।

संरक्षण के लिए पात्र

परिरक्षण के लिए डिस्पोजेबल, हार्ड प्लास्टिक या ग्लास कंटेनरों का उपयोग किया जाना चाहिए। प्लास्टिक के कंटेनर (विशेष रूप से पॉलीप्रोपाइलीन) का उपयोग किया जाने लगा है क्योंकि वह ज्यादा हलके होते हैं, और गिरने पर टूटते भी नहीं है।

नमूनों की पैकेजिंग और अग्रेषण

सभी नमूनों को मृतक के नाम, पोस्टमॉर्टम संख्या, नमूने की प्रकृति, संग्रह स्थल, परिरक्षक उपयोग, तिथि और संग्रह के समय के साथ ठीक से सील और लेबल किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का अनुपालन करते हुए और लाने, ले जाने के दौरान नुकसान से बचाने के लिए नमूनों की पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। विषाक्तता के सभी मामलों में:

1. पेट और उसकी सामग्री।
2. लिवर का आधा या 500 ग्राम जो भी अधिक हो।
3. छोटी आंत का एक लूप।
4. प्रत्येक गुर्दे का आधा।

5. तिल्ली का कुछ हिस्सा।

कुछ विशेष जहर में

1. अवशोषित जहर के मामलों में 100 ml रक्त।
2. सभी मामलों में मूत्र 100 ml जहां रक्त संरक्षित है।
3. वाष्पशील जहर के मामलों में दोनों फेफड़ों का हिस्सा।
4. हृदय विष के मामले में, हृदय।
5. मस्तिष्क जहर के मामले में मस्तिष्क।
6. रीढ़ की हड्डी के जहर के मामले में रीढ़ की हड्डी।
7. आर्सेनिक और सीसे के मामलों में हड्डियाँ।
8. आर्सेनिक और तांबे के मामले में बाल।
9. नाखून, मुख्य रूप से आर्सेनिक के मामले में।
10. एक संदिग्ध जहर के साथ दाग वाले क्षेत्रों से त्वचा-स्क्रैप।
11. कपड़े के दाग वाले क्षेत्र, किसी भी तरह के संदिग्ध पैकेट, जेब से बरामद किसी भी तरह की गोलियाँ या दवाइयाँ।

कंटेनरों के ढक्कन के आसपास छेड़छाड़-स्पष्ट सील के उपयोग से संग्रहीत नमूनों को सील किया जाना चाहिए, और हिरासत रिकॉर्ड की एक सटीक श्रृंखला भी बनी रहनी चाहिए। इसे उचित रसीद प्राप्त करने के बाद जांच अधिकारी को सौंप दिया जाना चाहिए। नमूने के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न किया जाना चाहिए:

1. फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट और जांच अधिकारी का नाम, पता और फोन नंबर।
2. मृत्यु की स्थितियों और ड्रग्स के विवरणों के बारे में विवेचना।
3. वर्तमान या हाल के पर्चे की दवा सहित पिछले चिकित्सा इतिहास।
4. आपातकालीन अस्पताल उपचार और दी गई दवा का विवरण।
5. यदि उपलब्ध हो तो फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट की प्रति।

भारत में, यह आमतौर पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति के साथ पुलिस अधिकारी (सहायक पुलिस आयुक्त रैंक या इससे ऊपर) द्वारा अग्रेषित किया जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त विवरण फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट को भी प्रदान किया जाता है।

शव परीक्षण के दौरान एकत्र किए गए नमूने अपेक्षित सामान्य परिणाम नहीं दे सकते। हालाँकि शव परीक्षण में प्राप्त नमूनों के विचारशील विश्लेषण और प्राप्त परिणामों की व्याख्या से बहुत उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। शराब सहित अधिकांश ड्रग्स और जहर, मृत्यु के बाद एकत्र किए गए नमूने के समय, नमूना स्थल, नमूने लेने के तरीकों और एकत्र किए गए रक्त की मात्रा के अनुसार रक्त में एकाग्रता में भिन्नता को दर्शाता है। केंद्रीय स्थलों से लिए गए रक्त के नमूने दिल, ज्यादातर एनलिट्स के लिए विशेष रूप से उच्च महत्व के होते हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं कि रक्त को अंगों से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया व्यक्त रक्त में महत्वपूर्ण विश्लेषणों की एकाग्रता में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। सबसे सुसंगत मात्रात्मक निष्कर्ष ऊरु

शिरा से लिए गए रक्त से प्राप्त किए जाते हैं, जो नमूना संग्रह के लिए अनुशंसित साइट है। विभिन्न साइटों से लिए गए रक्त के नमूनों में दवाओं की सांद्रता में बहुत अधिक भिन्नता होने के कारण, यह महत्वपूर्ण है कि नमूना संग्रह को मानकीकृत किया जाए, ताकि प्राप्त किए गए परिणामों की डेटाबेस के साथ तुलना करके सार्थक व्याख्या की जा सके जो कि विकसित किए जा रहे परिणामों को शामिल कर रहे हैं शव परीक्षण में एक समान तकनीक द्वारा एकत्र रक्त के नमूनों का विश्लेषण।

जहर के मामले का प्रबंधन

अचौतन्य (कोमाटोज) रोगियो में तत्काल पुनर्जीवन (बेसिक मैनेजमेंट) उपायों को अपनाया जाना चाहिए ताकि श्वसन, परिसंचरण और सी.एन. एस. डिप्रेशन स्थिर कर सके।

क. वायुमार्ग: वायुमार्ग (मौखिक, गुहा, नासिका) को खोलना और साफ करना, स्राव, उल्टी या किसी भी प्रकार की चीजो को हटाना जो वायुमार्ग में अवरोधक उत्पन्न कर रहे हो। ऐसी किसी दिक्कत में जीभ आगे की ओर खींचे।

ख. श्वास: पूरक ऑक्सीजन थेरेपी प्रशासित किया जाना चाहिए।

ग. सर्कुलेशन: आई.वी. द्रव प्रशासन।

घ. सीएनएस के अवसाद को ठीक किया जाना चाहिए।

विशिष्ट प्रबंधन

1. रोगी को जितनी जल्दी हो सके जहर के स्रोत से दूर किया जाना चाहिए।
2. संपर्क जहर के मामले में, प्रभावित क्षेत्र को आराम से साबुन से धोया जाना चाहिए। अंतर्ग्रहण जहर के मामलों में, गैस्ट्रिक लैवेज जहर के प्रहार के 3 घंटे के भीतर उपयोगी होता है, और यह पेट की नली द्वारा निकाला जाए उसके बाद एमिसिस (emesis) किया जाए (शारीरिक या इपिकाकाह 1-2 ग्राम, सरसों का तेल 1 टीएसएफ जैसी दवाओं द्वारा, एक गिलास पानी में, सांध्र नमक घोल 6%, पानी में जिंक सल्फेट 1-2 ग्राम, एपोमोर्फिन एच.सी.एल. 1-2ml ओ 3 mg/ml). इंजेक्टेड जहर के मामले में, घाव के ऊपर संयुक्ताक्षर लगाया जाता है। साँस के जहर के मामलों में, रोगी को ताजी हवा में तुरंत जाना चाहिए।
3. भोजन और पानी देने से जहर पतला होता है और इससे जहर के अवशोषण में देरी होती है।
4. पेशाब का ज्यादा आना (ड्यूराइसिस), पसीने का बढ़ना (डायफोरेसिस), डायलिसिस और कीलेटिंग एजेंटों का उपयोग करके अवशोषित जहर का उन्मूलन किया जाना चाहिए।
5. विशिष्ट विषहर औषध का उपयोग।
6. लक्षणात्मक उपचार जिसमें श्वसन की सुरक्षा और परिसंचरण का रखरखाव शामिल है।

एंटीडोट्स या विषहर औषध

एंटीडोट्स ऐसे पदार्थ हैं जो जहर के प्रभाव की रोक-थाम करते हैं। वे मैकेनिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल और विशिष्ट रिसेप्टर विरोधी में विभाजित हैं।

1. **भौतिक या यांत्रिक मारक:** यह जहर की हानिकारक क्रियाओं को नष्ट या निष्क्रिय किए

बिना, सिर्फ यंत्रवत् जहर की क्रिया को यांत्रिक रूप से रोकता है। जैसे: सक्रिय चारकोल, डिम्बुलेंट जैसे अंडा एल्ब्यूमिन, स्टार्च या दूध, पानी या दूध जैसे डिल्युएंट्स, उबले हुए चावल या सब्जियों जैसे भारी भोजन।

2. **फिजियोलॉजिकल एंटीडोट** के अपने स्वयं के लक्षण होते हैं, जो जहर द्वारा उत्पादित के विपरीत होते हैं। जैसे: मॉर्फिन के लिए नालोक्सोन, धतूरा या हायोसिन समूह के लिए नेस्टीग्माइन, स्ट्राइकिन के लिए बार्बिट्यूरेट।

3. **रासायनिक विषहर औषध:** यह वे पदार्थ होते हैं, जो जहर के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके जहर को विघटित और निष्क्रिय कर देते हैं। जैसे: कमजोर अम्ल और क्षार, आम नमक, अंडे का एल्ब्यूमिन, $KMNO_4$।

4. **सीरोलॉजिकल विषहर औषध:** सांप के जहर के लिए एंटी स्नेक वेनम सीरम होता है।

5. **सार्वभौमिक विषहर औषध या यूनिवर्सल एंटीडोट:** यह भौतिक और रासायनिक मारक का एक संयोजन है। जब जहर की सही प्रकृति का पता नहीं चलता है, तो सार्वभौमिक मारक का उपयोग किया जाता है, जो कई प्रकार के जहरों के खिलाफ काम करता है। इसको बनाने की विधि:

   क. सक्रिय चारकोल 2 भाग।

   ख. मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 भाग।

   ग. टैनिक एसिड 1 भाग एक गिलास पानी में खुराक 1 TSF (15 ग्राम) (यह प्रक्रिया दोहराई जा सकती है)। सक्रिय चारकोल अपने अधिशोषक कार्रवाई के लिए प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड अम्लीय जहरों को बेअसर करता है, टैनिक एसिड एल्कलॉइड्स को उपजी करता है।

6. **घरेलू विषहर औषध**

   क. कड़क तरल चाय (इसमें टैनिक एसिड होता है) क्षारीय और धातु जहर को उपजी कर सकती है ।

   ख. आयोडीन के लिए स्टार्च।

   ग. पारा, आर्सेनिक, भारी धातु के लिए दूध और कच्चा अंडा।

   घ. सक्रिय चारकोल के बजाये आटे का घोल और पीसे हुए आलू का उपयोग किया जा सकता है।

   ङ. एसिड विषाक्तता के लिए मैग्नीशिया का दूध या साबुन का प्रयोग कर सकते है।

   च. क्षार विषाक्तता के लिए संतरा, नींबू का रस या सिरके का प्रयोग कर सकते हैं।

7. **कीलेटिंग एजेंट:** ये ऐसे पदार्थ हैं जो अवशोषित धातु के विषों पर काम करते हैं। अंतर्जात एंजाइमों की तुलना में, धातुओं के लिए इनकी आत्मीयता अधिक होती है। एजेंट और धातु का परिसर, धातु की तुलना में पानी में अधिक घुलनशील होता है, जिसके परिणामस्वरूप इसका उच्च उत्सर्जन होता है। जैसे: British Anti - lewisite (B.A.L., डाइमरकपरोल), E.D.T.A. (एथिलीन डायमाइन एसिटिक

एसिड), पेनिसिलीन (क्यूप्रिमाइन), डेसफेरोक्सामाइन आदि बी.ए.एल. (ब्रिटिश एंटी-लेविसिट, 2-3 डिमरकैप्टोप्रोपानोल) में 2 असंतृप्त एसएच रेडिकल होते हैं जो परिसंचरण में धातु के साथ संयोजित होते हैं, इस प्रकार ऊतक एंजाइमों को बख्शा जाता है।

उपयोगी खुराक

क. **ब्रिटिश एंटी-लीयूसाईट (B.A.L.):** 3-4 mg/kg B.W, 10% ब्रिटिश एंटी-लीयूसाईट, 20% बेंजाइल बेंजोएट को मूँगफली के तेल में मिलाकर अंतर्पेशीय (इंट्रा मस्कुलर) दिया जाता है, 4 घंटे के लिए पहले 2 दिनों तक, उसके बाद 10 दिनों के लिए दो बार दैनिक।

ख. **एथिलीन डायमाइन टेट्रा-एसिटिक एसिड (E.D.T.A.):** यह सोडियम के साथ मिलकर सोडियम सॉल्ट बनाता है और कैल्शियम के साथ डाई-सोडियम कैल्शियम डेंटेट बनाता है, जो मुक्त धातु के साथ मिलकर, इसे जैविक रूप से निष्क्रिय कर देता है। यह लैड के लिए सबसे अच्छा कीलेटिंग एजेंट है। वयस्कों के लिए खुराक 1gm प्रतिदिन दो बार 12 घंटे के अंतराल पर धीमी गति से I.V. इंजेक्शन 5% ग्लूकोज के साथ मिलाया जाता है।

ग. **पेनिसिलिन:** इसमें स्थिर -SH रेडिकल होता है जो मुक्त धातु के साथ जुड़ता है। 7 दिनों के लिए 4 विभाजित खुराकों में खुराक 30mg/Kg BW/Day।

घ. **डेसफेरियोक्सामाइन:** यह लोहे के लिए विषहर-औषध है। मौखिक रूप से खुराक 8-12 ग्राम। अवशोषित लोहे के लिए 2 ग्राम आई.वी. 50% laevulose समाधान के साथ।

संदर्भ

1. **ए.आई. वोगेल.** मैक्रो और अर्ध सूक्ष्म गुणात्मक अकार्बनिक विश्लेषण की टेस्ट बुक ।5वें संस्करण, लॉन्गमैन लंदन, 1982 ।

2. **क्लार्क ई.सी.जी.** दवाओं का अलगाव और पहचान। IInd संस्करण, द फैरामैसिटिकल प्रेस, लंदन, 1986:1063 ।

3. **करी ए.एस.** मानव विषाक्तता 1 संस्करण में विश्लेषणात्मक तरीके। मैकमिलियन प्रेस लिमिटेड, लंदन, 1985 ।

4. **डॉ. सुब्रह्मण्यम.** मेडिकल न्यायशास्त्र विष विज्ञान। नया संस्करण, लॉ पब्लिशर्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड 2011 ।

5. **गेरहार्ड्स पी., बोन्स यू., सवाजकी जे., शाइजन जे., वार्टमन ए.** जीसी/एमएस इन क्लीनिकल केमिस्ट्री। न्यू एडन, विले-वी.1999 ।

6. **जायसवाल ए.के., कशप एस.के., गुप्ता एम., मेरवर एस.के., राणा एस.वी.एस.** एचपीटीएलसी प्लेटों का उपयोग करके विसेरा के नमूने में डिमेथोएट का विश्लेषण। एमिटी जे बिहेवियरल एंड फोरेंसिक साइंस, 2006 ।

7. **जायसवाल ए.के., मोहिनेश, मिलो टी, मूर्ति ओपी** दुरुपयोग की दवा के लिए प्रौद्योगिकी मैनुअल श्रृंखला लेख-XII, स्क्रीनिंग / स्पॉट टेस्ट। चिकित्सा और विष विज्ञान की अंतरराष्ट्रीय पत्रिका, लीगल मेडिसिन 2010; 12(4): 50-59 ।

8. **जुंग्रेईस, एरविमल.** स्पॉट टेस्ट एनालिसिस, जॉन विले एंड संस, न्यूयॉर्क ।

9. **मथिहरन के, पटनिक ए.के.** मोदी के चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान, 23वें संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस, नई दिल्ली, 2005 ।

10. **पारिख सी.के.,** पारिख की पाठ्य पुस्तक मेडिकल न्यायशास्त्र, फोरेंसिक चिकित्सा और विष विज्ञान। छठा एडं सीबीएस प्रकाशक और वितरक, 1999 ।

11. **पिल्ले डब्ल्यू,** मॉडर्न मेडिकल टॉक्सिकोलॉजी। 3 डी संस्करण, मेडिकल पब्लिशर्स प्रा. लिमिटेड नई दिल्ली, 2005 ।

12. व्यावहारिक आपातकालीन चिकित्सा विष विज्ञान पर राष्ट्रीय कार्यशाला की कार्यवाही, एम्स, 24-26 फरवरी, 1998 ।

13. **तिवारी एस.एन.** विष विज्ञान का मैनुअल। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, आगरा इस्ट एडं, 1976 ।

14. **विज के.,** फोरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान सिद्धांत की पाठ पुस्तक। तीसरा संस्करण। Elsevier, 2005 ।

❑

पुलिस थानों में शिकायतकर्ता एवं आम जनता के साथ पुलिस का व्यवहार, आचरण का स्वरुप, कारण, परिस्थितियां एवं सुधारात्मक सुझाव

पंकज चौबे

शोधार्थी, अपराधशास्त्र सागर, मध्यप्रदेश

सागर जिले के गोपालगंज थाने के सन्दर्भ में एक अध्ययन

प्रस्तावना

इस सृष्टि पर व्यवस्था के निर्माण एवं संचालन हेतु राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति हुई है। अन्यथा प्राकृतिक स्तर पर सभी मनुष्य समान है। राज्य नामक संस्था के चार प्रमुख तत्व हैं निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, शासन एवं सरकार के कार्यों को पूरा करने हेतु लोक प्रशासन नामक उपव्यवस्था प्रवर्तिन है। आदि काल से लेकर अधतन मानव समाज में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस या इससे मिलती-जुलती प्रणाली अवश्य विद्यमान रही है ताकि सभ्य समाज द्वारा निर्धारित नियमों मूल्यों तथा कानूनों को क्रियान्वित किया जा सके। राज्य नामक संस्था तथा शासन नामक इसके सशक्त उपकरण ने मानव को कई प्रकार से बन्धनों से जकड़ दिया है। किंतु प्रश्न यह है कि कुछ चोरों या बदमाशों को नियंत्रित करने के लिए सभी भले मनुष्य को संदेह की दृष्टि से देखना उपयुक्त है। यद्यपि यह प्रश्न दार्शनिक है किंतु इसका संबंध आज की उस उदारवादी विचारधारा से है। जो यह कहती है कि राज्य का मानव जीवन में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए इससे समस्या यह उत्पन्न हो जाती है कि सर्वोत्तम की विजय तो हो जाएगी किंतु निम्न, गरीब, असहाय, एवं पीड़ित व्यक्ति का कल्याण एवं सुरक्षा का क्या होगा इसी परिपेक्ष्य में पुलिस प्रशासन का विकास हुआ तथा आज भी उपयोगिता बनी हुई है। भारत में आधुनिक पुलिस प्रशासन राज्य सूची के विषय हैं किंतु संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। भारत में पुलिस प्रशासन का इतिहास उतना ही प्राचीन है। जितना की मानव सभ्यता एवं संस्कृति की विकास यात्रा है। ऋग्वेद में 'जिवातिभ' और उपनिषदों में 'उग्र' नाम से पुलिसकर्मियों को संबोधित किया गया है। इसी प्रकार रामायण एवं महाभारत काल में कानून व्यवस्था तथा यातायात नियंत्रण हेतु नगर कोतवाल एवं अन्य पुलिसकर्मी पद स्थापित किए गए हैं।

मौर्यकाल में लिखे गए कौटिल्य के ग्रंथ "अर्थशास्त्र" में सीमा सुरक्षा अधिकारी को अनंतपाल तथा गांवों में पुलिसकर्मी को ग्रामणी बताया गया है। कौटिल्य द्वारा वर्णित 18 तीर्थों में एक चौथाई अधिकारी कानून सीमा सुरक्षा तथा न्याय व्यवस्था से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आये चीनी यात्री फाह्यान की यात्रा वृतांत में भी पुलिस व्यवस्था का वर्णन मिलता है। राजा हर्षवर्धन के समय शासन प्रणाली सामंतवाद की ओर झुकने लगी अन्य अधिकारियों की भांति पुलिस तंत्र नगर वेतन के स्थान पर जागीरें दी जाने लगी ऐसी स्थिति में पुलिस तंत्र राज्य की राजधानी की बजाय जागीरों की ओर खिसकने लगा पुलिस का कार्य

केवल चोरों एवं डकेतों को पकड़ना और छोटे जागीरदारों के विद्रोह को कुचलना हो गया।

दिल्ली सल्तनत तथा मुगल काल के दौरान पुलिस प्रशासन मूलतः सैनिक प्रशासन से जुड़ा रहा। जिन्हें गुप्तचर विभाग का काम विशेष रूप से करना होता था सन 1600 में अंग्रेजों के भारत आगमन तथा प्लासी और बक्सर के युद्धों के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में प्राप्त हुए दीवानी अधिकारों को क्रियान्विति करने एवं राजस्व वसूली के लिए आरंभिक विभागों की स्थापना करनी पड़ी उसमें पुलिस विभाग भी सम्मिलित था। भारत में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय लार्ड वारेन हेस्टिंग्स (1772-1785) को जाता है जिन्होंने पुलिस प्रशासन में सुधार सहित दीवानी और फौजदारी अदालतों का पृथक्करण किया है। सन 1807 में जमीदारों को पुलिस का सहयोगी बनाने का प्रयास शुरू किया गया। सन 1808 में कोलकाता तथा उसके आसपास के जिलों में पुलिस अधीक्षक का पद सृजित हुआ। सन 1860 में प्रथम पुलिस आयोग का गठन हुआ।

इस आयोग की अनुशंसाओं के पश्चात भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 पारित किया गया। आज का भारतीय पुलिस प्रशासन इसी अधिनियम पर आधारित है और सन 2005 में सोली सोराबजी की अध्यक्षता में बनी परामर्श समिति देश में नए पुलिस कानून के निर्माण प्रक्रिया में सहयोग कर रही है। पुलिस शब्द ग्रीक भाषा के "पोलिस" से बना है जिसका तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जो कानून के क्रियान्वयन तथा शांति व्यवस्था को बनाए रखती है। पुलिस जन नियंत्रण का ऐसा ही संस्थाबद्ध तंत्र है। पुलिस शब्द का अर्थ इस प्रकार है- पी- पोलाइट- विनम्र, ओ- ओबीडेंट- आज्ञाकारी, एल- लॉयल- विश्वासपात्र, आई- इंटेलीजेंट- बुद्धिमान, सी- करेजियस- साहसी, ई- एफिशिएन्ट- दक्ष।

वर्तमान पुलिस तंत्र में व्याप्त कुछ कमियों के कारण इसका नकारात्मक अर्थ भी निकाला जाता है पी-पावर- सत्ता, शक्ति, ओ- आर्डर- आदेश, एल- लाईन- कानून, आई- इनकम- आय, सी- करप्ट- भ्रष्ट, ई-एनकाउन्टर- मुठभेड़।

अध्ययन का उदेश्यः

1. सागर जिले में पुलिस थानों में शिकायतकर्ता एवं आम जनता के साथ पुलिस का व्यवहार, आचरण का स्वरुप, कारण एवं परिस्थितियों का अध्ययन करना।

2. पुलिस थानों में शिकायतकर्ता एवं आम जनता के साथ पुलिस का व्यवहार, आचरण का स्वरुप, कारण, परिस्थितियां एवं व्यवहारिक मनोविज्ञान के द्वारा सुधारात्मक सुझाव का अध्ययन करना।

अध्ययन विधिः

इस कार्य में संबंधित लेख का वर्णन पुलिस थानों में जाकर अवलोकन विधि के माध्यम से पुलिस की कार्यप्रणाली एवं उसका जनता के साथ संबंध का वर्णन किया गया है । यह अध्ययन सागर जिले के गोपालगंज थाना क्षेत्र में किए गए सहभागी अवलोकन की माध्यम से पुलिस का थाने में कार्य एवं आम जनता के साथ पुलिस के व्यवहार का अध्ययन किया गया है एवं केस अध्ययन विधि का प्रयोग इस कार्य में किया गया है ।

पुलिस की भूमिकाः

पुलिस की दो भूमिका होती है। अपराध की जांच पड़ताल और अपराध की रोकथाम। इस प्रकार

पुलिसकर्मी का कार्य उन कानूनों का क्रियान्वयन है। जो जनता और संपत्ति की रक्षा करते हैं। यह कहा जाता है कि पुलिस तब हरकत में आती है। जब अपराध हो जाता है लेकिन अपराधिता के कारणों में इनके द्वारा बल प्रयोग के कारण उत्पन्न विरोधी विचारों के अलावा इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। आजकल पुलिस संगठन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह इसलिए है क्योंकि पुलिस से नवीन भूमिका की अपेक्षा की जा रही है। उनके कार्यभार में वृद्धि हो रही है। पुलिस व्यवस्था भ्रष्टाचार उत्पीड़न और हिंसा को स्वीकार करती है या नहीं। जनता साधारण से प्रश्नों का सीधे से उत्तर चाहती है। पुलिस की छवि को साफ सुथरी बनाने और जनता के साथ निकटता से समझदारी बनाने के लिए उन्हें 'छोटे पन में पकड़ो' कार्यक्रम के अंतर्गत 17 जनवरी 1995 को लुधियाना, पंजाब में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ स्कूली बच्चों की एक सभा आयोजित की गई। इसमें पुलिस अधिकारी कुछ घबराहट पैदा करने वाले प्रश्नों के उत्तर देते समय रोजाना की समस्याओं के समाधान के संबंध में अपने व्यवहार को स्पष्ट करने में असमर्थ थे। पूछे गए प्रश्न कुछ इस प्रकार के थे पुलिस अधिकारी भ्रष्ट क्यों होते हैं? थाने में प्राथमिकी तुरंत क्यों दर्ज नहीं की जाती? पुलिस अतिविशिष्ट व्यक्तियों के पुत्र पुत्रियों के अपराधों के प्रति अपनी आंखें क्यों बंद कर लेती है? वह सामान्य नागरिकों को उनकी छोटी सी त्रुटियों के लिए भी क्यों पकड़ लेते हैं? वह जांच पड़ताल के बीच संदिग्ध अपराधियों की हड्डियां क्यों तोड़ते हैं? पुलिसकर्मी फल व सब्जियाँ खरीदने व रिक्शा में या राज्य परिवहन की बसों में चढ़ने पर पैसा क्यों नहीं देते? इन प्रश्नों ने पुलिस अधिकारियों को ना केवल यह आभास कराया कि सीधे प्रश्नों का उत्तर देने की अपेक्षा अपराध की स्वीकारोक्ति करवाना अधिक सरल होता है बल्कि यह तथ्य भी कि छोटे बच्चे भी पुलिस के प्रति इतना बुरा अनुभव रखते हैं। वर्तमान भारतीय पुलिस उपनिवेशकालीन पुलिस सा व्यवहार प्रदर्शित करती है किंतु यह भी कटु सत्य है कि ढोंग, लाचारी, कायरता, स्वार्थ तथा दोहरे चरित्र से युक्त लोगों से परिपूर्ण हमारा समाज भी पुलिस के लिए नई चुनौतियां, समस्याएं तथा परेशानियां उत्पन्न करता रहता हैं।

थाने में शिकायतकर्ता अपने साथ हुए अपराध या समस्या के लिए सामान्य रूप से प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आते हैं। किंतु पाया गया कि मामला पुलिस के कार्य क्षेत्र में नहीं आता फिर भी लोग पुलिस को सहायता केंद्र समझकर उसके पास विभिन्न प्रकार की शिकायतें लेकर आते हैं। अवलोकन में पाया गया कि लाइट का गुल हो जाना, जमीन पर कब्जा या पानी की लाइन फूट जाना या फिर किसी भी सामान्य समस्या को लेकर पुलिस के पास जनता पहुंचती हैं। फिर पुलिस अधिकारियों द्वारा समाज के इन सभ्य लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। अपनी व्यस्त कार्यप्रणाली के बावजूद संबंधित समस्या का समाधान पुलिस के द्वारा किया जाता है। लोगों की मन की समस्या तथा उनकी बातों को भी सुनकर अपने कार्यों को जारी रखना होता है। फिर भी पुलिस के व्यक्तित्व को शंकालु, रूढ़िवादी, सनकी, पूर्वाग्रह समान हैसियत के पक्षधर, तेज, सामाजिक परिवर्तन ना चाहने वाले तथा अन्य लोगों से सामाजिक दूरी बनाकर रखने वाले समझा जाता है।

पुलिस थानों में शिकायतकर्ता :

भारत में प्राय: पुलिस के नाम पर एक आम व्यक्ति के चेहरे पर भय देखा जा सकता है। सामान्य रूप से पुलिस की छवि भ्रष्ट, निरंकुश तथा विवश तंत्र व्यवस्था की है। जो राजनेताओं, अपराधियों, नौकरशाहों तथा उद्योगपतियों के सामने झुकती हुई

तथा आम व्यक्ति पर दहाड़ती हुई नजर आती है। किंतु यह तस्वीर का एक ही पक्ष है स्थिति यह है कि आम व्यक्ति भी अवसर मिलते ही कानून तोड़ता है पुलिस से झूठी शिकायत करता है। ऐन वक्त पर अपने बयानों से बदल जाता है तथा यथासंभव अपनी इच्छा अनुरूप मुकदमा एवं उसका निर्णय चाहता है। कठोर कदम उठाना पुलिस की विवशता हो जाती है। पुलिस थानों में शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराते समय सर्वप्रथम अपने अनुसार शिकायत को दर्ज कराने की बात कही जाती है जो कि एकदम गलत है बिना जांच के आधार पर शिकायतकर्ता केवल अपना हित देखता है। क्योंकि वह पुलिस को अपने अनुसार अपने ढंग से कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करता है। संबंधित थानों में प्रधान आरक्षकों द्वारा भारसाधक अधिकारियों (डे अधिकारी) द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना जाता है। एवं उक्त घटना की जानकारी लेकर संबंधित घटनास्थल की जांच की जाती है तथा अपने सहयोगी अन्य अधिकारियों के माध्यम से संदिग्ध या मुजरिम की तलाश की जाती है।

घटनास्थल से तात्पर्य उस स्थान से होता है। जहां पर किसी प्रकार का संज्ञेय अपराध या प्रसंज्ञेय अपराध घटित हुआ हो संज्ञेय अपराधों में पुलिस अधिकारी द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज की जाती है। तथा प्रसंज्ञेय अपराधों में एन.सी.आर. Non-cognizable रिपोर्ट दर्ज की जाती है। घटनास्थल वह स्थान है जहां पर अपराधी पीड़ित व्यक्ति अथवा स्थल और उसकी वस्तुओं के दोनों के संपर्क में आता है तथा तब पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराई जाती है।

अपराधी के अन्वेषण और अपराधिक न्याय प्रणाली की दृष्टि से घटनास्थल का विशेष महत्व होता है। क्योंकि इस स्थल पर ना केवल वे साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर अपराध होने की पुष्टि होती है बल्कि इन्हीं के आधार पर अपराधी व्यक्ति को दोषी सिद्ध किया जा सकता है। यह सामान्यतया अधिकतर अपराधिक मामलों में अन्वेषणकर्ता या अन्वेषण अधिकारी (एस.आई.) उप निरीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी होता है जैसे ही पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त होती है तो वह उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अनुसार लेखबद्ध करता है। और यहीं से उसका कार्य प्रारंभ हो जाता है। अपराध का अन्वेषण करने वाला व्यक्ति ही अपराध अन्वेषक या अपराध अनुसंधानकर्ता कहलाता है। अपराध अन्वेषणकर्ता उपनिरीक्षक या इससे उच्च पद वाला पुलिस अधिकारी होता है। जिसे अपराध के अन्वेषण हेतु अपराध की रोकथाम एवं निवारण के प्रति उत्तरदाई शासकीय संस्था द्वारा विधि-संगत तरीके से नियुक्त किया जाता है।

अन्वेषण अधिकारी का घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात सबसे प्रथम कार्य घटना स्थल की सुरक्षा करना यदि घटनास्थल पर कोई घायल पड़ा है तो उसकी चिकित्सा कराना होता है। किसी मामले की पूर्ण सफलता उस मामले का अन्वेषण कर रहे अधिकारी की अन्वेषण प्रक्रिया पर निर्भर करती है। जितनी अच्छी तरह से अन्वेषण कार्य किया जाएगा अपराधी के निकल भागने के उतने ही कम अवसर होंगे।

एक अच्छे अन्वेषण अधिकारी के निम्नलिखित गुण बताए गए हैं

1. विधि का प्राथमिक ज्ञान।
2. ईमानदार और परिश्रमी।
3. स्थानीय भाषा का ज्ञान।

4. उत्तम स्मरणशक्ति।

5. पूर्वाग्रह से मुक्त।

6. स्थानीय प्रथाओं का ज्ञान।

7. आधुनिक तकनीकों का ज्ञान।

8. अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान।

9. उपलब्ध सुविधाओं का ज्ञान।

10. क्षेत्र में होने वाले अपराधों की प्रवृति का ज्ञान।

11. व्यक्ति को परखने की योग्यता।

12. जिज्ञासा।

13. संदेह।

14. अपराध सार साक्ष्य का ज्ञान।

15. अनुकूलता।

16. स्थानीय संस्कृति का ज्ञान।

शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत करने पर, थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा, सी.आर.पी.सी. की धारा 154 के अनुसार, प्रथम सूचना प्रतिवेदन, लिखा जाता है एवं सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जाता है उसके हस्ताक्षर करने के पश्चात उसकी एक प्रति सूचना देने वाले को दी जाएगी। एवं उसके पश्चात उसे जनरल डायरी में लिखा जाएगा इसकी 6 प्रतियां लिखी जाती हैं इसे सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जाता हैं एवं उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर एक प्रति तुरंत न्याय अधिकारी एक एसपी तथा एक शिकायतकर्ता को दी जानी चाहिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 एवं 157 के अंतर्गत एफ.आई.आर. गवाही या साक्ष्य रूप में मान्य होती है। यदि पीड़िता पक्ष या अभियोजन पक्ष का व्यक्ति एफ.आई.आर. से अलग जानकारी न्यायालय में देता है तो उसे झूठा करार दिया जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एफ.आई.आर. एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जो अभियोजन पक्ष के पास साक्ष्य के रूप में रहता है एवं एक बार लिखी जाने के बाद ना तो इसमें संशोधन किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध एफ.आई.आर. लिखी जाती है तो वह अभियुक्त हो जाता है।

आम जनता के साथ पुलिस का व्यवहार :

पुलिस का व्यवहार सामान्यतया जनता के साथ अच्छा नहीं माना जाता है। पुलिस को जनता द्वारा डराने धमकाने वाला भ्रष्ट आचरण करने वाला बताया जाता है। बल्कि स्थिति इसके विपरीत दिखाई देती है पुलिस का प्राथमिक कार्य जनता के साथ मित्रवत व्यवहार करना होता है तथा जनता के हितों की तथा अधिकारों की रक्षा करना है। जनता कई बार पुलिस के कार्य में बाधा बनती है सांप्रदायिक दंगे, सभाओं में अस्त-व्यस्तता तथा पुलिस के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन ना करना इस स्थिति में जनता के साथ पुलिस को कठोर व्यवहार करना पड़ता है। पुलिस द्वारा आम जनता की शिकायतों का निवारण हमेशा किया जाता है पुलिस की अतिव्यस्त कार्य प्रणाली के बावजूद वह जनता के साथ सहयोगात्मक रवैया तथा गलत कार्य में लिप्त ना होने एवं सही तथा गलत कार्य में अंतर तथा जनता के कर्तव्य से उसका परिचय हमेशा कराती रहती है। पुलिस द्वारा इसी तारतम्य में किसी भी क्षेत्र में कुछ लोगों के साथ मिलकर जानकारी एकत्र कर अपराध पर नियंत्रण किया जाता है। पुलिस जनता के लोगों को

विधिक ज्ञान तथा उसकी परिभाषा से समय-समय पर अवगत कराती रहती है।

केस अध्ययन

1. **जमीन विवाद से संबंधित :** एक महिला द्वारा थाने में पहुंचकर जमीन से संबंधित विवाद को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिसमें उसने अपने पड़ोसी के ऊपर कुएं की जमीन पर अवैध तरीके से मकान बनाने की बात कही गई। संपूर्ण केस का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि महिला द्वारा उसके घर के दरवाजे के सामने मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। वह बहुत दिनों से उसको गाली गलौज तथा प्रताड़ित कर रही थी। महिला के द्वारा व्यक्ति के ऊपर अपनी लड़की के साथ छेड़खानी का गलत आरोप लगाया गया था। संबंधित केस में पुलिस द्वारा जांच हेतु घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कार्य प्रारंभ किया गया। व्यक्ति को विवेचना हेतु थाने में पूछताछ के लिए कुछ समय तक रखा गया। पुलिस ने संबंधित केस में महिला के बयान लिए तथा व्यक्ति द्वारा पूर्व में भी उसके ऊपर केस किया जा चुका है। उक्त केस में पुलिस द्वारा आरोपी व्यक्ति के साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया गया। उक्त केस में एक अन्य महिला द्वारा पुलिस वालों के ऊपर व्यक्ति को बंदी गृह में रखने का आरोप लगाया गया। जबकि व्यक्ति को पूछताछ के लिए विवेचक कक्ष में रखा गया। महिला द्वारा अपना परिचय विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारी की पत्नी होने के रूप में दिया गया। महिला द्वारा थाने में ही बैठकर आरोपी को गलत समझाया गया। जिसका की पुलिस ने विरोध किया। जांच उपरांत शिकायतकर्ता महिला एवं आरोपी बनाए गए व्यक्ति को मामला सुलझाने की तथा आपस में प्रेम से रहने की सलाह दी गई। व्यक्ति को उसका मकान बनाने में परेशानी होने पर रिपोर्ट करने को कहा गया तथा दोनों पक्षों को समझाकर छोड़ दिया। दोनों व्यक्तियों के बयानों के उपरांत पाया गया की महिला द्वारा गलत तथ्यों एवं गलत बयानों को दर्ज कराया गया एवं झूठे आरोप में व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की जा रही थी।

2. **चोरी से संबंधित मामला :** तिली गांव क्षेत्र की घटना में एक व्यक्ति जो कि पेशे से शिक्षक है अपने घर में अकेला सो रहा था। उसके पास से ₹ 90000 चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई उक्त केस का अध्ययन करने पर पाया गया कि व्यक्ति का परिवार कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गया हुआ था। व्यक्ति रात्रि में खाना खाकर टीवी के सामने टीवी देखते-देखते सो गया और सुबह देखा तो उसकी एक अलमारी से जो कि दूसरे कक्ष में रखी हुई थी उसमें से ₹ 90000 की चोरी की गई थी। पुलिस द्वारा घटनास्थल की जांच की गई तथा पाया गया कि व्यक्ति द्वारा दरवाजे के ऊपर सामान्य जाली का निर्माण किया गया है एवं खिड़कियों पर भी लोहे की जाली लगाई गई है। उसके सामान को किसी व्यक्ति द्वारा बेईमानी पूर्वक चुरा लिया गया। पुलिस द्वारा व्यक्ति को सुरक्षा हेतु कई उपाय बताए गए। उसकी हर तरह से मदद करने की कोशिश की। फिर भी वह व्यक्ति भाग्य में ऐसा होगा इसलिए ऐसा हुआ इस प्रकार की बातें करने लगा। अध्ययन में बयानों के उपरांत पाया गया कि व्यक्ति स्वयं की संपत्ति की रक्षा करने में स्वयं सक्षम नहीं है फिर भी जांच में पुलिस पर पूर्ण विश्वास नहीं दिखा रहा था

3. **जमीन विवाद से संबंधित:** एक व्यक्ति द्वारा थाने में पहुंचकर शिकायत कराई गई। उक्त केस में पाया गया कि व्यक्ति द्वारा निगम की जानकारी में अवैध तरीके से दुकान निर्माण का कार्य किया जा रहा है। निगम द्वारा व्यक्ति को वहां से हटाए जाने को लेकर नोटिस पहुंचाया गया। व्यक्ति द्वारा राजस्व विभाग का प्रकरण होने के बावजूद एफ.आई.आर. लिखने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। शिकायतकर्ता द्वारा मंत्री जी को फोन लगाने की बात कही गई। पुलिस द्वारा प्रथम केस को समझने का प्रयास किया गया। आवेदन की प्रति राजस्व विभाग के मामले में थाने से ऊपर वाले अधिकारियों को आवेदन करने के अधिकार के बारे में बताया गया। पुलिस द्वारा उक्त के माध्यम से अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता के साथ समस्या यह होती है कि उन्हें कई बार यह पता ही नहीं होता है कि वह अपराध किस थाने में रजिस्टर्ड होगा अज्ञान के कारण वह किसी भी थाने में रिपोर्ट लिखवाने चले जाते हैं जो कि पुलिस के लिए एक अलग से परेशानी का विषय बन जाती है

पुलिस द्वारा संबंधित सभी केसों में घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्यों को संरक्षित कर परीक्षण हेतु जांच कार्य करने के लिए पुलिस की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है

1. पुलिस द्वारा प्रतिदिन अपराध का आकलन तथा उसके विवेचन एवं परीक्षण को किया जाता है।

2. प्रतिदिन नियमित रूप से केस डायरी का लेखन कार्य किया जाता है।

3. पुलिस के द्वारा संपूर्ण केस का अवलोकन कर साक्ष्यों को एकत्रित कर एफ.एस.एल. में भेजा जाता है। विवेचना पूर्ण चार्जशीट तैयार कर न्याय हेतु न्यायालय को भेजा जाता है।

पुलिस थानों में पुलिस के आचरण का स्वरुप कारण/परिस्थितियां :

पुलिस थानों में पुलिस के आचरण का स्वरूप सामान्य व्यक्ति से या किसी अन्य प्रोफेशन से अलग होता है। पुलिस जनता के साथ या शिकायतकर्ता के साथ या आरोपी के साथ जिस प्रकार से व्यवहार करती है वह सामाजिक परिपेक्ष से उसका आचरण गलत हो सकता है। किंतु यदि पुलिस इस तरह से व्यवहार ना करें तो संवैधानिक तंत्र के विफल होने का भय बना रहता है कारण एवं परिस्थितियां:

1. **आरोपी व्यक्ति द्वारा झूठ बोलना:** पुलिस द्वारा आरोपी व्यक्ति के साथ कई बार मारपीट या अपशब्द बोले जाते हैं फलस्वरूप आरोपी पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करता है एवं पुलिस को डराने धमकाने का कार्य करता है। राजनीतिक धमकी दी जाती है एवं पुलिस को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है।

2. **राजनीतिक हस्तक्षेप:** पुलिस का आचरण जनता एवं शिकायतकर्ता एवं आरोपी की नजर में राजनीतिक रूप का होता है। पुलिस के ऊपर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा अपने व्यक्ति के केस में दबाव बनाया जाता है जिसके कारण कई बार पुलिस के द्वारा अपराधी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है।

3. **पुलिस का स्वभाव चिड़चिड़ा एवं क्रोधी होना:** कई मामलों में पुलिस के ऊपर अत्यधिक दबाब तथा अत्यधिक कार्य हो जाने के कारण एवं सीनियर अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किए जाने एवं किसी भी समय किसी भी स्थिति में

तैयार रहने की स्थिति जो कभी-कभी संभव नहीं हो पाता पुलिस को चिड़चिड़ा एवं क्रोधी बना देते हैं। सामान्य व्यक्ति के अनुसार पुलिस को अधिक स्वस्थ एवं शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से फिट होना चाहिए। आरोपी की तलाश, तथ्यों से भटकाव एवं झूठे केसों में मेहनत व परिश्रम अधिक हो जाने से भी पुलिस क्रोधी एवं चिड़चिड़ा हो जाती है।

4. **मानसिक आवेगो पर नियंत्रण न होना:** पुलिस की दिनचर्या में 24 घंटे का कार्य तो 365 दिन की कार्यप्रणाली को वर्णित किया गया है। कार्य की अधिकता होने से बीमारी की स्थिति या पारिवारिक परेशानी के बावजूद पुलिस को कार्य करना पड़ता है। इस स्थिति में भी पुलिस अपने कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करती है

आचरण का स्वरूप एवं परिस्थितियां

1. हिंसक जन आंदोलन और पुलिस की व्यवस्था।
2. सुरक्षाकर्मियों की बाध्यतायें।
3. भीड़ का मनोविज्ञान।
4. परंपरागत समाज एवं कानून।
5. भारतीय पुलिस प्रशासन और उसकी फारसी भाषा।

सुधारात्मक सुझाव :

1. पुलिस थानों में कार्यों की अधिकता होने के कारण पुलिस बल पर अधिक भार बढ़ता है जो कि एक पुलिस वाले के ऊपर जनसंख्या के अनुपात में अधिक भार होता है। इसलिए पुलिस बल में विशेष पुलिस बल की नियुक्ति की जाती है। पुलिस बल में वृद्धि से कार्यों का बंटवारा तथा भार में कमी की जा सकती है।
2. पुलिस के लिए थानों में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था के उपकरणों का निर्माण तथा उपलब्ध संसाधनों की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए तथा अति आधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण देना चाहिए।
3. पुलिस थानों में कई बार तनाव, क्रोध, चिंता आदि विभिन्न मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ता है जिससे वे अपनी सामान्य दिनचर्या को व्यवस्थित ढंग से नहीं रख पाते हैं इसलिए उन्हें पुलिस प्रशिक्षण के दौरान ही मानसिक समस्याओं से निपटने के लिए साइक्लोजिकल काउंसलिंग मनोवैज्ञानिक परामर्श अध्ययन एवं पीड़ित अपराधी मनोविज्ञान का प्रायोगिक अध्ययन कराया जाना चाहिए।
4. पुलिस के कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप ना किया जाए क्योंकि इस स्थिति में अपराधी व्यक्ति जमानत पर रिहा होकर पुलिस के लिए अन्य कठिनाइयां उत्पन्न करता है। पुलिस कार्य में हस्तक्षेप ना करते हुए उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाए।
5. पुलिस थाने में शिकायतकर्ता के साथ में मित्रवत व्यवहार किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता की बात को ध्यानपूर्वक सुनना समझना चाहिए एवं शिकायतकर्ता को यथा योग्य परामर्श तथा उसकी समस्या का निदान करना चाहिए।
6. पुलिस और जनता के मध्य में समय-समय पर संवाद कार्यक्रम सभाओं का आयोजन होना चाहिए ताकि जनता के प्रति व्यवहार

एवं सहयोग की भावना बनी रहे। जनता की सहायता से अपराध पर नियंत्रण किया जा सके।

7. पुलिस को, जनता के साथ सामान्य व्यवहार, क्षेत्र से संबंधित अपराधों की जानकारी, विधिक सेवाओं से संबंधित जानकारी को विधिक भाषा में न समझाकर सामान्य भाषा में समझाना चाहिए।

8. जनसाधारण तथा पुलिस के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने तथा एक दूसरे को जानने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शन या अन्य चैनलों के माध्यम से कार्यक्रम प्रसारित होने चाहिए जिससे कि मीडिया फिल्मों एवं समाचार पत्रों में पुलिस की नकारात्मक छवि को सुधारा जा सके।

9. विभिन्न राज्यों में जनमैत्री सुरक्षा परियोजना के माध्यम से सामुदायिक पुलिस के साथ प्रयोग किया जा रहा है। 'संयुक्त गश्ती समितियों', असम के माध्यम से 'मीरा पायबी', तमिलनाडु के माध्यम से 'फ्रेंड्स ऑफ पुलिस', पश्चिम बंगाल 'कम्यूनिटी पुलिस प्रोजेक्ट' के माध्यम से, भारत में सामुदायिक पुलिस के कुछ उदाहरण हैं। इसी प्रकार से देश के सभी राज्यों में समितियों का गठन पुलिस थानों के माध्यम से होना चाहिए।

10. अपराधशास्त्र विषय के ज्ञान की उपयोगिता से पुलिस बल के साथ कार्यात्मक प्रयोग करते हुए समाज से अपराध तथा शिक्षित बेरोजगारी पर नियंत्रण किया जा सकता है।

संदर्भः

1. सिंह, श्यामधर (2008) "अपराधशास्त्र के सिद्धांत" सपना अशोक प्रकाशन वाराणसी, उत्तर प्रदेश पेज कं 419-435.

2. चौबे, पंकज (2018) पुलिस थानों में शिकायतकर्ता एवं आम जनता के साथ पुलिस का व्यवहार, आचरण का स्वरुप, कारण, परिस्थितियां एवं सुधारात्मक सुझाव पुलिस अधीक्षक कार्यालय सागर, मध्य प्रदेश

❑

कोरोना महामारी: पुलिस को कार्य के दौरान तनाव व उपाए

डॉ. नंदकिशोर एस. भगत, *विभाग प्रमुख*
अपराधशास्त्र व सुधारात्मक प्रशासन, भंडारा
श्रीमती शालिनी जे.भगत *(काउंसलर)*

प्रस्तावना

समाज में अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के लिये पुलिस नामक संस्था का उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय दिन-ब-दिन इतना अधिक जटिल होता जा रहा है कि इसे सामान्य उपदेशों व परम्परागत विचारों द्वारा नियंत्रित करना सम्भव नहीं है। पुलिस को समाज के अपराधियों के विरूद्ध प्रथम प्रतिरक्षा पंक्ति माना जा सकता है । पुलिस द्वारा ही सर्वप्रथम अपराध तथा अपराधी से सम्बन्धित कार्यवाही की जाती है, इसीलिये उन पर जो प्रारंभिक कार्यवाही की जाती है, वही बाद के सभी चरणों पर न्यायालय तथा जेल आदि का आधार बनती है । इसलिये अपराधी का पता लगाना, उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में उपस्थित कराना तथा उस पर कानून की अवहेलना का अभियोग लगाना, पुलिस का कर्तव्य माना जाता है। दूसरे, सरल शब्दो में यह भी कहा जा सकता है कि पुलिस का प्रमुख कार्य वस्तुतः कानून और व्यवस्था स्थापित करना है। किंतु इन सभी कार्यों या भूमिका के निर्वाह के दौरान पुलिस कर्मचारियों में काफी तनाव और गुस्से का प्रभाव नजर आता है । उन्हें कम वेतन, अधिक कार्यावधि, अपूर्ण पुलिस कल्याण कार्यक्रम आदि बातों के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है । वर्तमान में विश्वभर में फैली महामारी नोवेल कोविड-19 (कोरोना) के बचाव हेतु देश में लॉकडाउन के दौरान पुलिस विभाग की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई । उन्हें परिवार से दूर रहकर कानून, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर काम करना पड़ रहा है । कार्य के दौरान लोगों के गुस्से, आक्रोश और लोगों द्वारा मारपीट का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा है । इस पर स्वाभाविक रूप से पुलिस कर्मचारियों में अच्छे कार्य का बुरा नतीजा सोचने की भावना से वे आहत होंगे और उनमें तनाव से तरह-तरह के मनोविकार विकसित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं । ऐसी दशा में पुलिस कर्मचारियों को समुपदेशन और मार्गदर्शन के माध्यम से तनाव रहित रखा जा सकता है । पुलिस कर्मचारियों की इसी परिस्थिति को ध्यान में रखकर उन्हे अपनी भूमिका का निर्वाह करते समय आने वाली समस्याओं और तकलीफों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया है ।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यही है कि वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है । उसमें पीड़ितों के साथ ही सेवा देने वालों तथा नागरिकों को अलग-अलग समस्याओं से जूझना पड़ रहा है । ऐसे में कोरोना पीड़ितों तथा उसके प्रतिबंधक उपाए में प्रथम पंक्ति में खड़े होकर सेवा देने वाले पुलिस विभाग को काफी दिक्कतों और जानहानि के खतरे का भी सामना करना पड़ रहा है । जान जोखिम में डालकर वे काफी तनाव और अवसाद में भी हैं । इसी शोध दृष्टि, प्रश्न को ध्यान में रखकर पुलिस विभाग के कर्मचारियों पर ध्यान केंद्रित कर अध्ययन किया गया ।

पुलिस कर्मचारियों में कार्य के दौरान तनाव के कारण:

1 नियमों और कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं।

2 कार्य के दौरान राजनैतिक व अन्य प्रकार का दबाव ।

3 स्व जिम्मेदारी व कानून का पालन न कर पाना।

4 उच्च अधिकारियों से कार्य की नैतिक बाध्यता।

5 परिवार को समय न दे पाना ।

6 कार्य अवधि अधिक होना ।

7 कल्याणकारी कार्य की कमी ।

8 कार्यस्थल पर संसाधनों की कमी ।

पुलिस के कार्य के दौरान तनाव की स्थिति का निर्माण

1 गश्ती एंव निगरानी

पेट्रोलिंग गश्त एवं पहरेदारी पुलिस के दृश्यमान कार्य हैं । अपने क्षेत्र के कुख्यात, निगरानीशुदा अपराधियों एवं बदमाशों पर उचित नजर रखना भी पुलिस का एक प्रमुख कार्य है । इस दौरान पुलिस कर्मचारियों को संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ता है । ऐसे समय में अपराधी अधिक सक्षम और पुलिस लाचारी की भावना से ग्रसित होती है । जिससे उनमें तनाव घर करने लगता है ।

2 प्राथमिकी दर्ज करना

पुलिस का सर्वप्रथम कार्य संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट / एफआईआर दर्ज करना होता है जिसमें अपराध की घटना की इत्तिला दर्ज की जाती है । प्राथमिकी की चार प्रतियां तैयार की जाती हैं जिनमें मूल प्रति पुलिस स्वयं अपने रिकार्ड में रखती है जबकी एक प्रति सूचना देने वाले व्यक्ति या परिवादी को दी जाती है तथा एक प्रति पुलिस अधीक्षक या पुलिस कमिश्नर तथा एक सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। प्राय: यह देखा जाता है कि पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से बचने के लिए प्राय: असंज्ञेय अपराध रिपोर्ट फाइल करती है । उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी किसी प्रकरण की जांच प्रारम्भ नहीं कर सकती है जब तक इसकी प्राथमिकी दर्ज न की गई हो । प्राथमिकी दर्ज करते समय ही पुलिस कर्मचारियों में तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। दरअसल पुलिस को प्राथमिकी के पश्चात इतने दस्तावेज तैयार करने पड़ते हैं कि वे इस तनाव के कार्य से बचने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने से टालमटोल करते हैं । दस्तावेजों का झंझट, संसाधनों की कमी, कर्मचारियों की कमी आदि बातों को ध्यान में रखकर वे इस कार्य से बचने का प्रयास करते हैं किंतु आजकल ऑनइलाईन व्यवस्था होने के कारण मजबूरन एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है ।

3 गिरफ्तारी एवं हिरासत में लेना

पुलिस का प्रमुख कार्य अपराधी या संशयित व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे अपनी अभिरक्षा में लेना है । इस संबंध में पुलिस को व्यापक अधिकार शक्ति है लेकिन बन्दी बनाए गए व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस को दण्ड प्रक्रिया के उपर्युक्त उपबन्धों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है । पुलिस आवारा, कुख्यात बदमाशों या सन्देहास्पद पूर्ववृत वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करके हिरासत में ले सकती है तथा अच्छे

आचरण की शर्त पर जेल से रिहा व्यक्ति पर निगरानी रखते हुए आवश्यक होने पर उसे अभिरक्षा में ले सकती है ।

पुलिस के विरूद्ध यह आरोप प्रायः लगाया जाता है कि वह अपने निवारक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान या किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या संशयित व्यक्ति को पकड़ते समय शारीरिक बल प्रयोग करती है तथा पुलिस हिरासत में लेने के पश्चात भी वह बल प्रयोग जारी रखती है । समाज के निचले वर्ग के लोग जो निर्धन, अशिक्षित या साधनहीन हैं, पुलिस की ज्यादतियों का शिकार प्रायः होते हैं । इसे रोकने हेतु पुलिस सुधार द्वारा बार-बार प्रयास किये गए परंतु यह दुर्व्यवस्था आज भी जारी है । पुलिस के दुरूपयोग की अनेक शिकायतें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्राप्त होती रहती हैं । जिससे चिंतित होकर आयोग ने सांविधानिक प्रावधानों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्णयों पर आधारित मार्गदर्शिका निर्देशित की है जिसका समर्थन राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने भी किया है । आयोग ने पुलिस विभाग को एक सुझाव दिया है कि पुलिस विभाग को एक शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना चाहिए जो पुलिस कर्मचारियों के विरूद्ध लोगों की शिकायतों का निपटारा शीघ्रता से कर सके ।

किंतु यह तो पुलिस की कार्य स्थल पर वैधानिक कार्यों में समस्याओं की बात हुई । परंतु इन समस्याओं से पुलिस कर्मचारियों को होने वाली मानसिक समस्याओं की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता । उनमें इन परेशानियों के कारण तनाव, अवसाद आदि की संभावनाए बढ़ जाती हैं । उच्च अधिकारियों या पुलिस आयोग आदि में शिकायत होने पर पुलिस कर्मचारी काफी तनाव में कार्य को अंजाम देते नजर आतें है । वे पूर्ण ईमानदारी से कार्य नहीं कर पाते ।

4 खाना तलाशी एवं जामा तलाशी

पुलिस का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य अपराधियों एवं संशयित व्यक्तियों से पूछ-ताछ करना तथा उनकी खाना तलाशी या जामा तलाशी लेना है । जामा तलाशी से आशय अपराधी की जेबों तथा कपड़ों आदि को टटोलकर तलाशी लेने से है ताकि उसके पास किसी घातक वस्तु या शस्त्र से पुलिस को खतरा न रहे । तलाशी के कारण व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है । ऐसे मानवाधिकार, निजता का अधिकार के कारण ही पुलिस का मनोबल गिरता जाता है। उन्हें लगने लगता है कि वे तो पूरी ईमानदारी से कार्य करते हैं किंतु अपराधी को इन अधिकारों के कारण बचने का मार्ग मिल जाता है । इन्हीं सब कारणों से उनमें तनाव, चिड़चिड़ापन आदि मानसिक समस्याएं भी बढ़ जाती हैं ।

5 अपराधी से पूछताछ करने का अधिकार

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 42 के अनुसार किसी अंसज्ञेय अपराध के संदेह में पुलिस संशयित अपराधी से उसके नाम, पते आदि की पूछताछ कर सकती है। अपराधी से पूछताछ के दौरान बयान पर उसके हस्ताक्षर करा लेना दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अनुसार अवैध है । पुलिस ठोस साक्ष्यों के अभाव के कारण अपनी चार्जशीट मजबूत नहीं कर पाती । अपराधी इन्हीं तकनीकी कारणों से छूट जाते है । पुलिस कर्मचारियों को अपने उच्च अधिकारियों के डांट, कार्यवाही का डर सताता रहता है ऐसे में तनाव, चिंता की संभावना बढ़ जाती है ।

6 पुलिस द्वारा अन्वेषण

अन्वेषण का उद्देश्य अपराध सम्बन्धी साक्ष्य जुटाना तथा अपराधी को बन्दी बनाना होता है । पुलिस पर प्राय: यह आरोप लगाया जाता है कि साक्ष्य से संस्वीकृति या सच्चाई उगलवाने के लिए वह शरीरिक बल प्रयोग या यातनात्मक प्रयोग करती है । यह भी धारणा है कि पुलिस का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं होता । ऐसे कई प्रावधान पुलिस के प्रति घोर अविश्वास के घोतक हैं जो प्राय: पुलिस अन्वेषण में बाधक होते हैं तथा पुलिस में तनाव और चिंता का कारण बनते हैं ।

7 बंदोबस्त

पुलिस को बंदोबस्त के दौरान भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । उन्हें अपराधी की खोजबीन करते समय, मोर्चे, आंदोलन आदि समय में बंदोबस्त करना पड़ता है किंतु इस दौरान सभ्य नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है । ऐसे में पुलिस दुविधा में भी रहती है कि वे अपनी ईमानदार और नागरिकों की रक्षक पुलिस के कर्तव्य का पालन कैसे करें । नागरिकों के गुस्से का सामना करते-करते पुलिस कर्मचारियों में तनाव का आना स्वाभाविक है ।

तनाव से प्रभाव:

पुलिस कर्मचारियों में यदि कार्य के दौरान तनाव निर्माण होगा तो उससे उनकी भूमिका पर प्रभाव पड़ेगा ही । उनकी व्यवसायिक गतिविधियों में गिरावट आएगी विशेष रूप से कानून और व्यवस्था के पालन में प्रभाव पड़ेगा । उन्हें हर समय क्षति का भय सताता रहता है । हिंसा और मृत्यु के निरंतर जोखिम को अनदेखा करना भी, तनाव व अवसाद का कारण बन सकता है । अवसाद न केवल प्रारंभिक सेवानिवृत्ति में, बल्कि पुलिस अधिकारी, हत्या- आत्महत्याओं, घरेलू हिंसा, अनावश्यक हिंसा और आक्रामकता में भी एक योगदान कारक हो सकता है, जबकि सेवा में पुलिस संस्कृति द्वारा निभाई गई भूमिका से अधिक और उससे अधिक होने वाली सेवा जो आक्रामक और अधिनायकवादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कर सकती है ।

तनाव से मुक्ति के उपाए:

पुलिस कर्मचारियों में कार्य के दौरान काफी तनाव की स्थिति नजर आती है । एक शोध में स्पष्ट हुआ है कि जो भी पुलिस कर्मचारी अपने परिवार के साथ रहते हैं उनमें तनाव की संभावनाएं कम पाई गई हैं । उनमें अपने कार्य को करने का कौशल है तथा वे अपने कार्य को नियंत्रित रूप से करने में सक्षम नजर आते हैं । इन कर्मचारियों को कार्य करते समय तनाव, अवसाद, चिढ़चिढ़ापन, उदासी, निराशा आदि से मुक्त रखने के लिए कई उपाए नजर आते हैं ।

1 पुलिस कर्मचारी अपने कार्य के स्वरूप अनुसार कार्य को परखें फिर उसे नियंत्रित रूप से कार्य अनुसार पूर्ण करें तभी कार्य भी सफल होगा और तनाव मुक्त रहेंगे ।

2 पुलिस कर्मचारियों को कार्य के दौरान सामाजिक सहयोग प्राप्त हो, ताकि सहयोगी कर्मचारी से भी किसी प्रकार का तनाव निर्माण न हो और उसके क्षेत्र कार्य में भी तनाव का माहौल न बनें । कर्मचारी पूर्ण शांति और सदभाव के साथ अपने कार्य को अंजाम दे सकें ।

3 पुलिस कर्मचारियों के विभागों में फेरबदल कर मानसिक तनाव को कम किया जा सकता

है । उन्हें नया माहौल, वातावरण मिलने से वे हल्का महसूस करेंगे तथा तनाव मुक्त रह सकेंगें । उसी प्रकार अपने कार्य को बदलाव के रूप में देखेंगे और सुधार कर सकेंगें ।

4 विभाग में और व्यक्तिगत रूप से भी तनाव को कम करने की तकनीक विकसित करनी होगी ।

5 कार्य प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेने में कौशल और स्वायत्तता का विकास होना चाहिए ।

6 मनोचिकित्सा और सामरिक प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए ।

7 उच्च अधिकारियों से समय-समय पर प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए साथ ही पुलिस अधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य को पर्याप्त स्तर पर बनाए रखने के लिए पेशेवर मनोवैज्ञानिक, समाजकार्यकर्ता और परामर्शदाताओं की सेवाओं को शामिल करना चाहिए ।

तनाव मुक्ति के लिए स्वउपचार:

1 परिवार, दोस्त या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हों ।

2 अपने शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल करें, शारीरिक व्यायाम करें ।

3 विश्रांति तकनीक का उपयोग करें ।

- सांस लेने के व्यायाम का प्रयास करें ।
- संगीत सुनें ।
- अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें ।

4 स्वस्थ आहार खाएं ।

5 अपने आप को विराम दें ।

- अपने आप को आश्वस्त करने का प्रयास करें ।

6 बोलो: अपनी भावनाओं को व्यक्त करें ।

किसी के साथ समस्या के बारें में बात करने की क्षमता, अंतर की दुनिया बनाती है । यह आश्चर्यजनक है कि किसी से बात करने मात्र से ही आपके शरीर के भीतर की परेशानी को काफी हद तक कम कर सकता है ।

निष्कर्ष: विश्वव्यापी इस कोरोना महामारी के कारण विविध प्रकार की समस्याओं से सभी को जुझना पड़ रहा है। चाहे वो जरूरतमंद लोगों को खाने की परेशानी हो या फिर पुलिस को अपनी भूमिका को निभाने में । प्रस्तुत अध्ययन में यह सिद्ध हुआ है कि अवसाद और चिंता सामान्य है, लेकिन अत्यधिक व्यक्तिपरक, मानव विकार है । जबकि सामान्य चिंता एक लाभदायक और अनुकूली उद्देश्य को पूरा करती है जहां अवसाद लाखों लोगों के लिए जबरदस्त पीड़ा का कारण बन सकता है । विभिन्न मनोवैज्ञानिक विकारों, सिद्धांतों और संबंधित उपचारों की समीक्षा की गई । अवसाद और अन्य विकारों के लिए उपाय एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित हैं । इस अध्ययन ने इन जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों की जांच की है जो तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक विकारों में योगदान करते हैं । अध्ययन के माध्यम से, हजारों साहसी पुलिस अधिकारियों ने अपने स्वास्थ्य को पुन: प्राप्त किया है, अपने कामकाज को बहाल किया है, और अब जीवन को समृद्ध और पुरस्कृत करने का आनंद ले रहे हैं । हमें विश्वास है कि

तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक विकारों के उपचार में उन्नति इन विकारों से प्रभावित लोगों और परिवारों को आशा और राहत दिलाती रहेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

कार्ल रॉजर्स काउंसलिंग एण्ड सॉयकोथेरेपी, 1942

स्किनर बी.एफ. बियांड फ्रिडम एण्ड डिगनीटी, 1971

वाल्टर क्ल्युवर. इंडियन जर्नल ऑफ साइकाइट्री, मैडनो पब्लिकेशन, 2006

परांजपे ना.वि. अपराधशास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं प्रपीड़न शास्त्र, 2018

बघेल डी.एस. अपराधशास्त्र, 2018

सिंह श्यामधर अपराधशास्त्र के सिद्धांत, 2008

चौहान एम.एस. अपराधशास्त्र, दण्ड प्रशासन एवं पीड़ितशास्त्र, 2012 ❑

"साइबर क्राईम"

शंकर कुमार
सिपाही, बिहार सैन्य पुलिस

प्रस्तावना

आज हम टेक्नोलॉजी के उस युग में जी रहे हैं जहाँ आए दिन नए-नए अविष्कार हो रहे हैं, जिनसे एक तरफ हमारी जिंदगी आसान हो रही है, वहीं दूसरी ओर इसके बहुत से दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, उन्हीं दुष्परिणामों का नाम है, **साइबर क्राईम**।

इस अत्याधुनिक तकनीकी युग में लोग अपना जीवन सरल बनाने के लिए मोबाईल, कम्प्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच जैसे कई उपकरणों का उपयोग बैंकिंग, सामाजिक नेटवर्किंग, ऑनलाईन खरीदारी, सूचनाओं का आदान-प्रदान, गेमिंग, ऑनलाईन पढ़ाई, ऑनलाईन नौकरियों के लिए करते हैं। इन सुविधाओं के बीच आज दुनिया भर में बहुत सारे लोग इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे लोगों की व्यक्तिगत जानकारियों की चोरी कर रहे हैं, जिसे साइबर क्राईम (अपराध) कहते हैं।

साइबर अपराध या कम्प्यूटर अपराध ऐसा अपराध है, जिसमें एक कम्प्यूटर और एक नेटवर्क शामिल होता है, जिसके माध्यम से इस अपराध को अंजाम दिया जाता है। इन्टरनेट यूजर के लिए ये टर्म साइबर क्राइम बहुत ही जाना पहचाना नाम है, लेकिन क्या हम सभी जानते हैं कि ये साइबर क्राईम क्या है और साइबर क्राईम किस तरह से किसी के जीवन में परेशानियाँ बढ़ा देती है, आईये जानते हैं:

"वैसी आपराधिक गतिविधि जहाँ कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर नेटवर्क को साधन या लक्ष्य बनाकर गलत मानसिकता के साथ दूसरों की ऑनलाईन गोपनीयता को भंग किया जाता है, साइबर अपराध कहलाता है"। सरल शब्दों में कहें तो साइबर अपराध कम्प्यूटर की मदद से अंजाम दिया जाता है। इन अपराधों में लिप्त लोगों को हैकर्स, क्रैकर्स आदि नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा अपराध है जिसे अंजाम देने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।

हैकर्स कम्प्यूटर से हैकिंग, स्पैमिंग या फिसिंग आदि की मदद से ऑनलाईन घोटाले, लोगो की व्यक्तिगत जानकारियों की चोरी, अश्लील तत्वों को बढ़ावा देने, व्यक्तिगत दस्तावेजों को सार्वजनिक करने, स्पैम ईमेल करने आदि अन्य अवैध तरीकों का इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करते हैं। यह अपराध अनेक प्रकार से हो सकता है, जैसे कि किसी डाटा को चुराना, डिलिट करना या किसी डाटा में परिवर्तन करना।

अब सवाल यह है कि डाटा क्या होता है! डाटा का मतलब होता है किसी भी तरह की जानकारी, सूचना, दस्तावेज, जैसेः फाईल, विडियो, गाना, फोटो, टेक्स्ट, सॉफ्टवेयर आदि। कम्प्यूटर के द्वारा होने वाले सभी कार्यों में डाटा संग्रह होता है। मान लीजिए आप कम्प्यूटर पर कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसमें आपने टैक्स्ट लिखा, फोटो लगाया साथ ही विडियो अटैच किया, इस तरह जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ मल्टीपल डाटा डॉक्यूमेंट कहलाएगा । इन डाटा को स्टोर करने के लिए कम्प्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है। बिना अनुमति के इन डाटा के मूल स्वरूप में परिवर्तन करना कानूनन अपराध है।

आखिर क्या होता है साइबर अपराधः

- भारत में किसी भी प्रकार की अश्लीलता को डिजिटल रूप में बनाना/रिकॉर्ड/संप्रेषित करना।।
- किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डाटा (फोटो/विडियो/डॉक्यूमेंट इत्यादि) को चुराना।
- किसी महिला/पुरूष के आपत्तिजनक डाटा को सार्वजनिक करना।
- किसी के डिजिटल लेख/पुस्तक आदि को कॉपी करना।

- सॉफ्टवेयर या डिजिटल डाटा की पाइरेसी करना।
- बैंक, कम्पनी, संगठन में कार्यरत कर्मी द्वारा कर्मचारी के व्यक्तिगत डाटा को किसी अन्य को बेचना या सार्वजनिक करना।
- किसी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करना।
- ऑनलाईन खरीदारी में ठगी करना।
- किसी संगठन या कम्पनी के डिजिटल कंट्रोल को अपने नियंत्रण में लेना।
- गैरकानूनी तरीके से कोई विडियो/गाना/पुस्तक आदि डाउनलोड करना इत्यादि।

क्या आपको पता है 44 प्रतिशत साइबर अपराधी 18-30 आयु वर्ग के और 41 प्रतिशत साइबर अपराधी 30-45 आयु वर्ग के हैं। साल दर साल ठगी के आँकड़े बढ़ रहे हैं। ऑनलाईन ठगी के शिकार के मामलों में भारत, एशिया में पहले स्थान पर है, इससे पता चलता है कि लोगों में जागरूकता का कितना अभाव है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

आईए जानते हैं साइबर क्राईम में किस तरह के अपराध किये जाते हैं:

फिसिंग

फिसिंग, साइबर क्राईम में हैकर्स के द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति

को आसानी से झांसे में लिया जा सकता है, इसमें हैकर किसी वेबसाइट का नकली होमपेज बना लेता है, जिसके बाद जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी आई.डी. तथा पासवर्ड उस नकली वेबपेज पर डालता है तो वह डाटा हैकर्स के पास पहुँच जाता है। आईए इसे उदाहरण से समझते हैं, यदि हैकर आपके फेसबुक अकाउंट को हैक करना चाहता है तो वह इसके लिए फेसबुक का होमपेज जैसा नकली पेज तैयार करेगा, जिसके बाद उस होमपेज का लिंक आपके पास भेज देगा, जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जो पेज खुलेगा वह फिसिंग पेज होगा और जैसे ही आप उसमें डाटा भरेंगे तो वह हैकर के पास चला जाएगा।

हैकिंग

साइबर क्राईम के अधिकतर मामलों में नुकसान पहुँचाने हेतु हैकिंग का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है, जिसमें उनका उद्देश्य किसी के महत्वपूर्ण डाटा को एक्सेस कर गोपनीयता का हनन करना होता है। हैकर्स सरकार के खातों, बड़े-बड़े कम्पनियों या फिर कॉरपोरेट अकाउंट पर निशाना साधते हैं। इसके अलावा हैकिंग के कई मामलों में आज सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग किया जाता है, जिसमें फेसबुक, ट्विटर अकाउंट्स प्रमुख हैं। हैकर्स हैकिंग के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे वह आसानी से अपने गलत इरादों में कामयाब हो सके।

आईडेन्टिटी थेफ्ट

आईडेन्टिटी थेफ्ट के माध्यम से साइबर अपराधी व्यक्तिगत डाटा की चोरी के रूप में पासवर्ड, बैंक के खाते के बारे में जानकारी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तथा अन्य संवेदनशील जानकारियाँ चुरा सकते हैं, इस अपराध के पूरे विश्व में प्रति साल लाखों लोग शिकार होते हैं।

साईबर ब्लैकमेलिंग

आज-कल सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज के कारण ब्लैकमेलर्स को शय मिल रही है, ब्लैकमेलर्स फेसबुक, टिकटॉक, टिंडर आदि के माध्यम से महिलाओं से दोस्ती करते हैं, यह दोस्ती इतना करीब पहुँच जाती है कि महिलाएं अपना आपत्तिजनक

व्यक्तिगत फोटो/विडियो भी शेयर कर देती हैं, जिसका फायदा उठाकर ब्लैकमेलर्स अपनी निजी जरूरतों की पूर्ति हेतु उस डाटा का इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए करने लगता है।

कम्प्यूटर वायरस

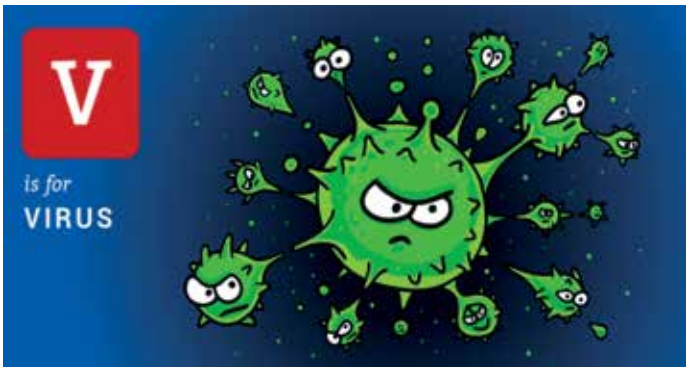

यह नाम इन्टरनेट की दुनिया में बहुत ही परिचित नाम है, साथ ही ये बहुत ही डरावना भी है, क्योंकि ये आपके कम्प्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए वायरस ठीक नहीं है, उसी तरह कम्पयूटर वायरस कम्प्यूटर के लिए भी ठीक नहीं है।

वास्तव् में कम्प्यूटर वायरस एक छोटा सा प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हैकर्स किसी खास उद्देश्य से प्रोग्राम करता है। यह खास उद्देश्य हो सकता है, जैसे आपके कम्प्यूटर सिस्टम को स्लो/क्रप्ट या डाटा को डिलिट करना, डाटा चोरी करना, आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचाना आदि। 99 प्रतिशत कम्प्यूटर वायरस इन्टरनेट के माध्यम से ही भेजे जाते हैं। यदि आप इन्टरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो कम्प्यूटर वायरस से बचने के लिए अपने कम्प्यूटर में एंटी वायरस इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। कुछ कम्प्यूटर वायरस जो साइबर की दुनिया में बहुत तबाही मचाये हैं, वे हैं..... क्रिप्टोलॉकर, आई लव यू, माई डूम, स्टॉर्म वार्म, अना कॉर्निकोवा, स्लैमर, स्टक्सनेट, आदि।

स्पैमिंग

इन्टरनेट पर कुछ भी काम करने के कुछ नियम व कानून होते हैं और यह नियम हर प्लेटफार्म के अलग-अलग होते हैं, जब आप किसी काम को उन नियमों को तोड़ कर अवैध रूप से करते हैं तो वह स्पैम कहलाता हैं।

जब कोई प्रेषक अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन के उद्देश्य से बहुत बड़ी तादाद में विज्ञापन का मेल भेजता है तो उसे स्पैम कहते हैं, यह बिना अनुमति के प्राप्तकर्ता को भेज दिया जाता है। स्पैम ईमेल को पहचानने के लिए आपको कम्पनी के नाम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्पैमर को पता होता है कि प्राप्तकर्ता किसी बड़ी नामी कम्पनी का नाम देख कर जरूर क्लिक करेगा। इस तरह बड़े नाम के 95 प्रतिशत मेल स्पैम ही होते हैं, इसलिए ऐसे मेल पर कभी क्लिक न करें। यह पता लगाने के लिए कि यह मेल सच में कम्पनी का है या स्पैम, आप मेल एड्रेस चेक कर सकते हैं, क्योंकि कम्पनी का अपना मेल एड्रेस होता है जिसे और कोई कॉपी नहीं कर सकता।

की लॉगिंग

"की लॉगर" एक ऐसा प्रोग्राम होता है, जो कि सभी कीस्ट्रॉक्स को रिकॉर्ड करता है। एक कम्प्यूटर में ऐसा करने के लिए यूजर के इनपुट को मॉनिटर

करता है और साथ में एक लॉग मेंटेन करता है। कीलॉगर को हैकर्स के द्वारा आपके कम्प्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे आपके कम्प्यूटर की सारी गतिविधि की जानकारी हैकर्स को मिलती रहे, इससे हैकर्स आपके कम्प्यूटर में किये जा रहे ऑनलाईन बैंकिंग, ऑनलाईन शॉपिंग से संबंधित सारा डाटा (आई.डी./पासवर्ड आदि) आसानी से पता कर आपको परेशानी में डाल सकता है।

साइबर क्राईम से कैसे बचे

- लॉटरी/कॉन्टेस्ट/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इन्टरनेट बैंकिंग आदि से संबंधित कॉल/मैसेज/ईमेल का जवाब न दें। यदि कोई आपको तुरन्त फायदा पहुँचाने की कोशिश कर रहा है तो समझें कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है।
- यदि आपके पास किसी बैंक या कम्पनी से फोन या ईमेल आये और आपका खाता, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि से जुड़ी सूचनाओं की माँग करे तो आप किसी भी परिस्थिति में ऑनलाईन सूचनाओं को न दें। आप संबंधित बैंक या कम्पनी में जाकर उस समस्या का समाधान कराएँ।
- सोशल मीडिया अकाउंट/इन्टरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड आदि का पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहें।
- बैंकिंग से संबंधित लेन-देन में हमेशा अपने पर्सनल कम्प्यूटर/स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें, साइबर कैफे या अन्य किसी के कम्प्यूटर से लेन-देन न करें, यह जोखिम भरा हो सकता है।
- जब आप ब्राउजर में किसी वेबसाईट पर लॉग-इन करते हैं या रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वह ब्राउजर आपको पूछता है कि क्या आप अपने लॉग-इन पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं, तो कभी भी आप अपना पासवर्ड सेव न करें।
- इन्टरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते समय कीबोर्ड की बजाय वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करें।
- नकली वेबसाइट से सावधान रहें, ब्राउज करने से पहले वेबसाईट के यू.आर.एल. को चेक करें। याद रखें फेक वेबसाईट का यूजर इन्टरफेस बैंकिंग वेबसाइट/शॉपिंग वेबसाइट जैसा भी हो सकता है।
- ऑनलाईन प्रोडक्ट की डिलिवरी के समय उसकी विडियो रिकॉर्डिंग अवश्य करें।
- अगर आप ऑनलाईन खरीदारी कर रहे हैं तो यह जरूर देख लें कि वेबसाईट ट्रस्टेड है या नहीं, इसके लिए आप यदि क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो यू.आर.एल. के बाई ओर आपको ताले का निशान मिलेगा, इससे पता चलता है कि वेबसाईट ट्रस्टेड है।
- ऑनलाईन शॉपिंग करते समय कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देखें इससे आपको उस वेबसाईट के बारे में लोगों की क्या राय है, उसका पता चलेगा।

- पेमेंट करते समय जिस वेबसाईट पर खरीदारी कर रहे हैं, उसी से पेमेंट करें, इससे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा साथ ही किसी फ्रॉड के पास डाटा जाने से भी बचेगा।
- खाते से अवैध रूप से पैसे निकाले गए हों तो इसकी जानकारी तुरंत बैंक के कस्टमर केयर के माध्यम से बैंक को दें या कार्ड ब्लॉक कराएं।
- क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में लेन-देन की सीमा को कम रखें, इससे यदि आपके साथ कभी धोखाधड़ी हो जाती है तो आपको नुकसान कम होगा।
- हैकिंग और डाटा चोरी की ज्यादातर घटनाएं वायरस के जरिए अंजाम दी जाती हैं, ऐसे में जरूरी है कि आप अपने कम्प्यूटर में एंटी वायरस इंस्टॉल करें।
- वायरस और हैकिंग से बचना चाहते हैं तो फेसबुक, वॉट्सएप, ईमेल आदि के जरिए आने वाले अनचाहे यू.आर.एल. पर क्लिक न करें।
- सोशल अकाउंट, इन्टरनेट बैंकिंग आदि का पासवर्ड समय-समय पर बदलते रहें।
- अपने सोशल मीडिया अकाउन्ट्स पर व्यक्तिगत संवेदनशील फोटोग्राफ तथा विडियो साझा न करें।
- आप सोशल मीडिया पर सही प्राइवेसी सेटिंग्स का चुनाव करके केवल अपने भरोसेमंद मित्रों के साथ ही अपने सामान्य फोटो और विडियो साझा करें।
- कोई भी सोशल प्लेटफार्म का इस्तेमाल करने से पूर्व उसकी गोपनीयता की शर्तों को अवश्य पढ़े।
- अनजान लोगों को फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफार्म पर न जोड़े, कई बार ऐसा करने से नुकसान भी हो सकता है।
- आपके साथ सोशल मीडिया पर गलत व्यवहार होता है या धोखाधड़ी होती है तो ऐसे में आप संबंधित पेज का स्क्रीनशॉट, लिंक, तारीख तथा समय इत्यादि को सहेज कर रखें, ताकि शिकायत के वक्त संबंधित ऑथोरिटी को सबूत के रूप में दिया जा सके। इससे न सिर्फ आरोपियों को पकड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि अपराध करने वालों में भी खौफ बैठेगा।
- हमेशा मोबाईल एप्लीकेशन इंस्टाल करने से पहले उसके स्रोत की विश्वसनीयता और कार्य प्रणाली की जाँच करें।
- सार्वजनिक स्थलों पर अपने फोन को न छोड़े और अपने फोन के पासवर्ड/पैटर्न लॉक को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें।
- जब तक आप ऑनलाईन यूजर्स को वास्तविक जीवन में न जानते हों और विश्वास न करते हों, तब तक उन पर भरोसा न करें। आप सोशल मीडिया पर अपनी कोई व्यक्तिगत जानकारी जैसे पता, फोन नम्बर, जन्म तिथि आदि को साझा करने से बचें। पहचान चुराने वाले इस जानकारी तक आसानी से पहुँच कर इसका गलत उपयोग कर सकते हैं।
- अपने मोबाईल फोन के अनाधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए हमेशा अपने मोबाईल फोन की होम स्क्रीन पर एक पासवर्ड लगाकर रखें। एक निश्चित समय के बाद अपने फोन को स्वत: लॉक होने के लिए कॉन्फिगर करें।

- सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अनजान लोगों से फ्रेंड-रिक्वेस्ट स्वीकार न करें।

- वैवाहिक ऑनलाईन धोखाधड़ी से बचने के लिए, भावी जीवनसाथी को कोई धनराशि अंतरित न करें अथवा वित्तीय सहायता न दें। सावधान रहें, जब भी कोई आपको, कोई न कोई कारण बताकर या अन्य प्रकार से पैसे मांगे तो उससे आगे बातचीत न करें।

ध्यान रहे, सतर्कता हीं समझदारी है।

साइबर अपराध से संबंधित कानून:

इन्टरनेट/कम्प्यूटर की दुनिया में बढ़ते अपराध तथा बिगड़ते हालात के फलस्वरूप भारत सरकार इसकी रोकथाम के लिए सूचना तकनीक अधिनियम-2000 लेकर आई है। भारतीय संसद द्वारा इस अधिनियम को 17 अक्टूबर 2000 को पारित किया गया तथा 27 अक्टूबर 2009 को एक घोषणा के द्वारा इसे संशोधित किया गया।

आधुनिक कानून की शब्दावली में साइबर कानून का संबंध कम्प्यूटर और इन्टरनेट से है। विस्तृत संदर्भ में कहा जाए तो यह कम्प्यूटर आधारित सभी तकनीकों से संबद्ध है। साइबर क्राईम के मामलों में दंड विधान के लिए सूचना तकनीक कानून-2000 में धारा-66(एफ) को जगह दी गई है। इसके कुछ मुख्य भाग निम्न प्रकार हैं:

1. यदि कोई

(ए) भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या संप्रभुता को भंग करने या इसके निवासियों को आतंकित करने के लिए:-

क. किसी अधिकृत व्यक्ति को कम्प्यूटर के इस्तेमाल से रोकता है या रोकने का कारण बनता है।

ख. बिना अधिकार के या अपने अधिकार का अतिक्रमण कर जबरन किसी कम्प्यूटर के इस्तेमाल की कोशिश करता है।

ग. कम्प्यूटर में वायरस जैसी कोई ऐसी चीज डालता है या डालने की कोशिश करता है, जिससे लोगों की जान को खतरा पैदा होने की आशंका हो या सम्पत्ति को नुकसान का खतरा हो या जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं में जानबूझ कर खलल डालने की कोशिश करता हो या धारा-70 के तहत संवेदनशील जानकारियों पर बुरा असर पड़ने की आशंका हो या-

(बी) अनाधिकार या अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए जानबूझ कर किसी कम्प्यूटर से ऐसी सूचनाएं हासिल करने में कामयाब होता हो, जो देश की सुरक्षा या अन्य देशों के साथ उसके संबंधों के नजरिए से संवेदनशील हैं या कोई भी गोपनीय सूचना इस इरादे के साथ हासिल करता हो, जिससे भारत की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं सम्प्रभुता को खतरा हो या अन्य

देशों के साथ इसके संबंधों पर प्रभाव डालता हो या सार्वजनिक जीवन या नैतिकता पर बुरा असर पड़ता हो या ऐसा होने की आशंका हो, देश की अदालतों की अवमानना अथवा मानहानि होती हो या ऐसा होने की आशंका हो, किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो या इसकी आशंका हो, किसी विदेशी राष्ट्र अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा किसी अन्य को ऐसी सूचना से फायदा पहुँचता हो, तो उसे साइबर आतंकवाद का आरोपी माना जा सकता है।

2. यदि कोई व्यक्ति साइबर आतंकवाद फैलाता है या ऐसा करने की साजिश में शामिल होता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा तक सुनाई जा सकती है।

आईये जानते हैं, यदि कोई व्यक्ति साइबर अपराध की चपेट में आ जाये तो क्या करे:

- साइबर दोस्त के ट्विटर हैंडल पर अपनी समस्या को ट्विट कर सकते हैं।
- https://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
- संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराएं।

❑

लोकतंत्र, सामुदायिकता एवं पुलिस

डॉ. गिरिराज सिंह चौहान,
'रीना माली'

लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं एवं लोकतांत्रिक सरकारों का विस्तार आज लगभग संपूर्ण विश्व में है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इसका विस्तार ज्यादा हुआ है। लोकतंत्र मुख्य रूप से सहभागिता, नागरिक अधिकारों की स्थापना एवं समता के मूल्यों से स्थापित होता है। चुनावों द्वारा सरकारें चुनना उसका एक मुख्य लक्षण है, परंतु वही एक मात्र लक्षण नहीं है। लोकतांत्रिक देशों में सरकारी संस्थाओं का कुछ हद तक तो लोकतांत्रिकरण हुआ है। लोकतंत्र किस हद तक समाजों में गहरी पहुंच कर पाया है अगर उसका मापन किया जाए तो कुछ राष्ट्रों में यह ज्यादा है और कुछ राष्ट्रों में कम। साथ ही सार्वजनिक संस्थाएं किस हद तक लोकतांत्रिक मूल्य का पालन कर रही हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन समाजों का कितना लोकतांत्रिकरण हुआ है। लंदन स्थित इकोनामिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट प्रतिवर्ष एक वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक जारी करती है। सन 2019 के लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत का स्थान प्रथम 10 में नहीं है। यह हमारे लिए चिंता का विषय है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र प्रथम दस में नहीं है। हम से ऊपर उरूग्वे, चिली, इजराइल, मलेशिया, अर्जेंटीना तथा जमैका जैसे राष्ट्र हैं। चुनावी राजनीति के हिसाब से तो भारत में लोकतंत्र नया होते हुए भी अपनी गहरी जड़ें जमा पाया है, परंतु सरकारी संस्थाओं का कितना लोकतांत्रिकरण हुआ है यह शोध एवं चिंतन का विषय है। लोकतंत्र को गहरा करने की अपेक्षित अनेक संस्थाओं में से एक भारतीय पुलिस भी है। भारतीय पुलिस, भारतीय राष्ट्र के लोकतांत्रिक होने से पहले भारत में मौजूद थी। औपचारिक रूप से यह 1861 के पुलिस अधिनियम से संचालित होती है। हालांकि भारत में पुलिस शासन व्यवस्था जैसी प्रणाली वैदिक काल, मौर्य काल तथा मुगल काल में भी विद्यमान रही। साथ ही अंग्रेजी शासन के समय ब्रिटिश इंडिया तथा देसी रियासतों की अपनी-अपनी पुलिस व्यवस्था भी थी। कुछ लेखको जैसे चाणक्य, मेगस्थनीज आदि के ग्रंथों में भी पुलिस व्यवस्था का वर्णन मिलता है। जैसा कि पहले बताया गया कि भारत के आजाद होने से पहले भारतीय पुलिस विद्यमान थी परंतु उसका स्वरूप एक अधिनायकवादी तथा गैर लोकतांत्रिक था। आजादी के बाद पुलिस सुधार तथा उसे जवाबदेह बनाने के बहुत सारे प्रयास हुए परंतु उसका स्वरूप, अभिवृत्ति तथा व्यवहार नहीं बदला। लोकतांत्रिक पुलिस क्या हो उसकी परिभाषा करना बहुत कठिन है उसकी बजाए सरलता इस बात में ज्यादा है कि गैर लोकतांत्रिक पुलिस क्या है। लोकतंत्र इस बात की अपेक्षा करता है कि कानून के समक्ष समानता होगी और राजनीतिक बहुलतावाद होगा। जैसा ऊपर बताया गया की भारत जैसे देश में चुनावी लोकतंत्र तो बहुत अच्छे से स्थापित हो गया है। इस चुनावी लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं, 1. एक प्रतिस्पर्धी बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था 2. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 3. निश्चित अंतराल पर चुनाव जो कि निष्पक्ष होते हैं तथा किसी प्रकार की धांधली नहीं होना। 4. मीडिया तथा चुनाव प्रचार के द्वारा जनता की राजनीतिक दलों तक पहुंच। इन सब मायनों में भारत में एक बेहतर चुनावी लोकतंत्र स्थापित हुआ है परंतु अब समय चुनावी लोकतंत्र से आगे निकलने का है और लोकतंत्र की जड़ें और

मजबूत और गहरी करने का है। क्योंकि कई पर्यवेक्षकों का यह मानना है कि लोकतंत्र वास्तविक रूप में चुनावी लोकतंत्र से आगे का कदम है जिसमें राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ नागरिक अधिकारों की स्थापना तथा उनकी रक्षा एवं उनका उन्नयन शामिल है। साथ ही जनता तक संपूर्ण सार्वजनिक संस्थाओं कि पहुंच समान एवं पारदर्शी तरीके से हो। भारतीय पुलिस जिसका अपना एक औपनिवेशिक चरित्र एवं विरासत रही हो उसे लोकतंत्र के इन मायनों के अनुसार ढलना जरूरी है। क्योंकि पुलिस भी लोकतंत्र के उन आधारभूत संस्थाओं में से एक है जो लोकतंत्र एवं नागरिक अधिकारों की रक्षा, उन्नयन एवं स्थापना में मदद करती है। और उसका लोकतांत्रिकरण सही मायनों में तभी होगा जब जनता का उसमें विश्वास हो तथा वह उसके साथ लगातार संपर्क बनाए रखें और जनता की उस तक सरल, सुगम एवं भय रहित पहुंच हो।

सामुदायिकता एवं पुलिस

वर्तमान समय में जब पूरा देश कोविड 19 नामक एक महामारी से जूझ रहा है। हम आधुनिक समय में महामारियो का इतिहास देखें या आपदाओं का इतिहास देखें तो हम पाते हैं कि संकट या आपदा काल में पुलिस की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस लोकतंत्र की रक्षा करती है। कोविड-19 के समय में पुलिस द्वारा जनता पर लाठीचार्ज, जनता को पीटना, जनता के साथ अभद्र व्यवहार करने जैसी कई छोटी घटनाएं देखने को मिली। उक्त समय में ऐसी छोटी घटनाएं भी जनता एवं पुलिस के बीच अविश्वास की खाई और गहरी करने वाली थी। कई जगह पुलिस ने बहुत प्रशंसनीय कार्य भी किया तथा जनता की प्रशंसा भी अर्जित की एवं जनता का पुलिस पर विश्वास भी बढ़ा है। परंतु संकट की इस घड़ी में समुदायों को साथ लेकर तथा समुदायों का विश्वास अर्जित कर संकट का बेहतर तरीके से सामना किया जा सकता है और साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों की भी रक्षा की जा सकती है। किसी भी विपदा के समय समुदायों की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है क्योंकि समुदाय सरकारों की मदद कर सकते हैं, जो लोग संकट में हैं उसकी पहचान कर सकते हैं, लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा सकते हैं, आवश्यक सूचना पहुंचा सकते हैं, साथ ही उन लोगों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं जो इस विपदा के कारण संकट में आए हैं। सरकारें वॉलिंटियर्स या स्वयंसेवकों के रूप में जनता की मदद ले सकती हैं। नागरिक आपदाओं के प्रबंधन में, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में, यातायात संचालन में, जागरूकता फैलाने में सरकार एवं पुलिस की मदद कर सकते हैं। क्योंकि सहभागिता लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। परंतु यह तभी स्थापित हो पाएगा जब जनता, समुदायों एवं पुलिस एवं सरकारों के बीच एक विश्वास की स्थिति उत्पन्न हो। सामुदायिक पुलिस पद्धति पुलिस और लोकतांत्रिकरण की दिशा में एक विकल्प हो सकती है। सामुदायिक पुलिस पद्धति की परिभाषा इस प्रकार की गई है, 'सामयिक सामुदायिक पुलिस पद्धति अपराध की रोकथाम और पता लगाने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और स्थानीय विवादों का निपटान करने के लिए समुदाय के साथ कार्य करने की एक क्षेत्र विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें कि बेहतर जीवन और सुरक्षा की भावना की जा सके।' डेविड एच बेली के अनुसार सामुदायिक पुलिस पद्धति के चार घटक हैं, 1. समुदाय आधारित अपराध रोकथाम। 2. जनता के साथ आपात स्थिति भिन्न अन्योन्य क्रिया हेतु पेट्रोल तैनाती। 3. सेवा के लिए अनुरोधों की सक्रियतापूर्वक चाहत जिसमें अपराध संबंधी मामले सम्मिलित ना हो। 4. समुदाय से आधारभूत फीडबैक या प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए पद्धतियां कायम करना। यह शांति काल और संकटकाल या आपतकाल दोनों में ही लागू किया

जा सकता है। सामुदायिक पुलिस पद्धति में अंतर्निहित बुनियादी सिद्धांत है कि पुलिसकर्मी वर्दी में एक नागरिक है तथा नागरिक बिना वर्दी वाला पुलिस कर्मी है। सामुदायिक पुलिस एक बहु प्रचलित शब्द बन गया है परंतु इसमें नया कुछ नहीं है। इसका मूल उद्देश्य नागरिकों को ऐसा परिवेश कायम करने में शामिल करना है जिससे सामुदायिक सुरक्षा और बचाव में वृद्धि हो। सामुदायिक पुलिस पद्धति एक दर्शन है जिसके अंतर्गत पुलिस और नागरिक समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने और अपराध को नियंत्रित करने में भागीदारों के रूप में कार्य करें। इसके अंतर्गत दोनों के बीच निकट रूप से कार्य करना शामिल है जिसमें एक और लोगों से सुझाव प्राप्त करना दूसरी और नागरिकों का उपयोग रक्षा की प्रथम पंक्ति के रूप में करना सम्मिलित है। इसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव यह भी है कि जो पुलिसकर्मी जिसमें ज्यादातर पुलिस के कांस्टेबल शामिल है उनको नागरिकों के खिलाफ हिंसा के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाया जाए। विशेषकर आपदाओं के समय कैसे धैर्य एवं संवेदना से कार्य किया जाए इस संबंध में व्यापक प्रशिक्षण और दक्षता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) की जरूरत है। कुछ सिद्धांत सामुदायिक पुलिसिंग के लिए जरूरी है। जैसे की इसमें यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि सामुदायिक पुलिस पद्धति एक दर्शन है जिसे आत्मसात करने की जरूरत है न की कुछ एक पहलों की एक पद्धति मात्र। सामुदायिक पुलिस पद्धति की सफलता नागरिकों में एक ऐसी भावना पैदा करने में निहित है कि उनके इलाके में पुलिस व्यवस्था में उनका योगदान है और वे समुदाय की रक्षा की पहली पंक्ति भी बनाते हैं। सामुदायिक पुलिस पद्धति मात्र एक सार्वजनिक संबंध प्रयास बनकर न रह जाए, बल्कि इसे एक पुलिस और नागरिकों के बीच विचार विमर्श का प्रभावी मंच बनाया जाना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर सामुदायिक संपर्क समूहों अथवा नागरिक समितियों के माध्यम से लोगो के साथ विचार विमर्श आयोजित किया जाना चाहिए। सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये समूह वस्तुतः प्रतिनिधिक हो। यदि यह पुलिस प्रेरित ना होकर जन प्रेरित हो तो सामुदायिक पुलिस पद्धति का विचार सफल हो जाता है क्योंकि लोकतांत्रिक भागीदारी किसी भी योजना, नीति को सफल एवं बेहतर क्रियान्वित करती है।

पुलिस का लोकतांत्रिकरण

डेविड एच. बेली ने सामुदायिकता के साथ-साथ पुलिस का लोकतांत्रिकरण कैसे हो उस पर एक चार सूत्रीय फार्मूला सुझाया जो इस प्रकार है। पहला यह कि पुलिस अपने कार्य संचालन में व्यक्तिगत नागरिकों और निजी समूह की सेवा करने को प्राथमिकता दे। इसके अंतर्गत बेली बताते हैं कि पुलिस जनता के सामने सरकार का चेहरा है। पुलिस लोकतंत्र को सबसे बड़ा सहयोग इस प्रकार से कर सकती है कि वह नागरिकों की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। अनुसंधान बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन कनाडा जापान संयुक्त राज्य अमेरिका में पुलिस द्वारा किया गया कार्य मुख्य रूप से नागरिकों द्वारा सेवा की मांग करने पर किया गया, ना की सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों के आधार पर। उदाहरण के लिए नागरिक किसी भी समय संयुक्त राज्य अमेरिका में पुलिस को टेलीफोन के द्वारा बुलाकर मदद मांग सकते हैं, हालांकि इससे पुलिस के कार्य में बहुत वृद्धि हुई है फिर भी पुलिस के इस कार्य से लोकतांत्रिक एवं नागरिक सरकार के दर्शन को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। यह पुलिस के व्यवहार एवं सोच में बदलाव का प्रतीक है, जो की बहुत कम देखा जाता है। एक पुलिस जिसका प्राथमिक कार्य एक समूह नहीं बल्कि व्यक्तिगत नागरिकों की सेवा करना हो, वह लोकतंत्र को दो तरीकों से मदद करती है। पहला, वह जितना संभव हो सके, अनेक व्यापक हितों के प्रति जवाबदेह बनती है। दूसरा वह सरकार की

वैधानिकता में वृद्धि करती है। अगर पुलिस व्यक्तिगत रूप से नागरिकों की मदद करती है तो प्रतिदिन नागरिकों को यह विश्वास होता है और उनके सामने प्रदर्शित होता है की सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग नागरिकों के हित में करेगी। यह पुलिस की उस परंपरागत भूमिका से अलग भूमिका होगी जिसमें इस प्रकार की पुलिस जवाबदेहीता तथा सेवा उन्मुखता हो। इस प्रकार पुलिस की भूमिका से किसी अन्य सरकारी सामाजिक कार्यक्रम की तुलना में सरकार की वैधानिकता में ज्यादा वृद्धि हो सकती है तथा इसके प्रभाव भी तुरंत महसूस किए जा सकते हैं। बेली दूसरा जो सूत्र देते हैं वह यह है कि पुलिस सिर्फ और सिर्फ कानून के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए बजाए की सरकारों के। कई पुलिस सुधार आयोग इस बात पर जोर दे चुके हैं कि लोकतांत्रिक पुलिस को हमेशा कानून के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। लोकतंत्र में पुलिस को किसी के भी मनचाहे आदेश को नहीं मानना चाहिए। लोकतांत्रिक पुलिस कानून बनाती नहीं है, वह उसे लागू करती है। बेली तीसरा सुझाव यह देते हैं कि पुलिस को मानव अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए और यही लोकतंत्र का सार है। लोकतंत्र की यह जरूरत है कि केवल कानून के प्रति जवाब दे ना हो बल्कि वे विशेष प्रयास करें की वे उन गतिविधियों की सुरक्षा करें जो कि लोकतंत्र के संचालन के लिए जरूरी है। यह गतिविधियां हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समूह बनाने की स्वतंत्रता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने की स्वतंत्रता तथा आर्बिट्रेरी गिरफ्तारी से स्वतंत्रता। बेली चौथा सुझाव यह देते हैं की पुलिस की सारी गतिविधियां पारदर्शी होनी चाहिए। उनके अनुसार पुलिस की सारी गतिविधियां अवलोकनीय तथा प्रतिवेदनीय हों। इसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों के व्यक्तिगत व्यवहार की सूचना तथा संगठन के पूर्ण कार्य संचालन की भी सूचना शामिल है। इसमें विशेष रूप से वे सूचनाएं शामिल हैं जिनमें यह पता लगता हो की पुलिस अपना कार्य लागत कुशल (कॉस्ट एफिशिएंट) तरीके से कर रही है या नहीं। बेली के अनुसार लोकतंत्र का संवर्धन एवं उन्नयन पुलिस अकेले नहीं कर सकती परंतु अगर वह इन ऊपर दिए गए चार तरीकों का पालन करें तो संभव है कि इससे लोकतंत्र के गहरे होने में मदद मिलेगी। ये वे सूत्र हैं जिसके द्वारा पुलिस सुधारों की मदद से लोकतंत्र में वृद्धि की जा सकती है।

सारांशतः यहां इस भ्रम को तोड़ना भी जरूरी है कि सामाजिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन एवं अव्यवस्था के बीच पुलिस है। सामाजिक व्यवस्था के बहुत सारे मानक एवं स्रोत हैं तथा पुलिस उन मानकों के बिगड़ने के लिए जिम्मेदार भी नहीं है परंतु फिर भी पुलिस का काम व्यवस्थाओं के संचालन में सहयोग तो करना है ही। लोकतांत्रिक पुलिस के लिए जरूरी है कि नागरिक पुलिस को सहयोग भय के कारण नहीं बल्कि उनके प्रति सम्मान के कारण करे। लोकतांत्रिक पुलिस एक तटस्थ पुलिस है जो बिना किसी भेदभाव के कार्य करती है। लोकतांत्रिक पुलिस नागरिकों के सम्मान की रक्षा करे, नागरिक अधिकारों की रक्षा करे सिर्फ और सिर्फ कानून के प्रति जवाबदेह हो ना की किसी नेता या दल के प्रति। यदि पुलिस अपना विश्वास कायम कर पाए और साधन और साध्य की पवित्रता रखे जैसा कि गांधीजी कहते थे तो हमारा मेहनत से अर्जित किया हुआ लोकतंत्र न केवल सुरक्षित रहेगा बल्कि वह गहरा भी होगा, समानता मूलक भी होगा, उसका उन्नयन एवं संवर्धन भी होगा तथा संविधान निर्माताओं के स्वप्न को साकार भी करेगा। ❑

भारत में जेल और उसमें बंद कैदियों की संख्या की विवेचना

श्री संदीप अरोड़ा

अपराध एक रोगग्रस्त दिमाग का परिणाम है और जेल में इलाज और देखभाल के लिए अस्पताल का माहौल होना चाहिए।

– महात्मा गांधी

भारत में जेल, और उनका प्रशासन, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में समाविष्ट है। जेलों का प्रबंधन और प्रशासन विशेष रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, और यह जेल अधिनियम, 1894 और संबंधित राज्य सरकारों के जेल नियमावली द्वारा शासित है। इस प्रकार, मौजूदा जेल कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलने के लिए राज्यों की प्राथमिक भूमिका, जिम्मेदारी और अधिकार है।

अपराध सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रत्येक देश एवं काल में अपराधों का अस्तित्व रहा है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि विघटनकारक है। जिस प्रकार अपराध सार्वभौमिक है उसी प्रकार अपराध को रोकने के प्रयास भी सार्वभौमिक रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रत्येक समाज में अपराधों के अस्तित्व में आने के साथ-साथ ही उस समाज में अपराधों की रोकथाम के युक्तियुक्त प्रयास भी किए जाते रहे हैं। वर्तमान अपराध-शास्त्रियों का अभिमत है कि अपराध के लिए व्यक्ति उत्तरदाई न होकर समाज उत्तरदाई है। सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति को अपराधों की ओर उन्मुख करती हैं। ऐसी स्थिति में यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि उस व्यक्ति की उन परिस्थितियों की ओर ध्यान दिया जाए, जिसने अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियोंवश अपराध का सम्पादन किया है। साथ ही, ऐसे प्रयास किए जाएं कि व्यक्ति भविष्य में अपराध की ओर उन्मुख न हो।

कारागार प्रशासन का इतिहास

जेलों का भारतीय समाज में अस्तित्व वैदिक काल से रहा है। जहां असामाजिक तत्वों को रखकर समाज में शांति व्यवस्था कायम की जाती थी तथा सामान्य जनता में असामाजिक कार्यों के प्रति भय उत्पन्न किया जाता था। उपरोक्त कथन इस बात से प्रमाणित किए जा सकते हैं कि स्वयं श्री भगवान कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था। यद्यपि प्राचीन काल में जेलों का स्वरूप एवं उद्देश्य आधुनिक जेलों से बहुत भिन्न था, प्राचीन काल में जेलों का स्वरूप केवल असामाजिक तत्वों को रखने का एक स्थान था जहां उनके सुधार एवं पुनर्वास की कोई परिकल्पना नहीं होती थी वरन बंदियों को जेलों में रखना कारावास का प्रमुख उद्देश्य होता था, किन्तु ज्ञान के विकास के साथ-साथ दंड के उद्देश्यों का भी स्वरूप परिवर्तित होने लगा।

जॉन लॉक सत्रहवीं शताब्दी के महान राजनैतिक विचारक थे उनके विचार के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अच्छा ही है यदि कुछ व्यक्तियों को छोड़ दिया जाए तो सामान्यतः समाज के सदस्य अच्छे ही होते हैं। किसी आपराधिक कानून का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाना होता है जिससे कि समाज के सदस्य शांति प्रिय तरीके से अच्छा-जीवन यापन कर सकते हैं। जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी दृष्टि से प्रताड़ित या शोषित न कर सके। सत्रहवीं

शताब्दी के पहले शासकों द्वारा कदाचित ही बंदियों को, शायद ही जेल में रखने की सजा दी जाती थी। सामान्यत: दंड, फाइन, अंग-भंग या मृत्यु दंड दिया जाता था। शासनाधिकारी जनसामान्य के बीच अपराधियों को सजा देते थे जिससे समाज के अन्य सदस्य सबक ले सकें। यद्यपि इंग्लिश और फ्रेंच शासक अपने राजनैतिक शत्रुओं को जेलों में रखते थे जैसे कि लंदन टॉवर और पेरिस में बेस्टाइल। लेकिन इस स्थिति में उनके परिवार भी उनके साथ रह सकते थे। सत्रहवीं शताब्दी में ही, सर विलियम ब्लैक स्टोन ने मृत्यु दंड एवं अन्य कठोर दंड की कड़ी आलोचना की, परिणामत: कठोर दंड जैसे कि मृत्यु दंड के स्थान पर अपराधियों को परिवार से दूर कारावास में रखने की व्यवस्था की गई।

प्राचीन काल के जेल अंधकार से भरे गंदे तथा बिना सुविधाओं वाले होते थे जहां किसी भी प्रकार की बंदी श्रेणियां नहीं बनी थीं। अत: बच्चे-बूढ़े, औरतें, खतरनाक एवं सभी बंदी एक साथ रखे जाते थे। ब्रिटेन के एक सुधारक जॉन हाबर्ट ने अपनी पुस्तक द स्टेट ऑफ प्रिजंस इन इंग्लैण्ड एंड वेल्स 1777 में जेलों की स्थिति का प्रथम बार वर्णन किया। जॉन हार्बट के अवलोकन ने प्रथम जेल सुधार की नींव रखी (अखिल भारतीय जेल सुधार समिति, 1982-83) 1787 में सुधारकों के एक समूह ने जिसे वर्तमान में पेंसिलवेनिया जेल समिति के नाम से जाना जाता है। जेलों के सुधार में रूचि दिखाई इस समिति ने इस बात पर जोर दिया कि आदतन अपराधियों को पृथक रखा जाना चाहिए। साथ ही इन्हें कठोर परिश्रम और ध्यान के माध्यम से सुधारा भी जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त क्वेकर ने यह भी महसूस किया कि महिला एवं पुरूष बंदियों, हिंसक एवं अहिंसक बंदियों को भी पृथक-पृथक रखा जाना चाहिए। उपरोक्त मत पेंसिलवेनिया व्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध हुए एवं 1790 में प्रथमत: फीले डेल्फियास वॉलनट स्ट्रीट जेल, यह जेल संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली जेल के नाम से जानी जाती है, बंदियों के सुधार एवं पुनर्वास की दिशा में पेंसिलवेनिया सिस्टम पहला प्रयास था। मूल्यत: पेंसिलवेनिया व्यवस्था का विचार मूलत: मौलिक एवं सुधारात्मक था किन्तु बंदियों की अत्यधिक संख्या की वजह से जघन्य अपराधियों को पृथक तो रखा गया किन्तु सुधारना मुश्किल रहा। (अखिल भारतीय जेल सुधार समिति 1982-83) अठारहवीं शताब्दी के दौरान न्यूयार्क के जेल अधिकारियों ने दो मुख्य व्यवस्थाएं कारागार प्रशासन में लागू करने का प्रयास किया:- 1. अर्बन व्यवस्था एवं एल्मेरा व्यवस्था अर्बन व्यवस्था अर्बन जेल न्यूयार्क में 1921 में शुरू की गई जिसे बृहत स्तर पर अपनाया गया। इस व्यवस्था के माध्यम से बंदियों को संपूर्ण दिवस विभिन्न कार्यों में संलग्न रखा जाता था एवं रात्रि में एकल बैरक में रहना होता था। इस व्यवस्था के माध्यम से बंदियों को एकांत में सोचने का मौका दिया गया कि उन्होनें क्यों और किन परिस्थितियों में अपराध किया। काफी हद तक अर्बन व्यवस्था सफल रही किन्तु आंशिक रूप से असफल भी रही, बंदियों का अकेलापन सुधारात्मक प्रक्रिया को धीमा करता है।

जन समूह के बीच जेल प्रशासन स्वतंत्रता के पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात हमेशा से ही गहन विवाद एवं आलोचना का विषय रहा है। विगत कुछ दशकों से भारत की माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जेल की अमानवीय स्थितियों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मीडिया एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी ध्यान भारतीय जेलों की स्थिति पर आकर्षित हुआ। विश्व के सभी देशों की सरकार संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं के माध्यम से जेलों की स्थिति के बारे में एक मंच पर एकत्रित हों। विश्व की, इस एकजुटता ने बंदियों के प्रति मानवता के लिए एक ऐसी जागरूकता पैदा की जो स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से जन-जन तक पहुंची।

भारत में कुल आठ प्रकार की जेलें है जो इस प्रकार है:-

(1) सेंट्रल जेल

(2) जिला जेल

(3) उप जेल

(4) ओपन जेल

(5) विशेष जेल

(6) महिला जेल

(7) बोर्स्टल स्कूल

(8) अन्य जेलें

(1) सेंट्रल जेल

किसी जेल को सेंट्रल जेल का दर्जा दिए जाने के मापदंड अलग-अलग राज्यों में भिन्न-भिन्न होते हैं। सेंट्रल जेल/केंद्रीय जेल में उन कैदियों को रखा जाता है, जिन्हें दो साल से अधिक की सजा हुई हो या जिन्होंने किसी घिनौने अपराध को अंजाम दिया हो। सेंट्रल जेल में कैदी की नैतिकता और सच्चाई बहाल करने पर काम किया जाता है। सामान्यत: सेन्ट्रल जेल में 1000 से अधिक कैदियों को रखने की क्षमता होती है। यहां बंद कैदी जेल में काम कर पैसे कमा सकते हैं। हर राज्य में सेंट्रल जेल नहीं होती। वहीं कई राज्यों में एक से अधिक ऐसी जेल हो सकती है। भारत में कुल 144 सेंट्रल जेल हैं।

दिल्ली में सबसे ज्यादा 14 सेंट्रल जेल हैं उसके बाद मध्य प्रदेश में 11, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु प्रत्येक में 9 सेंट्रल जेल और बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल प्रत्येक में 8 सेंट्रल जेल हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप में कोई सेंट्रल जेल नहीं है।

(2) जिला जेल

जिला जेल और सेंट्रल जेल में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जिला जेल उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य जेल की भूमिका निभाती है, जहां सेंट्रल जेल नहीं होती। 2018 तक के आकंड़ों के मुताबिक, भारत में 404 जिला जेल हैं। सामान्यत: जिला जेल में 500 के लगभग कैदियों को रखने की क्षमता होती है। जिला जेल कुछ राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य जेलों के रूप में कार्य करती है। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक 61 जिला जेल हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश में 41, बिहार में 31 और महाराष्ट्र में 28 जिला जेल हैं। 31 दिसंबर, 2018 के आँकड़ों के अनुसार, गोवा, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली और पुदुचेरी में कोई जिला जेल नहीं है।

(3) उप जेल

उप जेल, उपमंडल स्तर पर बनाए गए होते हैं। फिलहाल भारत में 600 से ज्यादा ऐसी उप जेल हैं।

नौ राज्यों में तुलनात्मक रूप से उप-जेलों की संख्या सबसे अधिक है (लगभग 200 कैदियों की क्षमता के लिए)। ये राज्य हैं तमिलनाडु (96), आंध्र प्रदेश (91), मध्य प्रदेश (73), ओडिशा (73), कर्नाटक (72), राजस्थान (60), तेलंगाना (32) और पश्चिम बंगाल (31), जबकि 9 राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, चंडीगढ़ और दिल्ली में कोई उप-जेल नहीं है।

(4) ओपन जेल

ओपन जेल के नाम देखकर आप सोच रहे होंगे कि कोई जेल ओपन कैसे हो सकती है? दरअसल, ये जेल ऐसे होते हैं जिनमें दीवारें, सलाखे और ताले नहीं होते। यहां सुरक्षा व्यवस्था भी कम होती है। इन

जेलों में उन कैदियों को रखा जाता है, जिनका व्यवहार अच्छा हो और जो नियमों पर खरा उतरते हैं। यहां रखे जाने वाले कैदी खेती आदि कर पैसे कमा सकते हैं। 1962 में देश में पहले ऐसे जेल की शुरुआत हुई थी। भारत में ऐसे 77 ओपन जेल हैं।

आँकड़ों के अनुसार, केवल 17 राज्यों ने अपने यहां खुली जेलों के कामकाज के बारे में सूचना दी है। इन राज्यों में, राजस्थान में सबसे अधिक 31 खुली जेल है, इसके बाद महाराष्ट्र में 19, मध्य प्रदेश में 5, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल प्रत्येक में 3 जेल, शेष 11 राज्य - आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में एक-एक खुली जेल है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और सभी संघ राज्य-क्षेत्रों में कोई ओपन जेल नहीं है।

(5) विशेष जेल

स्पेशल जेलों में घुसपैठ, आतंकवाद, जेल अनुशासन का गंभीर रूप से उल्लंघन, आदतन अपराधी आदि से जुड़े मामलों के कैदियों को रखा जाता है। इन जेलों में सुरक्षा के विशेष प्रबंध होते हैं। इन जेलों में महिला कैदियों को भी रखा जा सकता है। केरल, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि राज्यों में ऐसी जेलें बनी हुई है। इन जेलों में, उच्च अधिकारियों की अनुमति से ही कैदियों से मुलाकात की जा सकती है। भारत में कुल 41 विशेष जेल हैं।

विशेष जेलों वाले 13 राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों में से, केरल में सबसे अधिक 16 विशेष जेल हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल में 5, तेलंगाना में 4, तमिलनाडु में 3, गुजरात, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पुदुचेरी प्रत्येक में 2 जेल हैं और असम, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान प्रत्येक में एक जेल है।

(6) महिला जेल

महिला जेल, विशेष जेल हैं जो केवल महिला कैदियों के लिए ही हैं और इसलिए इन जेलों को महिला जेल कहा जाता है। उप-मंडल, जिला और केन्द्रीय (जोन/रेंज) स्तर पर महिला जेल मौजूद हो सकती है। महिला कैदियों के लिए विशेष रूप से महिला जेल, केवल 15 राज्यों / संघ राज्य-क्षेत्रों में मौजूद हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 5 महिला जेल हैं उसके बाद केरल में 3, राजस्थान, बिहार एवं दिल्ली प्रत्येक में 2 जेल हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक-एक महिला जेल है। यहां पर काम करने वाले स्टाफ में सारी महिलाएं होती हैं। फिलहाल देशभर में 24 महिला जेल हैं। दिसंबर, 2018 तक के आकंड़ों के मुताबिक, इन 24 जेलों में कुल 3,243 महिला कैदी बंद हैं। वहीं देशभर में कुल महिला कैदियों की बात करें तो यह संख्या 19,242 है।

(7) बोर्स्टल स्कूल

बोर्स्टल स्कूल एक प्रकार के यूथ डिटेंशन सेंटर होते हैं। इन्हें भारत में आमतौर पर बॉर्स्टर्ल स्कूल के नाम से जाना जाता है। इन स्कूलों में अपराध में शामिल नाबालिगों को रखा जाता है। यहां पर उनके कल्याण और पुनर्वास आदि पर जोर दिया जाता है। यहां उन्हें शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बाहर जाने के बाद उन्हें रोजगार मिल सके और वो अपराध से दूर रहे। उन्हें प्रशिक्षित शिक्षकों की मदद से शिक्षा भी दी जाती है। देश में बोर्स्टल स्कूलों की कुल संख्या 19 है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 12 बोर्स्टल स्कूल हैं और 7 अन्य राज्यों - हिमाचल

प्रदेश, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तेलंगाना प्रत्येक में एक-एक बोर्स्टल स्कूल है।

(8) अन्य जेलें

भारत में दो ऐसी जेल हैं, जो ऊपर लिखी किसी भी कैटेगरी (केंद्रीय जेल, जिला जेल, उप-जेल, महिला जेल, बोर्स्टल स्कूल, ओपन जेल, स्पेशल जेल) में शामिल नहीं होती। ये महाराष्ट्र और केरल में स्थित है। बाकी राज्यों में ऐसी जेल नहीं है।

भारत में जेलों के आँकड़े - 2018**

संक्षिप्त विवरण

जेल - प्रकार एवं स्थिति**

वर्ष	जेलों की संख्या	जेलों की वास्तविक क्षमता	वर्ष के अंत में कैदियों की संख्या	वर्ष के अंत में अधिभोग दर
2016	1,412	3,80,876	4,33,003	113.7%
2017	1,361	3,91,574	4,50,696	115.1%
2018	1,339	3,96,223	4,66,084	117.6%

***स्त्रोत - राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित - प्रिजन स्टैटिस्टिक, 2018*

राष्ट्रीय स्तर पर जेलों की संख्या वर्ष 2016 में 1412 से वर्ष 2018 में 1339 हो गई है जो वर्ष 2016-18 में 5.17% कम हो गई है। देश में इन 1339 जेलों में 628 उप जेल, 404 जिला जेल, 144 सेन्ट्रल जेल, 77 ओपन जेल, 41 स्पेशल जेल, 24 महिला जेल, 19 बोर्सटल स्कूल और 2 अन्य प्रकार की जेल हैं। देश में, सबसे अधिक जेल तमिलनाडु में हैं जिनकी संख्या 138 है उसके बाद राजस्थान में 130 जेल, मध्य प्रदेश में 130 जेल, आन्ध्र प्रदेश में 105 जेल, कर्नाटक में 104 जेल और ओडिशा में 91 जेलें हैं। 31 दिसंबर, 2018 तक इन राज्यों में कुल मिलाकर देश की 52.13% जेलें हैं।

देश में सबसे ज्यादा सेन्ट्रल जेल दिल्ली में हैं जिनकी संख्या 14 है। जबकि 31 दिसंबर, 2018 को गोआ, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव और लक्षद्वीप जैसे राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में कोई भी सेन्ट्रल जेल नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 61 जिला जेलें हैं। जबकि गोवा, चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, दिल्ली और पुदुचेरी में कोई जिला जेल नहीं है। देश के केवल 15 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में 24 महिला जेल हैं जिनकी क्षमता 5,593 कैदियों की है। इन राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में महिला जेलों की संख्या, कैदियों की क्षमता इस प्रकार है - तमिलनाडु 5 (2018), केरल 3 (232), राजस्थान 2 (450), बिहार 2 (152), दिल्ली 2 (648), आंध्र प्रदेश 1 (160), गुजरात 1 (210), कर्नाटक 1 (100), महाराष्ट्र 1 (262), मिजोरम 1 (90), ओडिशा 1 (55), पंजाब 1 (320), तेलंगाना 1 (250), उत्तर प्रदेश 1 (420) और पश्चिम बंगाल 1 (226) है।

वर्ष 2016 से 2018 (प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को) में जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता 3,80,876 से 3,96,223 हो गई है जो 2016-18 के बीच 4.03% वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2016 से 2018 (प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर को) में जेलों कैदियों की संख्या 4,33,003 से 4,66,084 हो गई है जो 2016-18 के बीच 7.64% वृद्धि दर्शाता है।

वर्ष 2018 में, भारत के कुल 1339 जेलों की कैदियों को रखने की क्षमता 3,96,223 है जिनमें केन्द्रीय जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता सबसे अधिक है जो कि 1,75,820 है इसके बाद जिला जेलों की क्षमता 1,55,490 कैदियों की है और उप

जेलों की क्षमता 44,916 कैदियों को रखने की है। अन्य प्रकार की जेलों जैसे स्पेशल जेल, ओपन जेल और महिला जेलों में 31 दिसंबर, 2018 को कैदियों को रखने की क्षमता क्रमशः 6,594, 5,667 और 5,593 है। 31 दिसंबर, 2018 को सबसे अधिक 2,09,278 कैदी सेन्ट्रल जेल में थे जिसके बाद जिला जेलों में 2,06,518 और उप जेलों में 36,775 कैदी थे। महिला जेलों में 3,243 महिला कैदी थी। कुल 4,66,084 कैदियों में, 4,46,842 पुरूष कैदी और 19,242 महिला कैदी थी।

कैदी - प्रकार एवं जनसांख्यिकी**

वर्ष	दोषियों की संख्या	विचाराधीन कैदियों की संख्या	नजरबंदों की संख्या	अन्य कैदियों की संख्या	कुल कैदियों की संख्या
2016	1,35,683	2,93,058	3,089	1,173	4,33,003
2017	1,39,149	3,08,718	2,136	693	4,50,696
2018	1,39,488	3,23,537	2,384	673	4,66,084

"स्त्रोत - राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित - प्रिजन स्टैटिस्टिक, 2018

वर्ष 2018 के दौरान, देश में कुल 18,47,258 कैदी जेल भेजे गए। 31 दिसंबर, 2018 तक कुल 4,66,084 कैदी देश के विभिन्न जेलों में भेजे गए। इन कैदियों में 1,39,488 दोषी, 3,23,537 विचाराधीन और 2,384 नजरबंद कैदी थे।

वर्ष 2016 में 1,35,683 दोषी कैदी थे जो वर्ष 2018 में बढ़कर 1,39,488 हो गए, इनके बढ़ने की दर 2.8% रही। कुल 1,39,488 दोषी कैदियों में सबसे अधिक कैदी (90,755) सेन्ट्रल जेल में है उसके बाद जिला जेलों में 40,136 और ओपन जेलों में 3,740 कैदी है। 31 दिसंबर, 2018 के अंत तक, देश के उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दोषी कैदी हैं जिनकी संख्या 28,660 है, उसके बाद मध्य प्रदेश में 18,626 और महाराष्ट्र में 8,908 कैदी हैं। देश के कुल 1,39,488 कैदियों में 270 सिविल कैदी हैं।

वर्ष 2016 में 2,93,058 विचाराधीन कैदी थे जो वर्ष 2018 में बढ़कर 3,23,537 हो गए, इनके बढ़ने की दर 10.4% रही। 31 दिसंबर, 2018 तक, कुल 3,23,537 विचाराधीन कैदियों में सबसे अधिक कैदी (1,65,988) जिला जेलों में है उसके बाद में 1,16,183 सेन्ट्रल जेल और उप जेलों में 34,051 कैदी है। 31 दिसंबर, 2018 के अंत तक, देश के उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विचाराधीन कैदी हैं जिनकी संख्या 75,206 है, उसके बाद बिहार में 31,488 और महाराष्ट्र में 26,898 कैदी हैं। देश के कुल 3,23,537 विचाराधीन कैदियों में केवल 101 सिविल कैदी थे।

वर्ष 2016 में 3,089 नजरबंदी थे जो वर्ष 2018 में घटकर 2,384 हो गए, इस अवधि में, इनके घटने की दर 22.82% रही। 31 दिसंबर, 2018 तक, कुल 2,384 नजरबंदों में सबसे अधिक (1,818) सेन्ट्रल जेल में हैं उसके बाद 280 जिला जेलों में और स्पेशल जेलों में 117 नजरबंदी हैं। 31 दिसंबर, 2018 के अंत तक, देश के तमिलनाडु में सबसे अधिक नजरबंदी हैं जिनकी संख्या 741 है, उसके बाद गुजरात में 452 और तेलांगना में 292 हैं।

इसमें सभी एकमत हैं कि आज भारत की सभी जेलों पर अधिक दबाव है। जेलों की वास्तविक क्षमता से अधिक कैदी उनमें हैं जिससे न केवल कैदियों के बीच तनाव की स्थिति बनी रहती है बल्कि जेल में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जेल अधिकारियों के उपर अधिक मानसिक एवं शारीरिक तनाव बना रहता है। जेलों में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद भी अक्सर रिक्त रहते हैं जिसके कारण अन्य स्टाफ पर काम का अतिरिक्त दबाव बना रहता है। भारतीय जेलों में बंद कैदियों में सबसे अधिक संख्या विचाराधीन कैदियों की है। भारतीय न्यायालयों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, उनमें हजारों-लाखों मामलों की सुनवाई का दबाव है। ऐसे में, विचाराधीन कैदियों के मामलों को निपटाने में ज्यादा समय लगता है जिसके कारण इन कैदियों को जेल में ही बंद रहना पड़ता है और जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखने को मजबूर होना पड़ता है। यदि, किसी तरह इन विचाराधीन कैदियों के मामलों को निपटाने में तेजी आ सके तो जेलों की स्थिति में सुधार आ सकता है। ❑

पुलिस विज्ञान

रजिस्ट्रेशन सं. 40445/82

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक श्री वी.एस.के. कौमुदी द्वारा ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस विज्ञान पत्रिका के अंक 141 का विमोचन

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, एन.एच. 8, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110 037 द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia Bureau of Police Research & Development India www.bprd.nic.in